



**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2018 का प्रतिवेदन संख्या 2
(अनुपालन लेखापरीक्षा)**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
वैज्ञानिक एवं पर्यावरण
मंत्रालय/विभाग
2018 का प्रतिवेदन संख्या 2
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय I - प्रस्तावना		1-9
इस प्रतिवेदन के संबंध में	1.1	1
लेखापरीक्षा क्षेत्र	1.2	1
लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन	1.3	2
बजट और व्यय नियंत्रण	1.4	3
स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा	1.5	4
बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	1.6	6
विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति	1.7	7
केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा	1.8	8
हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना	1.9	8
प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/ विभागों का प्रत्युत्तर	1.10	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.11	9
अध्याय II - नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट का पुनरीक्षण		11-21
अध्याय III - परमाणु ऊर्जा विभाग		23-40
भारी पानी बोर्ड की गतिविधियां	3.1	23
भूमि किराया की अल्प-प्राप्ति	3.2	35
वसूली हेतु लंबित बकाया देय	3.3	37
अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे	3.4	39
अध्याय IV - जैव प्रौद्योगिकी विभाग		41-56
जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल की गतिविधियाँ	4.1	41
पदोन्नति तथा हकदारी की अनियमित मंजूरी	4.2	50

	पैराग्राफ	पृष्ठ संख्या
स्टाफ आवास के निर्माण हेतु खरीदी गई भूमि का गैर-उपयोग	4.3	53
अध्याय V - विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		57-58
मूल्य वृद्धि के कारण परिहार्य व्यय	5.1	57
अध्याय VI - वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		59-70
दंड-स्वरूप ब्याज का गैर-वसूली	6.1	59
सी.एस.आई.आर. की ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं का प्रबंधन	6.2	61
विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान	6.3	68
अध्याय VII - अंतरिक्ष विभाग		71-79
उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली का परिचालन	7.1	71
सॉफ्टवेयर विकास पर निष्फल व्यय	7.2	77
अध्याय VIII - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		81-84
आबद्ध भांडागार हेतु किराए का परिहार्य भुगतान	8.1	81
अनियमित वेतन संरक्षण	8.2	83
अध्याय IX - नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		85-88
सौर तापीय विद्युत संयंत्र का गैर-उपयोग	9.1	85
अध्याय X - केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यम		89-94
परमाणु ऊर्जा विभाग		
छुट्टी नकदीकरण पर अनियमित भुगतान	10.1.1	89
थोक विद्युत आपूर्ति समझौते के गैर-नवीकरण के कारण से आयकर/न्यूनतम वैकल्पिक कर का अतिरिक्त भार	10.1.2	91
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग		
डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन	10.2.1	92
परिशिष्ट		95-141

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट मार्च 2017 को समाप्त हुई अवधि के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है। यह रिपोर्ट केन्द्र सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों, उनके संलग्न/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणामों को शामिल करती हैं।

सरकारी कंपनी या निगम के खातों के संबंध में रिपोर्ट नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं। इस लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्गम से संबंधित लेखापरीक्षा टिप्पणियां भी शामिल हैं।

इस रिपोर्ट में वे प्रमाण वर्णित हैं जो 2016-17 की अवधि में देखे गए थे तथा वे भी, जो पिछले वर्षों में देखे गये किन्तु पिछली रिपोर्टों में शामिल नहीं किए जा सके। 2016-17 के बाद के मामले भी, जहां उचित थे, शामिल किये गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी.&ए.जी.) की यह रिपोर्ट भारत सरकार के नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन स्वायत्त निकायों और केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों के लेन-देन की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में ₹ 448.62 करोड़ से संबंधित 20 पैराग्राफ है, जो खरीद और अनुबंध में कमजोरियाँ, अक्षम परियोजना प्रबंधन, कर्मचारियों को दिए गए अनियमित वित्तीय लाभ, कमजोर आंतरिक नियंत्रण आदि से संबंधित हैं। इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों का एक संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट का पुनरीक्षण

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परिणामी बजट के निर्माण के लिए मापदण्डों पर सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप परिणामी बजट में संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग से प्राप्त सामान्य बचतों, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अद्यतन स्थिति तथा राज्यों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास गैर-प्रयुक्त शेषों पर सूचना का गैर-समावेशन रहा। एम.एन.आर.ई. तथा राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगतियां थीं जिससे किए जाने वाले वित्तीय परिवर्तनों से अपेक्षित परिणामों को मापने हेतु एक उपकरण के रूप में परिणाम बजट की उपयोगिता कमजोर पड़ गई।

(अध्याय 2)

भारी पानी बोर्ड की गतिविधियां

भारी पानी बोर्ड द्वारा बड़ौदा के बंद भारी पानी संयंत्र के विघटन तथा निपटान के निर्णय में देरी एवं तालचर के भारी पानी संयंत्र को बंद करने में देरी के कारण इनके रख-रखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। 29 परियोजनाओं में एक माह से सात वर्ष से अधिक का समय लंघन तथा पांच परियोजनाओं में ₹ 12.32 करोड़ का लागत लंघन था। ₹ 8.66 करोड़ की लागत से स्थापित ऑक्सिडेशन प्रणाली फीडर गैस की कमी के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका।

(पैराग्राफ 3.1)

भूमि किराया की अल्प-प्राप्ति

परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा फैसले की कमी की वजह से तेल कम्पनियों को पट्टे पर दी गई भूमि के किराया संशोधन तथा अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीकरण में निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय असमर्थ रहा, जिसका परिणाम ₹ 12.78 करोड़ के भूमि किराया तथा ब्याज की अल्प-प्राप्ति हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि किराए के देरी से भुगतान पर ब्याज के ₹ 50.39 लाख भी वसूली योग्य थे।

(पैराग्राफ 3.2)

वसूली हेतु लंबित बकाया देय

विकिरण एवं आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड रेडियोएक्टिव सामग्री तथा संबद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान प्राप्ति हेतु उचित क्रियाविधि स्थापित करने हेतु समय पर कार्यवाही करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ वसूली के लिए लंबित रहा।

(पैराग्राफ 3.3)

अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद ने इसके कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा रियायत बिल पास करने से पहले अनुबंधित जाँच का पालन नहीं किया, जिसका परिणाम अनियमित दावों के लिए ₹ 40.11 लाख का भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 3.4)

जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल की गतिविधियाँ

जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल, क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु अपने आरंभ के 15 वर्षों से अधिक अवधि समाप्त होने के बाद भी जैव प्रौद्योगिकीय व्यवधान के द्वारा जैव संसाधन विकास एवं उसके स्थायी उपयोग के अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 4.1)

पदोन्नति तथा हकदारी की अनियमित मंजूरी

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे ने लचीली पूरक योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक स्टाफ के पदोन्नति तथा विदेश दौरों के मामले में मौजूदा नियम तथा आदेशों का पालन नहीं

किया। परिणामस्वरूप इसके कर्मियों को वेतन, यात्रा भत्ता तथा विदेश दौरो हेतु कुल ₹ 93.26 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

स्टाफ आवास के निर्माण हेतु खरीदी गई भूमि का गैर उपयोग

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, स्टाफ आवास के निर्माण के लिए ₹ 3.93 करोड़ की कीमत पर अधिग्रहित भूमि को 17 वर्ष बीतने के पश्चात् भी प्रयोग में लाने में असफल रहा जिसके परिणामस्वरूप, निर्माण में देरी के कारण जुर्माने के तौर पर ₹ 35.89 लाख का परिहार्य व्यय तथा ₹ 41.14 लाख जुर्माने की लंबित देनदारी हुई।

(पैराग्राफ 4.3)

मूल्य वृद्धि पर परिहार्य व्यय

इण्डियन एसोसिएशन फोर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता ने अल्पावधि अनुबंध के क्रियान्वयन में मूल्य-वृद्धि पर ₹ 52.78 लाख का परिहार्य व्यय किया तथा ₹ 31.01 लाख की अतिरिक्त देयता पैदा की।

(पैराग्राफ 5.1)

दंड-स्वरूप ब्याज की गैर-वसूली

निजी उद्योगों को वित्तपोषित परियोजनाओं से आय के अपने हिस्से के विलंबित धन-प्रेषण पर दंड-स्वरूप ब्याज लगाने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की विफलता का परिणाम ₹ 2.55 करोड़ की गैर-वसूली के रूप में हुआ।

(पैराग्राफ 6.1)

सी.एस.आई.आर. की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं का प्रबंधन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के तहत 27 चयनित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के परियोजनाओं के लेखापरीक्षा में कार्य बल/क्षेत्रीय निगरानी समितियों/अनुसंधान परिषदों के गैर-गठन/विलंबित गठन और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली बैठकों की संख्या में कमी के संदर्भ में निगरानी प्रणाली में कमियां पाई गईं।

(पैराग्राफ 6.2)

विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता द्वारा बिजली संविदा की मांग को कम करने के लिए विलंबित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को दिए गए बिलिंग मांग प्रभारों के प्रति ₹ 64.90 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 6.3)

उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली का परिचालन

भारत सरकार द्वारा मई 2006 में ₹ 1,420 करोड़ की लागत पर भारतीय भूमि और आसपास के क्षेत्र पर एक स्वतंत्र और स्वदेशी उपग्रह आधारित दिशानिर्देशन प्रणाली स्थापित करने के लिए "नाविक" को मंजूर किया गया। कार्यक्रम पर अब तक ₹ 1,283.93 करोड़ का व्यय किया गया था। हालांकि, अनुबंधों के क्रियान्वयन में देरी, कार्यक्रम की अपूर्ण निगरानी और अपर्याप्त कार्यवाही के कारण प्रणाली का अभी तक परिचालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, ₹ 3.57 करोड़ मोडेम की अनावश्यक खरीद पर खर्च किए गए थे।

(पैराग्राफ 7.1)

सॉफ्टवेयर विकास पर निष्फल व्यय

अंतरिक्ष विभाग द्वारा डिजिटल कार्यप्रवाह प्रणाली के विकास पर एक परियोजना के कार्यान्वयन और समुचित निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप इसके आरम्भ होने से 11 वर्ष से अधिक में, ₹ 2.27 करोड़ के खर्च के बावजूद, सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 7.2)

आबद्ध भांडागार हेतु किराए का परिहार्य भुगतान

समुद्र सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, कोच्चि ने आबद्ध भांडागार में अप्रयुक्त तथा कार्य के अयोग्य मर्दों का भंडार किया तथा आबद्ध भांडागार के किराए के लिए ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैराग्राफ 8.1)

अनियमित वेतन संरक्षण

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने नियमित आधार पर अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति पर उनका वेतन संरक्षण अनियमित रूप से मंजूर किया। परिणामस्वरूप 44 कर्मचारियों को ₹ 1.97 करोड़ के वेतन तथा भत्तों का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 8.2)

सौर तापीय विद्युत संयंत्र का गैर-उपयोग

एक समर्पित कार्यबल, जो सौर तापीय विद्युत संयंत्र और अनुसंधान सुविधा के निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित कर सके, विकसित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 46.36 करोड़ की लागत से निर्मित सुविधाओं का गैर-उपयोग हुआ।

(पैराग्राफ 9.1)

छुट्टी नकदीकरण पर अनियमित भुगतान

डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों से विचलन में किए गए अर्धवेतन छुट्टी/अस्वस्थता छुट्टी के नकदीकरण के परिणामस्वरूप 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 10.1.1)

डी.पी.आई. के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन

प्रोत्साहन योजना की गैर-मंजूरी के कारण अनियमित भुगतान तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण के कारण कर्मचारियों को ₹ 6.85 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(पैराग्राफ 10.2.1)

अध्याय - I

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के संबंध में

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसंपत्तियों एवं दायित्वों से संबंधित लेन-देनों की जांच, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या भारत के संविधान तथा लागू विधि, नियमों, विनियमों के प्रावधानों, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा उनकी वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक तथा इच्छित लक्ष्यों को पाने के संदर्भ में उनकी प्रभावशीलता को भी निर्धारित करने से संबंधित है।

लेखापरीक्षा मानकों की आवश्यकता है कि रिपोर्टिंग की अहमियत का स्तर लेन-देनों की प्रकृति, मात्रा और आकार के अनुरूप हो। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों से आशा की जाती है कि वह कार्यकारिणी को सुधार कार्यों को लागू करने के साथ-साथ ऐसी नीतियों और निर्देशों को बनाने में सक्षम करे जिससे संगठनों का वित्तीय प्रबंधन सुधरे और इस प्रकार सुशासन में योगदान दें।

यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और विस्तार को स्पष्ट करने के अतिरिक्त, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के व्यय तथा वित्तीय प्रबंधन का संक्षिप्त विश्लेषण करता है। लेखापरीक्षा ने मंत्रालयों में से एक का चयन उसके परिणाम बजट की समीक्षा, यह जाँचने के लिए कि क्या यह निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है या नहीं, के लिए किया। अध्याय II से IX, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थाओं एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्धृत निष्कर्षों/टिप्पणियों को प्रस्तुत करते हैं तथा अध्याय X प्रशासनिक नियंत्रण के उनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले केंद्रीय लोक उद्यम क्षेत्र (सी.पी.एस.ई.) से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को शामिल करता है।

1.2 लेखापरीक्षा क्षेत्र

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा सी.पी.एस.ई. समेत उनके अंतर्गत इकाइयों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

- 1) परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.)
- 2) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
 - क) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.);
 - ख) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.); तथा
 - ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.)
- 3) अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.)
- 4) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.), भारत मौसम विज्ञान विभाग सहित
- 5) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.)
- 6) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.)
- 7) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एण्ड जी.आर.)

यह प्रतिवेदन उपरोक्त वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीनस्थ/संबद्ध कार्यालयों तथा स्वायत्त निकायों के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाविष्ट करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

अनुपालन लेखापरीक्षा सी.&ए.जी. द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों में शामिल सिद्धांतों एवं प्रथाओं के अनुसार की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया समग्र रूप में मंत्रालय/विभाग/संगठन और प्रत्येक इकाई में किए गए व्यय, कार्रवाईयों का महत्व/जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के स्तर, समग्र आंतरिक नियंत्रण के निर्धारण तथा हित धारकों की चिंताओं पर आधारित जोखिम के मूल्यांकन के साथ प्रारंभ होती है। पूर्व लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर भी इस प्रक्रिया में विचार किया जाता है। इस जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा की बारंबारता तथा विस्तार का निर्णय किया जाता है। इस जोखिम-मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना बनाई जाती है।

प्रत्येक इकाई की लेखापरीक्षा की समाप्ति के पश्चात, लेखापरीक्षा निष्कर्षों को अंतर्विष्ट करके निरीक्षण प्रतिवेदनों को इकाई के प्रमुख को जारी किया जाता है। इकाइयों से निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उत्तर उपलब्ध करने का अनुरोध किया जाता है। जब भी उत्तर प्राप्त होता है लेखापरीक्षा निष्कर्षों का या तो निपटान कर दिया जाता है या अनुपालन हेतु आगे की कार्रवाई का सुझाव दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों से उत्पन्न होने वाली प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों को, ड्राफ्ट पैरों के रूप में अलग से प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को उनकी प्रतिक्रिया हेतु जारी किया जाता है तथा लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, में सम्मिलित करने हेतु तैयार किया जाता है।

2016-17 के दौरान उपलब्ध संसाधनों तथा इकाइयों के जोखिम-मूल्यांकन के आधार पर वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के 465 इकाइयों में से 180 का अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया। इसके अतिरिक्त 15 सी.पी.एस.ई. का भी अनुपालन लेखापरीक्षा किया गया।

1.4 बजट और व्यय नियंत्रण

वर्ष 2016-17 और पिछले दो वर्षों के दौरान वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के बजट और व्यय की तुलनात्मक स्थिति को तालिका 1.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.1 : वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के बजट और व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मंत्रालय/विभाग	2015-16				2016-17				वास्तविक व्यय में हिस्सा	
	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में अव्ययित बजट	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अव्ययित बजट	बजट अनुमान के प्रतिशत के रूप में अव्ययित बजट	2015-16	2016-17
1) डी.ए.ई.	17,702.1	16,380.7	1,321.4	7.46	20,105.4	18,238.4	1,867.0	9.29	34.1	32.8
2) डी.बी.टी.	1,625.2	1,554.3	70.9	4.36	1,917.2	1,895.5	21.7	1.13	3.2	3.4
3) डी.एस.टी.	3,861.9	3,658.5	20.3	0.53	4,496.4	4,325.6	170.8	3.80	7.6	7.8
4) डी.एस.आई.आर.	4,038.0	4,028.6	9.4	0.23	4,064.6	4,051.7	12.9	0.32	8.4	7.3
5) डी.ओ.एस.	7,388.2	6,920.0	468.2	6.34	8,344.4	8,040.0	304.4	3.65	14.4	14.5
6) एम.ओ.ई.एस.	1,622.7	1,328.3	294.4	18.14	1,675.5	1,464.2	211.3	12.61	2.8	2.6
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	2,122.7	2,024.7	98.0	4.62	3,518.3	3,360.3	158.0	4.49	4.2	6.0
8) एम.एन.आर.ई.	4,303.3	4,244.8	58.5	1.36	9,997.8	7,754.1	2,243.7	22.44	8.8	14.0
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर. डी.एंड जी.आर.	9,272.9	7,906.9	1,366.0	14.73	8,815.5	6,427.3	2,388.2	27.09	16.5	11.6
कुल	51,936.9	48,046.7	3,707.1	7.14	62,935.1	55,557.1	7,378.0	11.72	100.0	100.0

स्रोत: संबंधित वर्षों के विनियोग लेखे

बी.ई. तथा ए.ई. बजट अनुमान तथा वास्तविक व्यय क्रमशः दर्शाते हैं।

वर्ष 2016-17 के दौरान भारत सरकार के वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों का कुल व्यय वर्ष 2015-16 के व्यय ₹ 48,046.7 की तुलना में ₹ 55,557.1 करोड़ था यानी ₹ 7,510.4 करोड़ (15.6 प्रतिशत) वृद्धि है। वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों द्वारा वर्ष 2016-2017 में कुल व्यय ₹ 55,557.1 करोड़ में से

32.8 प्रतिशत डी.ए.ई. द्वारा किया गया, तत्पश्चात डी.ओ.एस. तथा एम.एन.आर.ई. (14.5 प्रतिशत तथा 14.0 प्रतिशत क्रमशः) थे।

एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर. के अलावा सभी वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के वास्तविक व्यय में वर्ष 2015-16 की तुलना में वर्ष 2016-17 में 82.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान एम.एन.आर.ई. (82.7 प्रतिशत), एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. (66 प्रतिशत) तथा डी.बी.टी. (22 प्रतिशत) के व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि थी, जबकि एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर. के व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016-17 के दौरान 18 प्रतिशत की सुस्पष्ट कमी थी।

₹ 62,935.1 करोड़ के कुल बजट आवंटन के संदर्भ में, वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों की कुल बचत वर्ष 2015-16 के सात प्रतिशत के कुल बचत के विरुद्ध ₹ 7,378 करोड़ थी जो कि कुल अनुदान/विनियोग का 11.72 प्रतिशत थी। जबकि वर्ष 2015-16 में एम.ओ.ई.एस. में 18.14 प्रतिशत का उल्लेखनीय अव्ययित बजट था, वर्ष 2016-17 में एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर. में 27.09 प्रतिशत का उल्लेखनीय अव्ययित बजट था।

कुल बचत ₹ 7,378 करोड़ में से, अधिकतम एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर. (27.09 प्रतिशत) तथा एम.एन.आर.ई. (22.44 प्रतिशत) में थे।

1.5 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा

नौ वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के अंतर्गत 14 स्वायत्त निकाय हैं जिनके लेखों पर पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस.ए.आर.) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) एवं 20(1) के अंतर्गत तैयार किए जाने हैं। इन 14 स्वायत्त निकायों को 2016-17 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान, ₹ 5,421.84 करोड़ (पूर्ववर्ती वर्ष के अव्ययित अनुदानों को शामिल करते हुए) था, जैसा कि विस्तार से तालिका 1.2 में दिया गया है।

तालिका 1.2 : केन्द्रीय स्वायत्त निकायों को जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

स्वायत्त निकाय	मंत्रालय/विभाग	2016-17 के दौरान जारी की गई अनुदान की राशि
1) विज्ञान एवं अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	767.00
2) श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुवनन्तपुरम	डी.एस.टी.	160.93
3) प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली	डी.एस.टी.	30.30
4) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली	डी.एस.आई.आर.	589.87
5) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	3.70
6) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	10.93
7) राष्ट्रीय जैव विवधता प्राधिकरण, चेन्नई	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	18.69
8) राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	7.41
9) भारतीय वन्य जीव संस्थान, देहरादून*	एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	26.50
10) बेतवा नदी बोर्ड, झांसी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	26.10
11) ब्रह्मपुत्र बोर्ड, गुवाहाटी	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	71.39
12) नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	21.68
13) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	3,612.51
14) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी, नई दिल्ली	एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	74.83
कुल		5,421.84

स्रोत: स्वायत्त निकायों के 2016-17 के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन/वार्षिक लेखे

*वर्ष 2016-17 से आगे के खातों की लेखापरीक्षा को सौंपा जाना प्रतिक्षित है।

इसके अतिरिक्त, सी.&ए.जी. (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत स्वायत्त निकायों की अनुपालन लेखापरीक्षा भी की जाती है। 56 स्वायत्त निकायों को वर्ष 2016-17 के दौरान जारी किया गया कुल अनुदान ₹ 4,265.67 करोड़ था। विवरण **परिशिष्ट I** में दिया गया है।

1.5.1 लेखों की प्रस्तुति में विलम्ब

सभा पटल पर रखे गए दस्तावेजों से संबंधित समिति का अपना प्रथम प्रतिवेदन (पाँचवीं लोकसभा) 1975-76 तथा सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.) 2017 का नियम 237 यह बताता है कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात, प्रत्येक स्वायत्त निकाय को अपने लेखों को तीन महीने की अवधि के अंदर पूर्ण कर लेना चाहिए और उनको लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध करवाना चाहिए और वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा किए गए लेखों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के अंतर्गत संसद के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

14 स्वायत्त निकायों में से तीन स्वायत्त निकायों¹ ने एक महीने या अधिक के बाद वर्ष 2016-17 के लिए उनके लेखे प्रस्तुत किए।

1.6 बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

मंत्रालयों और विभागों को अनुदानियों जैसे कि वैधानिक निकायों, गैर-सरकारी संस्थानों इत्यादि से अनुदानों की उपयोगिता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना जरूरी है, जो इंगित करे कि अनुदानों को जिन उद्देश्यों के लिए स्वीकृत किया गया था, उन्हीं के लिए इनका उपयोग किया गया था और जहां अनुदान सशर्त थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति की गई। नौ मंत्रालयों/विभागों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मार्च 2016 तक दिए गए अनुदानों के संबंध में, कुल ₹ 22,421.79 करोड़ के 65,182 उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यू.सी.) जो कि मार्च 2017 तक देय थे, प्राप्त नहीं हुए थे, जिन्हें तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

¹ प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड, नई दिल्ली; राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नई दिल्ली तथा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, इंदौर।

तालिका 1.3 : बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की स्थिति 31 मार्च 2017 तक

मंत्रालय/विभाग	मार्च 2016 तक जारी अनुदान के लिए			
	संख्या	कुल बकाया यू.सी. के हिस्से का प्रतिशत	राशि (₹ करोड़ में)	कुल बकाया यू.सी. से संबंधित राशि के हिस्से प्रतिशत
1) डी.ए.ई.	1865	2.9	172.57	0.8
2) डी.बी.टी.	21,043	32.3	5,589.65	24.9
3) डी.एस.टी.	35,224	54.0	10,427.01	46.5
4) डी.एस.आई.आर.	869	1.3	1,373.27	6.1
5) डी.ओ.एस.	261	0.4	11.97	0.1
6) एम.ओ.ई.एस.	857	1.3	240.80	1.1
7) एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.	4,027	6.2	469.62	2.1
8) एम.एन.आर.ई.	769	1.2	1,845.14	8.2
9) एम.ओ.डब्ल्यू.आर.आर.डी. एंड जी.आर.	267	0.4	2,291.76	10.2
कुल	65,182	100.00	22,421.79	100

उक्त तालिका से देखा जा सकता है कि बकाया यू.सी. की अधिकतम संख्या, डी.एस.टी. और डी.बी.टी. से संबंधित है।

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की मंत्रालय/विभागवार स्थिति **परिशिष्ट II** में दी गई है। विलम्ब की अवधि के संबंध में पांच साल से अधिक के लिए बकाया यू.सी. की अधिकतम संख्या और मूल्य, डी.एस.टी. में देखे गए।

1.7 विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम-प्रोफॉर्मा लेखों की स्थिति

सामान्य वित्तीय नियम, 2005 के नियम 84 में निर्धारित है कि वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम ऐसे सहायक लेखे और प्रोफॉर्मा लेखे तैयार करेंगे, जैसा कि सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह से निर्धारित किए गए हों। इसमें उपयुक्त विनिर्माण, लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट शामिल है।

31 मार्च 2017 तक वाणिज्यिक या अर्द्ध-वाणिज्यिक प्रकृति के डी.ए.ई. के तहत दो विभागीय तौर पर प्रबंधित सरकारी उपक्रम अर्थात् नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद (एन.एफ.सी.) तथा भारी पानी बोर्ड, मुंबई (एच.डब्ल्यू.बी.) थे। इन उपक्रमों के वित्तीय

परिणाम प्रोफॉर्मा लेखे जिसमें सामान्यतया ट्रेडिंग लेखा, लाभ एवं हानि लेखा और तुलन पत्र शामिल हैं, के द्वारा प्रतिवेदित किए जाते हैं।

2010-11 तक के वर्ष के लिए एन.एफ.सी. के प्रोफॉर्मा लेखों की लेखापरीक्षा पूर्ण हो गई थी। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए प्रोफॉर्मा लेखे अपूर्ण पाए गए क्योंकि इसमें डी.ए.ई. ने आयातित ईंधन की दर को शामिल नहीं किया था। इस मामले को डी.ए.ई. के सामने लाया गया तथा अगस्त 2017 तक इस संदर्भ में निर्णय प्रतीक्षित था। 2012-13 तक की अवधि के लिए एच.डब्ल्यू.बी. के प्रोफॉर्मा लेखे, लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त हुए। इसके बाद के वर्षों के लेखे, लेखापरीक्षा के लिए प्राप्त नहीं हुए।

1.8 केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी समझे जाने वाली कंपनी भी शामिल है) के तहत स्थापित सरकारी कंपनियों के खातों की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(16) के तहत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सी. एण्ड ए.जी.) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम के तहत सी एण्ड एजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट) द्वारा प्रमाणित खाते सी. एण्ड ए.जी. की पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियाँ वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक हैं। इसके अलावा, यह कंपनियाँ सी. एण्ड ए. जी. द्वारा लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्यों, अधिकार और सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19-ए के प्रावधानों के तहत निगम या सरकारी कंपनी के खातों के संबंध में रिपोर्ट सी. एण्ड ए. जी. द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

वर्ष 2016-17 के लिए नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के तहत 25 सी.पी.एस.ई. थे जिनकी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत लेखापरीक्षा की गई। इन कंपनियों की एक सूची **परिशिष्ट III** में दी गई है।

1.9 हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं को अपलिखित/माफ करना

सात मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रस्तुत 2016-17 के दौरान अपलिखित/माफ की गई हानियों और न वसूल हो सकने वाली देयताओं को इस प्रतिवेदन के **परिशिष्ट IV** में दिया गया है। डी.ए.ई. और डी.ओ.एस. में, ₹ 16.96 लाख की कुल राशि को 30 मामलों में 'अन्य कारणों' के लिए अपलिखित किया गया।

1.10 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर मंत्रालयों/विभागों का प्रत्युत्तर

लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सी&ए.जी. के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफों के प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजने के निर्देश सभी मंत्रालयों को जून 1960 में निर्गमित किए थे। यह समय-सीमा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा निर्मित लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 के पैरा 207(1) के अंतर्गत भी निर्धारित की गई है।

प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा जाँचों की ओर उनका ध्यान दिलाने के लिए प्रेषित किया जाता है और उनसे निवेदन किया जाता है कि वे अपने प्रत्युत्तर छह सप्ताह के भीतर भेजें। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तावित प्रारूप पैराग्राफों को संबंधित सचिवों को जून 2017 और नवम्बर 2017 के बीच उनको व्यक्तिगत रूप से संबोधित पत्रों के माध्यम से प्रेषित किया गया था।

इस प्रतिवेदन में 20 पैराग्राफ हैं। केवल तीन पैराग्राफों के संबंध में, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से उत्तर प्राप्त हुए थे। प्राप्त प्रत्युत्तर प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से सम्मिलित किए गए हैं।

1.11 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

लोक लेखा समिति ने 22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपनी नवीं रिपोर्ट (ग्याहरवीं लोकसभा) में अनुशंसा की थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त होने वाले वर्ष के उपरांत की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा पुनरीक्षित कृत कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए.टी.एन.) संसद में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के चार महीनों के भीतर उन्हें प्रस्तुत की जाए।

वैज्ञानिक एवं पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों से संबंधित सी.&ए.जी. के प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफों पर बकाया ए.टी.एन. की समीक्षा से पाया गया कि 31 दिसम्बर 2017 तक छः मंत्रालयों/विभागों से कुल सात ए.टी.एन. (विवरण **परिशिष्ट V-क** में) पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए थे। इसके अलावा, तीन मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सी.पी.एस.ई. से संबंधित दो ए.टी.एन. पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए थे (विवरण **परिशिष्ट V-ख** में)। साथ ही, दिसम्बर 2017 तक सात मंत्रालयों/विभागों के 39 पैरा से संबंधित पुनरीक्षित ए.टी.एन. भी आठ महीनों तक की अवधि से लंबित थे (**परिशिष्ट VI**)।

अध्याय - II

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट का पुनरीक्षण

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने परिणामी बजट के निर्माण के लिए मापदण्डों पर सरकारी निर्देशों का पालन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप परिणामी बजट में संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग से प्राप्त सामान्य बचतों, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की अद्यतन स्थिति तथा राज्यों एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के पास गैर-प्रयुक्त शेषों पर सूचना का गैर-समावेशन रहा। एम.एन.आर.ई. तथा राज्य नोडल एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई, जो मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त कार्यक्रमों पर सूचना के रूप में परिणामी बजट को अविश्वसनीय बनाता है।

2.1 प्रस्तावना

परिणामी बजट, जो भारत सरकार में 2005-06 के बजट से आरंभ किया गया था, मुख्य तौर पर वित्तीय बजटों के भौतिक आयामों तथा गत वर्षों में भौतिक निष्पादन पर संकेत करता है। परिणामी बजट न केवल मध्यवर्ती भौतिक परिणामों, जो कि आसानी से मापने योग्य हैं, पर परिकल्पित नजर रखता है बल्कि, परिणामों पर भी, जो कि बजटीय हस्तक्षेप का अंतिम उद्देश्य है। परिणामी बजट, संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग, अल्प/गैर-उपयोगिता अर्थात् परियोजना/योजना के क्रियान्वयन में विलम्ब या गैर-कार्यान्वयन तथा समर्पण के कारण बचतों से प्राप्त/उत्पन्न सामान्य बचतों की सूचना को भी समाहित करेगा। जैसा कि अध्याय 1 की तालिका 1.1 में दर्शाया गया है, वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 9,997.8 करोड़ के बजट आवंटन के विपरीत ₹ 7,754.1 करोड़ की राशि व्यय की गई जिससे बजट का 22.44 प्रतिशत अव्ययित रहा।

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परिणामी बजट की समीक्षा निम्न को जांचने के उद्देश्यों के साथ संचालित की गई:-

- क. क्या परिणामी बजट के निर्माण के लिए लागू कानून, इसके अंदर बनाए गए नियम व विनियम तथा सक्षम प्राधिकरण द्वारा जारी विविध निर्देशों और आदेशों का अनुपालन किया गया; और
- ख. क्या भौतिक लक्ष्यों की रिपोर्टिंग में विसंगतियां थी तथा क्या आंकड़े विश्वसनीय थे।

परिणामी बजट के विश्लेषण के लिए चयनित अवधि वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 थी। मंत्रालय 26 भिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं को समर्थन करता है जिनमें दो योजनाएं पवन ऊर्जा हेतु, एक योजना (पांच उप योजनाएं) लघु हाइड्रोपावर (एस.एच.पी.), 13 योजनाएं सौर ऊर्जा हेतु, पांच योजनाएं जैव-ऊर्जा हेतु, दो योजनाएं ऊर्जा की पहुँच हेतु तथा तीन योजनाएं सहायता कार्यक्रमों हेतु समाहित हैं।

इनमें से, दो योजनाओं/कार्यक्रमों अर्थात् एस.एच.पी. तथा बायोमास ऊर्जा/बगास सह-उत्पादन को परिणामी बजट के विस्तृत विश्लेषण हेतु चयनित किया गया।

2.2 लेखापरीक्षा प्राप्तियां

लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.1 सरकारी निर्देशों से विचलन

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) के द्वारा परिणामी बजट 2016-17 की तैयारी हेतु मार्गनिर्देशों के अनुसार, परिणामी बजट की तैयारी हेतु वृहत् प्रारूप निम्न प्रकार था:

- क. कार्यकारी सार
- ख. प्रस्तावना
- ग. बजट प्राक्कलन का विवरण
- घ. सुधार उपाय तथा नीति पहल
- ङ. पिछले निष्पादन की समीक्षा
- च. वित्तीय समीक्षा
- छ. वैधानिक एवं स्वायत्त निकायों के निष्पादन की समीक्षा

एम.एन.आर.ई. द्वारा निर्मित परिणामी बजट 2016-17 की नमूना जांच में एम.ओ.एफ. द्वारा जारी मार्गनिर्देशों से निम्न विचलन उजागर हुए।

2.2.1.1 कार्यकारी सार का गठन न होना

एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों के अनुसार, कार्यकारी सार में, वर्ष के दौरान भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की नियमित रूप से निगरानी करने के लिए मंत्रालय/विभाग द्वारा स्थापित निगरानी तंत्र तथा लोक सूचना प्रणाली का विवरण प्रमुखता से उजागर किया जाना चाहिए तथा जन सामान्य को सूचित किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि कार्यकारी सार, एम.ओ.एफ. मार्गनिर्देशों में निर्धारित के अनुरूप गठित नहीं था।

चयनित योजनाओं अर्थात् बायोमास एवं एस.एच.पी. परियोजनाओं के संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजनाओं की प्रगति की स्थिति नियमित रूप से जांचने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था। किसी प्रकार के निश्चित निगरानी तंत्र की

अनुपस्थिति से मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में पैरा 2.2.2 तथा 2.2.3 में चर्चा के अनुसार विसंगतियां पाई गईं।

2.2.1.2 मापदण्डों/मार्गनिर्देशों का पालन नहीं होना

परिणामी बजट 2016-17 की तैयारी हेतु मार्गनिर्देश, विभिन्न मापदण्डों को निश्चित/निर्धारित करता है जिन पर परिणामी बजट बनाया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट में निम्न तालिका 2.1 में दर्शाये अनुसार निश्चित मापदण्डों पर निरीक्षणों/सूचनाओं को संकलित नहीं किया गया।

तालिका 2.1: परिणामी बजट के विविध मापदण्डों के अनुपालन की स्थिति

क्रम सं.	परिणामी बजट के मापदण्ड	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	मंत्रालयों के जवाब तथा लेखापरीक्षा अवलोकन
1.	राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास गैर-प्रयुक्त शेष तथा बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों (यू.सी.) की स्थिति, परिणामी बजट में दर्शाई जानी थी।	वित्तीय पुनरीक्षण के अंतर्गत, एम.एन.आर.ई. ने केवल लम्बित यू.सी.एस. के वित्तीय वर्षवार ब्यौरे को दर्शाया और राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियों/योजनावार ब्यौरे को दर्शाया नहीं था। 2016-17 के परिणामी बजट में दर्शाई गई लम्बित यू.सी. की स्थिति को केवल 2013-14 तक ही अद्यतन किया गया था ना कि 2015-16, जैसा कि एम.एन.आर.ई. के भुगतान एवं लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) के पास उपलब्ध था। परिणामी बजट के अनुसार, 360 यू.सी. 2013-14 तक लम्बित दर्शाये गये हैं, जबकि एम.एन.आर.ई. के पी.ए.ओ. से प्राप्त सूचना के अनुसार, 627 यू.सी.एस. 2015-16 तक की अवधि के लिए लम्बित थे।	एम.एन.आर.ई. ने बताया (जुलाई 2016) कि योजनावार, एजेंसीवार तथा आयुवार यू.सी. को लेने और निगरानी हेतु एक प्रणाली थी। <i>लेखापरीक्षा अवलोकन:</i> तथ्य यह रहा कि यू.सी.एस. की योजनावार स्थिति यद्यपि उपलब्ध थी, को परिणामी बजट में प्रतिबिम्बित नहीं किया गया था।
2.	मंत्रालय को विशेषज्ञ एजेंसियों की सहायता से प्रासंगिक डाटा के एकत्रीकरण के लिए प्रणाली विकसित करनी थी।	जैसा कि पैरा 2.2.2 तथा 2.2.3 में वर्णित किया गया है, परियोजना के प्रवर्तन से संबंधित एम.एन.आर.ई. तथा राज्य नोडल एजेंसियों के डाटाबेस में विसंगतियां पाई गईं। यह दर्शाता है कि एम.एन.आर.ई. ने डाटा	उत्तर प्रतीक्षित था।

क्रम सं.	परिणामी बजट के मापदण्ड	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	मंत्रालयों के जवाब तथा लेखापरीक्षा अवलोकन
		एकत्रित करने हेतु प्रभावी प्रणाली नहीं स्थापित की थी।	
3.	परिणामी बजट में, संसाधनों के मितव्ययी प्रयोग, योजना/परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब अल्प/गैर-उपयोगिता के कारण बचत तथा अप्रचलित/निर्जीव परियोजना/योजना के कारण बचत या परियोजना/योजना के समापन के कारण निधियों (और निधियों की आवश्यकता नहीं है), से परिणामतः सामान्य बचतों के बारे में सूचना संकलित होनी चाहिए।	वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान, क्रमशः ₹539 करोड़, ₹58 करोड़ तथा ₹ 2,244 करोड़ की बचते दृढ़ थी। विनियोग लेखों (2014-15) के अनुसार, बचतों के लिए कारण, पर्याप्त प्रस्तावों की गैर-प्राप्ति, पूर्णता प्रमाणपत्रों के गैर-प्रस्तुतिकरण, संशोधित अनुमान (आर.ई.) स्तर पर कमी इत्यादि के कारण बताया गया। तथापि, ऐसी कोई सूचना 2016-17 के परिणामी बजट में वर्णित नहीं की गई।	एम.एन.आर.ई. ने बताया (जून 2017) कि व्यय की समय-समय पर समीक्षा की गई तथा बजट का विनियोग पुनर्विनियोग उसके अनुसार प्रारंभ किया गया। <i>लेखापरीक्षा अवलोकन:</i> तथ्य यह रहता है कि बचत पर सूचना को परिणामी बजट में नहीं प्रतिबिम्बित किया गया जैसा आवश्यक था।

2.2.2 लघु जल शक्ति कार्यक्रम

मंत्रालय के उद्देश्यों में एक, 12^{वीं} योजना के अंत तक लगभग 7,000 एम.डब्ल्यू. के लघु हाइड्रो पावर (एस.एच.पी.)² की कुल स्थापित क्षमता को प्राप्त करना था। इस उद्देश्य हेतु, एस.एच.पी. कार्यक्रम का ध्यान उपकरणों की लागत कम करने इसकी विश्वसनीयता में बढ़ोतरी तथा क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना जो कि क्षमता उपयोगिता के मामले में उच्चतम लाभ/फायदे देता है, पर केन्द्रित है। एम.एन.आर.ई. ने एस.एच.पी. की क्षमता क्षेत्रों के डाटाबेस का सृजन किया तथा 25 एम.डब्ल्यू. तक परियोजनाओं के लिए 19,749.44 एम.डब्ल्यू. की कुल क्षमता के साथ 6,474 क्षमता क्षेत्रों की पहचान की गई है।

एम.एन.आर.ई., राज्य सरकार के साथ ही साथ निजी, सहकारी तथा संयुक्त क्षेत्रों को नए एस.एच.पी. परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए, एस.एच.पी. के लिए नवीन स्थलों की पहचान के लिए संसाधन आकलन तथा समर्थन तथा सरकारी क्षेत्र में मौजूदा

² 25 एम डब्ल्यू तक प्रति स्टेशन क्षमता की जल शक्ति परियोजनाएं।

एस.एच.पी. परियोजनाओं के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.)³ प्रदान करती है।

2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान एस.एच.पी. के अंतर्गत परिव्यय तथा वास्तविक व्यय को नीचे तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: एस.एच.पी. के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य तथा उपलब्धियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय	वास्तविक व्यय
2012-13	159.00	158.93
2013-14	123.18	122.82
2014-15	108.00	107.99
2015-16	105.05	104.99
2016-17	125.00	124.70


लेखापरीक्षा ने एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट में दिखाए गए प्रदेशों के आकलन, एस.एच.पी. के निष्पादन की जानकारी तथा परियोजनाओं की समीक्षा में कमियां देखी जिनकी चर्चा निम्न है।

2.2.2.1 मात्रात्मक प्रदेय/अनुमानित भौतिक निर्गम (लक्ष्य)

परिणामी बजट के अनुसार, 2012-13 और 2013-14 के लिए मात्रात्मक प्रदेय क्रमशः 350 एम.डब्ल्यू. तथा 300 एम.डब्ल्यू. था जबकि 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 प्रत्येक के लिए यह 250 एम.डब्ल्यू. था। तथापि, वित्तीय वर्ष के लिए मात्रात्मक प्रदेय (लक्ष्य तय करना) के आकलन का आधार अभिलेख में उपलब्ध नहीं था। निर्धारित लक्ष्य के प्रति एम.एन.आर.ई. की उपलब्धियां चार्ट 2.1 में दर्शाई गई है।

³ विभिन्न श्रेणियों के प्रोजेक्टों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.), एक विशेष क्षेत्र को प्रोत्साहित/विकसित के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता अनुदान के रूप में दिया जाता है।

चार्ट 2.1 : 2012-17 के लिए लक्ष्य तथा उपलब्धियां



स्रोत: एम.एन.आर.ई. की वेबसाइट और परिणामी बजट के अनुसार लक्ष्य एवं प्राप्ति/उपलब्धियां

चार्ट से देखा जा सकता है कि 2014-15 के अतिरिक्त, एम.एन.आर.ई. वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक के किसी भी वर्ष में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ था। लक्ष्य प्राप्ति में कमी 2012-13 में 32 प्रतिशत, 2013-14 में 43 प्रतिशत 2015-16, 12 प्रतिशत और 2016-17 में 58 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि मंत्रालय ने आगामी वर्ष 2016-17 के लिए निर्धारित लक्ष्य को 250 एम.डब्ल्यू. से 150 एम.डब्ल्यू. तक संशोधित किया। तथापि, तब भी संशोधित लक्ष्य की प्राप्ति में 29 प्रतिशत की कमी थी। यह स्पष्ट था कि लक्ष्यों को सभी प्रासंगिक तथा प्रत्याशित कारकों को ध्यान में रखकर एक यथार्थवादी तरीके में निर्धारित नहीं किया गया था। अतः लक्ष्य, उपलब्धि के माप या मूल्यांकन हेतु व मानक प्रदान करने के उनके उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सके।

एम.एन.आर.ई. ने बताया (अगस्त 2017) कि एस.एच.पी. परियोजनाओं का वास्तविक कार्यान्वयन, राज्य नीतियों तथा गतिविधियों द्वारा शासित किया जाता है जैसा कि एस.एच.पी. परियोजनाओं को स्थापित करने का निर्णय, निजी विकासकों से बोलियों का आमंत्रण, परियोजनाओं का आबंटन, विविध अनुमतियां भूमि अधिग्रहण इत्यादि सभी संबंधित राज्य सरकार द्वारा की जाती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एस.एच.पी. की निर्माण अवधि, (सामान्यतः लम्बी होती है) नदी/प्रवाह में निर्माण तथा पर्वतीय व दूरस्थ क्षेत्रों में अवस्थिति/स्थान तथा अप्रत्याशित परिस्थितियों जैसे बारम्बार भूस्खलन ढलान विफलता भूवैज्ञानिक आश्चर्य, बर्फबारी या दीर्घकालिक मानसून के कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया गया। पर्याप्त निष्क्रमण सुविधाओं की गैर-उपलब्धता से भी परियोजना की शुरुआत की प्रक्रिया में देरी हुई। एम.एन.आर.ई. ने आगे बताया

(अगस्त 2017) कि भौतिक लक्ष्यों को निधियों के वार्षिक आबंटन के आधार पर प्रत्येक वर्ष पुनः मिलान/संशोधित किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि परियोजना के कार्यान्वयन और दिए जाने के लिए लक्ष्यों का आकलन, राज्य सरकार तथा अन्य सीमित करने वाले कारको द्वारा सांविधिक मंजूरी की प्राप्ति जैसे सभी प्रत्याशित कारको को ध्यान में रखना समाहित था, सभी प्राथमिक एजेंसियों/विभागों के परामर्श से एक यथार्थवादी तरीके में तैयार किया जाना आवश्यक था।

2.2.2.2 चालू की गई एस.एच.पी. परियोजना के डाटा में विसंगतियां

2014-17 के दौरान महाराष्ट्र एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (एम.ई.डी.ए.) द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के रिकार्ड/आंकड़ों का नमूना जांच में एम.ई.डी.ए. तथा एम.एन.आर.ई. द्वारा प्रदान रिकार्ड के मध्य विसंगतियां पाई गईं जैसा कि नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: वर्ष 2014-17 के दौरान शुरू की गई एम.ई.डी.ए. तथा एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुरक्षित एस.एच.पी. परियोजनाओं का विवरण

वित्तीय वर्ष	एम.ई.डी.ए. का विवरण		एम.एन.आर.ई. का विवरण	
	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)
2014-15	1. वज्रा III एच.ई.पी.	1.50	फाटकवाड़ी, कोल्हापुर	8.00
	2. पेंच कमाठी खरी एल.बी.सी. एच.ई.पी.	4.40		
कुल		5.90		8.00
2015-16	1. निलवांडे निम्न स्तर एच.ई.पी. तालुका : अकोले, जिला अहमदनगर	7.00	1. मुकाने, नासिक	1.45
	2. बारवी एच.ई.पी. (4.5 एम.डब्ल्यू.), जिला थाने	4.50	2. वाघुर, जलगांव	1.50
	3. हेतावाने एच.ई.पी. तालुका: पेन जिला रायगढ़	1.50		
	4. उरमोदी, ए/पी अम्बावाडे, सतारा	3.00		
कुल		16.00		2.95
2016-17	1. वाघुर, जलगांव	1.50	1. हेतावाने, रायगढ़ 2. मुल्ला बाँध राउरी, अहमदनगर	1.50 4.80
	2. चिकोतरा, कोल्हापुर	1.80		
	3. कानहेर लेफ्ट बैंक, सतारा	1.20		
कुल		4.50		6.30

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

एम.ई.डी.ए. तथा एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुरक्षित किए गए डाटाबेस में अंतर के परिणाम में क्रमशः 2014-15 तथा 2016-17 के दौरान 2.1 एम.डब्ल्यू. तथा 1.80 एम.डब्ल्यू. की अति उपलब्धि का चित्रण हुआ तथा परिणामी बजट 2016-17 में दर्शाए गए एस.एच.पी. के स्थिति में 13.05 एम.डब्ल्यू. की अल्प उपलब्धि हुई। वास्तव में, दो एस.एच.पी. नामतः वाघुर (जलगांव) तथा हेतावाने (रायगढ़) के सिवाय दो सेटो में उपलब्ध डाटा का विवरण समीक्षा के अंतर्गत तीन सालों में किसी में भी मेल नहीं खाता।

समान रूप से, 2014-17 के दौरान पंजाब एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (पी.ई.डी.ए.) की चालू परियोजनाओं का रिकार्ड/डाटा के नमूना जांच में भी, जैसे कि पी.ई.डी.ए. एवं एम.एन.आर.ई द्वारा अनुरक्षित किया गया, चालू परियोजना की संख्या में विसंगतियां पाई गईं जैसा कि तालिका 2.4 में नीचे बताया गया है:

तालिका 2.4: वर्ष 2014-17 के दौरान चालू पी.ई.डी.ए./एम.एन.आर.ई. द्वारा अनुरक्षित एस.एच.पी. परियोजना का विवरण

वित्तीय वर्ष	पी.ई.डी.ए. का विवरण		एम.एन.आर.ई. का विवरण	
	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)
2014-15	1. सिद्धावन हाइड्रो पावर प्राइवेट लिमिटेड सिद्धावन, लुधियाना	0.70	शून्य	-
	2. अटलांटिक पावर (फूला) प्राइवेट लिमिटेड भटिंडा	0.60		
कुल		1.30		0
2015-16	शून्य		1. लुधियाना एस.एच.पी.	0.70
			2. फूला एस.एच.पी.	0.60
			3. आर.डी. 14350	6.00
			4. आर.डी. 20500	3.80
			5. बीबीवाला	0.40
			6. कुंजर	2.00
कुल		0		13.50
2016-17	1. एस.के.आर. हाइड्रो पावर परियोजना जेनरेटर प्राइवेट लिमिटेड, भटिंडा, बीबीवाला	0.40	शून्य	-
	2. गिल एक्वा हाइड्रो पावर जेनरेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड माधोपुर आर.डी. 14350 संयुक्त	6.00		

वित्तीय वर्ष	पी.ई.डी.ए. का विवरण		एम.एन.आर.ई. का विवरण	
	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)	परियोजना	क्षमता (एम.डब्ल्यू.)
	3. गिल एक्वा हाइड्रो पावर जेनरेशन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड माधोपुर आर.डी. 20500 पठानकोट	3.80		
कुल		10.20		0

इस प्रकार, 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान वास्तविक भौतिक निर्गमों (लक्ष्य), परिणामी बजट में क्रमशः 1.30 एम.डब्ल्यू. तक अल्पकथित, 13.50 एम.डब्ल्यू. तक अतिकथित तथा 10.20 एम.डब्ल्यू. तक अल्पकथित था।

एम.एन.आर.ई. तथा राज्य एजेंसियों द्वारा अनुरक्षित आंकड़ों में विसंगतियां परिणामी बजट के निर्माण के लिए आंकड़ों के संकलन और एकत्रण की व्यवस्था में कमी को दर्शाती/संकेत करती है। स्पष्ट रूप से, परिणामी बजट में दर्शाए गए डाटा की सटिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

एम.एन.आर.ई. ने बताया (अगस्त 2017) कि एम.एन.आर.ई. द्वारा रिपोर्ट के अनुसार तथा परियोजना विकासकों द्वारा सूचना के अनुसार परियोजना भौतिक रूप से पूर्ण हो गया था। तथापि, परियोजना का प्रारंभ होना/निष्पादन जांच बाद के स्तरों पर किया गया होगा। एम.एन.आर.ई. तथापि इस बात पर सहमत था कि भविष्य में केवल चालू परियोजना ही रिपोर्ट किए जाएंगे। एम.एन.आर.ई. ने आगे बताया कि एस.एच.पी. में राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं थे और निधियों के आबंटन के आधार पर भौतिक लक्ष्य प्रत्येक वर्ष पुनः मिलान/संशोधित किए गए थे।

इस प्रकार, मंत्रालय की गतिविधियों के परिणामों और मापने योग्य निर्गमों के एक सूचक के रूप में परिणामी बजट के उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किए गए।

2.2.3 खोई सह-उत्पादन एवं बायोमास ऊर्जा

निजी क्षेत्र परियोजना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.), परियोजना की जांच तथा वाणिज्यिक उत्पादन के घोषणा एवं सफल प्रारंभ के बाद निर्गत कर दी गई। बी.ओ.ओ.टी./बी.ओ.एल.टी. माडल के माध्यम से राज्य सरकार उपक्रम/राज्य सरकार संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा कार्यान्वित सहायक/निजी क्षेत्र सुगर मिल में खोई सह-उत्पादन परियोजनाओं तथा सहायक/निजी क्षेत्र चीनी मिलों द्वारा सह-उत्पादन परियोजनाओं के मामले में, योग्य सी.एफ.ए. का 50 प्रतिशत अग्रिम प्रदान की गई तथा शेष 50 प्रतिशत परियोजना के सफल प्रारंभ तथा निष्पादन जांच के पश्चात निर्गत की जानी थी।

2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान एस.एच.पी. के अंतर्गत वित्तीय व्यय और वास्तविक खर्च नीचे तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: खोई सह-उत्पादन एवं बायोमास ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धियां


(₹ करोड़ में)

वर्ष	व्यय (आर.ई.)	वास्तविक व्यय
2012-13	81.00	63.87
2013-14	34.54	34.53
2014-15	25.00	25.00
2015-16	29.00	28.03
2016-17	17.00	10.29

2.2.3.1 चालू परियोजना हेतु निगरानी एवं आंकड़ा एकत्रीकरण तंत्र

एम.एन.आर.ई. ने चालू परियोजना के आंकड़ा एकत्रीकरण एवं निगरानी हेतु तंत्र स्थापित नहीं किया। लेखापरीक्षा ने एम.एन.आर.ई. एवं एस.एन.ए. के बीच आंकड़ों की विसंगतियां पाई। निर्धारित लक्ष्यों एवं वास्तविक लक्ष्यों के प्रति परिणामी बजट में वर्णित उपलब्धियों को चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: वर्ष 2012-17 के दौरान लक्ष्य एवं उपलब्धियां/प्राप्तियां



टिप्पणी: 2014-15 एवं 2015-16 (फरवरी 2016) के लिए उपलब्धियां परिणामी बजट से तथा 2016-17 के लिए एम.एन.आर.ई. की वेबसाइट से हैं।

इस प्रकार, वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के लिए परिणामी बजट में एम.एन.आर.ई. द्वारा रिपोर्ट की गई उपलब्धियां अधिक दिखाई गई थी। लक्ष्यों की उपलब्धि में वास्तव में कमी वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 238.05 एम.डब्ल्यू., 2015-16 में 95.15 एम.डब्ल्यू. तथा 2014-15 में 104.33 एम.डब्ल्यू. थी।

लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमी यह सुझाता है कि एम.एन.आर.ई. ने वास्तविक तरीके में अपने लक्ष्यों को नहीं आंका, तथा पूर्व वित्तीय वर्ष (2014-15) के लक्ष्य को आगामी वित्त वर्ष (2015-16 एवं 2016-17) के लिए उसके प्रति उपलब्धि को विचार में लाए बिना दोहराया गया था। आगे, एम.एन.आर.ई. में अभिरक्षित दस्तावेज के अनुसार डाटा तथा एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट/वेबसाइट में वर्णित उपलब्धियों के डाटा के बीच में विसंगतियों ने एम.एन.आर.ई. द्वारा उसके परिणामी बजट में सूचित आंकड़ों की यथार्थता पर संशय किया है।

2.3 निषकर्ष

एम.एन.आर.ई. ने परिणामी बजट की तैयारी के लिए मापदण्डों पर विद्यमान निर्देशों से विचलन किया। एम.एन.आर.ई. के परिणामी बजट में संसाधनों के मितव्ययी उपयोग के परिणामतः सामान्य बचतों, बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की वर्तमान स्थिति तथा राज्यों व कार्यान्वयन एजेंसियों से गैर-व्यय के बारे में सूचना नहीं दी। आंकड़ों में विसंगतियां थी जिससे निर्मित वित्तीय व्यय से निर्गम को माप करने के एक यंत्र के रूप में परिणामी बजट की उपयोगिता को अशक्त किया।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय - III

परमाणु ऊर्जा विभाग

3.1 भारी पानी बोर्ड की गतिविधियां

भारी पानी बोर्ड द्वारा बड़ौदा के बंद भारी पानी संयंत्र के विघटन तथा निपटान के निर्णय में देरी एवं तालचर के भारी पानी संयंत्र को बंद करने में देरी के कारण इनके रख-रखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ। 29 परियोजनाओं में एक माह से सात वर्ष से अधिक का समय लंघन तथा पांच परियोजनाओं में ₹ 12.32 करोड़ का लागत लंघन था। ₹ 8.66 करोड़ की लागत से स्थापित ऑक्सिडेशन प्रणाली फीडर गैस की कमी के कारण उपयोग में नहीं लाया जा सका।

3.1.1 प्रस्तावना

परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई.), परमाणु तथा विकिरण तकनीकों के विकास तथा कृषि, औषधि, उद्योग एवं आधारभूत शोध के क्षेत्र में इनके अनुप्रयोग में संलग्न है। परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए डी.ए.ई. के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) द्वारा संचालित दबावयुक्त भारी पानी रिएक्टर (पी.एच.डब्ल्यू.आर.) का उपयोग शामिल है। पी.एच.डब्ल्यू.आर. का एक महत्वपूर्ण घटक भारी पानी⁴ (एच.डब्ल्यू.) है जो पी.एच.डब्ल्यू.आर. द्वारा शुरू में निर्णायकता प्राप्त तथा बाद में संचालन के दौरान मंदक⁵ तथा शीतलक⁶ के रूप में एवं हानियों⁷ की समय-समय पर पूर्ति के लिए आवश्यक है।

डी.ए.ई. के तहत औद्योगिक इकाइयों में से एक, भारी पानी बोर्ड (एच.डब्ल्यू.बी.) भारी पानी के उत्पादन तथा तकनीक के सम्बद्ध क्षेत्रों में शोध एवं विकास गतिविधियों के परिपोषण तथा सुगम करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अधिदेश में भारी पानी संयंत्रों की रचना, अभियांत्रिकी, निर्माण, संचालन तथा रख-रखाव एवं साथ ही साथ नई

⁴ डी₂ओ - ड्यूटेरियम ऑक्साइड

⁵ एक तापीय रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया में जनित न्यूट्रॉन को धीमा करने के लिए मंदक की आवश्यकता है ताकि श्रृंखला प्रतिक्रिया बनाई रखी जा सके।

⁶ विखंडन रिएक्टर में जनित ऊष्मा ऊर्जा को शीतलक हटाता है। विखंडन प्रतिक्रिया में जनित ऊष्मा को द्वितियक शीतलक हल्के पानी तक परिवहन करने के लिए भारी पानी प्राथमिक शीतलक के रूप में प्रयुक्त होता है।

⁷ संचालक के दौरान रिसाव, वाष्पीकरण इत्यादि के कारण भारी पानी के नुकसान को भारी पानी से फिर से भरा जाना होता है।

प्रक्रियाओं का विकास, भारी पानी का नियमित उत्पादन, तकनीकों का विकास तथा बंद नाभिकीय ईंधन चक्र गतिविधियों हेतु आवश्यक विलायकों का उत्पादन शामिल है। एच.डब्ल्यू.बी. ने देश में विभिन्न स्थानों पर सात भारी पानी संयंत्र (एच.डब्ल्यू.पी.) स्थापित किए हैं।

एच.डब्ल्यू.बी. की गतिविधियां की निगरानी एक मंडल द्वारा की जाती है जिसमें 11 सदस्य हैं तथा मुख्य कार्यपालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में है एवं डी.ए.ई., बी.ए.आर.सी., एन.पी.सी.आई.एल., डी.पी.एस.⁸, एच.डब्ल्यू.बी. एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों/प्राध्यापकों का प्रतिनिधित्व है।

2012-13 से 2016-17 की अवधि हेतु एच.डब्ल्यू.बी. का बजट तथा व्यय नीचे तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: 2012-17 हेतु बजट तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
बजट अनुमान	701.05	830.00	936.82	1,032.00	1,123.58
वास्तविक	812.50	864.89	1,053.58	1,025.76	1,066.26
प्रतिशत अंतर	16	4	12	-1	-5

जैसा ऊपर वर्णित है, 2012-13 से 2014-15 के दौरान व्यय बजट अनुमान से चार से 16 प्रतिशत अधिक था तथा 2015-16 से 2016-17 के दौरान बचत बजट अनुमान से एक से पांच प्रतिशत अधिक थी।

एच.डब्ल्यू.बी. ने 10वीं, 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना में संयंत्रों⁹ के रख-रखाव, प्रतिस्थापन और पूर्ण हेतु उपकरणों का क्रय तथा भूमि प्राप्ति से संबंधित 39 परियोजनाओं को कार्यान्वित किया। परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत ₹ 420.43 करोड़ थी जिसके समक्ष मार्च 2017 तक ₹ 266.61 करोड़ अर्थात् 63.4 प्रतिशत का व्यय किया गया।

2012-13 से 2016-17 की अवधि में एच.डब्ल्यू.पी. के प्रबंधन, रख-रखाव तथा संचालन एवं परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जांच के लिए एच.डब्ल्यू.बी. तथा एच.डब्ल्यू.पी. की लेखापरीक्षा की गई। विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु चार कार्यरत संयंत्रों में से दो तथा तीन बंद/निलंबित संयंत्रों को चुना गया। एच.डब्ल्यू.बी. द्वारा निष्पादित 39 परियोजनाओं में से स्तरीकृत क्रमरहित नमूना विधि पर आधारित ₹ 250.77 करोड़ व्यय के 33 चालू/पूर्ण परियोजना चुने गए।

⁸ क्रय एवं भंडारण निदेशालय, डी.ए.ई. की केन्द्रीकृत क्रय इकाई

⁹ सुधार एवं आधुनिकीकरण, अल्प संशोधन, सुरक्षा, पर्यावरण एवं ऊर्जा संरक्षण में सुधार, आयु प्रबंधन तथा प्रणाली उन्नयन आदि।

3.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.2.1 भारी पानी संयंत्रों का प्रबंधन

(क) बंद पड़े संयंत्रों के रखरखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय

(i) भारी जल संयंत्र, बडौदा

एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा को ₹ 34.74 करोड़ की लागत पर 1997 में कमीशन किया गया था तथा फीड सिन्थेसिस गैस हेतु गुजरात राज्य उर्वरक व केमिकल्स लिमिटेड (जी.एस.एफ.सी.) से जोड़ा गया। जी.एस.एफ.सी. के एक कम ऊर्जा सघन नवीन अमोनिया संयंत्र के प्रवर्तन करने से (1998) तथा फीड सिन्थेसिस गैस की गैर-उपलब्धता के परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से प्रभावी, एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा का संचालन रोक दिया गया।

परमाणु उर्जा आयोग (ए.ई.सी.) ने मार्च 2011 में हुई इसकी बैठक में कहा कि एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा में अधिकतर उपकरण, उनकी उपयोगिता जीवन का समय पूरा कर चुके हैं तथा प्रयोज्य संयंत्र/उपकरण को अन्य डी.ए.ई. सुविधाओं हेतु प्रयोग किया जा सकता था, विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार, शेष को रद्दी माल/अधिशेष घोषित किया जाना चाहिए था।

उसके पाँच वर्ष बीतने के पश्चात, एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा ने संयंत्र के टॉवर, पाइपिंग व संरचना सामग्री को गिराने हेतु लागत अनुमान तैयार करने के लिए जून 2016 में एक समिति का गठन किया। कुल निर्माण के 20 प्रतिशत को गिराने तथा उनका निपटान करने व शेष का “जैसा है जहाँ है” आधार पर निपटान हेतु विचार के लिए समिति की संस्तुतियों के आधार पर बोर्ड ने एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा की अधिशेष सामग्री के निपटान व तोड़-फोड़ को मंजूरी दी (सितम्बर 2016)। समिति ने मुख्य संयंत्र तथा फ्रंट एंड यूनिट की विघटन हेतु ₹ 3.60 करोड़ की कुल कीमत का अनुमान लगाया।

तत्पश्चात, बोर्ड ने मार्च 2017 सुझाव दिया कि एक व्यापक निपटान पध्दति अपनाई जानी चाहिए ताकि निराकरण के लिए आवश्यक व्यय निपटाई गई वस्तुओं से अपेक्षित राजस्व उत्पादन की आय से प्राप्त किया जा सके। बोर्ड ने आगे निर्देश दिया कि तोड़-फोड़ तथा संयंत्र के निपटान हेतु प्रस्ताव को ए.ई.सी. को प्रस्तुत करने के लिए डी.ए.ई. को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अक्टूबर 2017 में, ए.ई.सी. ने इसकी 230वीं बैठक में अधिशेष सामग्री के विघटन तथा निपटान को मंजूरी दी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी.ए.ई. ने संयंत्र के टॉवर, पाइपिंग तथा संरचनात्मक सामग्री के निपटान हेतु एक समिति के गठन में पाँच वर्ष लिए। समिति के गठन तथा विघटन व निपटान हेतु निर्णय में इस पाँच वर्ष की देरी की वजह से एच.डब्ल्यू.पी. बडौदा को मुख्य संयंत्र के रखरखाव की ओर, अप्रैल 2011 में इसके समापन से, परिहार्य व्यय

करना जारी रखना पड़ा। अप्रैल 2011 से मार्च 2017 तक मुख्य संयंत्र के रखरखाव के लिए ₹ 13.92 करोड़ की राशि खर्च की गई।

(ii) भारी जल संयंत्र, तालचेर

एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर अप्रैल 1985 में ₹ 73.83 करोड़ की लागत पर स्थापित किया गया था तथा फर्टिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से फीड सिन्थेसिस गैस उपलब्ध करने के लिए जोड़ा गया था। अप्रैल 1994 में, इस संयंत्र का संचालन, अनवरत आधार पर एफ.सी.आई.एल. की ओर से फीड सिन्थेसिस गैसों की गैर उपलब्धता की वजह से निलंबित किया गया। डी.ए.ई. ने 2004 से 2011 की अवधि के दौरान इसके संचालन को फिर से शुरू करने के लिए फ्रंट एंड प्रौद्योगिकी के विकास की संभावना का अन्वेषण किया परंतु इसे तत्पश्चात उत्पादन की उच्च लागत की वजह से त्याग दिया गया।

सितम्बर 2016 में, बोर्ड ने महसूस किया कि एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को फिर से शुरू करना विवेकी नहीं होगा क्योंकि तालचेर में भारी जल उत्पादन हेतु परिनियोजित प्रक्रिया विश्व में कहीं भी प्रयोग नहीं की गई थी तथा संयंत्र, विभिन्न प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाइयों की वजह से अनवरत संचालन प्राप्त नहीं कर सका। तदनुसार यह निर्णय लिया गया कि एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को बंद करने के सम्बन्ध में विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए। एच.डब्ल्यू.बी. द्वारा अक्टूबर 2016 में गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर, बोर्ड ने डी.ए.ई. को एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को बंद करने हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (नवंबर 2016)। अप्रैल 2017 तक प्रस्ताव डी.ए.ई. के पास अनुमोदन के लिए लंबित था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 1994 से फीड सिन्थेसिस गैस की गैर-उपलब्धता के बावजूद तथा अप्रैल 2011 में फ्रंट-एंड प्रौद्योगिकी के नॉन-स्टार्टर साबित होने के बाद भी, संयंत्र को 'बंद' घोषित नहीं किया गया तथा एच.डब्ल्यू.बी. ने संयंत्र के संरक्षण व रखरखाव के लिए व्यय करना जारी रखा। एच.डब्ल्यू.बी. अप्रैल 2011 से मार्च 2017 के बीच संयंत्र के रखरखाव पर ₹ 54.34 करोड़ खर्च कर चुका था।

एच.डब्ल्यू.बी. ने कहा (मार्च 2017) कि एच.डब्ल्यू.बी. बडौदा में, तालचेर में प्रतिष्ठापन तथा इसे पुनः शुरू करने के लिए फ्रंट एंड प्रौद्योगिकी का अध्ययन किया जा रहा था। लेखापरीक्षा ने पाया कि फ्रंट एंड प्रौद्योगिकी एच.डब्ल्यू.बी. बडौदा में असफलतापूर्वक प्रदर्शित की गई जिसे अप्रैल 2011 में उच्च उर्जा खपत तथा अलाभकर संचालन की वजह से ए.ई.सी. द्वारा तब स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अतः एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर के बंद करने में देरी की वजह अस्पष्टीकृत रही।

इस प्रकार, एच.डब्ल्यू.बी. बडौदा के स्पयेर्स के विघटन व निपटान में देरी तथा एच.डब्ल्यू.पी. तालचेर को बंद करने में देरी के परिणामस्वरूप अप्रैल 2011 से मार्च 2017 के बीच दो संयंत्रों के संरक्षण व रखरखाव पर रुपये ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

3.1.2.2 परियोजना प्रबंधन

33 चयनित परियोजनाओं¹⁰ में से 18, पूर्ण व भंडार उपकरण की खरीद, मुख्य मरम्मत, सुधार, रेट्रोफिटिंग से तथा शेष 15 परियोजनाएं विकासीय गतिविधियों से सम्बंधित थी। मार्च 2017 को, 23 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी थी तथा दस चल रही थी।

(क) परियोजनाओं में समय तथा कीमत लंघन

लेखापरीक्षा ने 33 चयनित परियोजनाओं में से 29 के कार्यान्वयन में देरी पाई। इन परियोजनाओं में एक माह से सात वर्ष तक की अवधि की देरी का विवरण नीचे तालिका 3.2 में दिया गया है।

तालिका 3.2: परियोजनाओं में समय लंघन

समय लंघन	परियोजनाएँ
एक वर्ष से कम	4
एक तथा पाँच वर्ष के बीच	24
पाँच वर्ष से ज्यादा	1

परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी का कारण अन्य बातों के साथ - साथ पुनरावृत्त रिटेंडरिंग, विभिन्न स्तरों पर अनुमोदन में देरी, दोषपूर्ण तकनीकी मूल्यांकन तथा प्रस्तावों के प्रभावी अनुसरण में कमी भी है। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि पाँच परियोजनाओं में समय लंघन के परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं में ₹ 12.32 करोड़ का कीमत लंघन हुआ। परियोजनाओं की कीमत में वृद्धि 12 से 40 प्रतिशत के बीच थी। इन परियोजनाओं का विवरण **परिशिष्ट VII(क)** व **परिशिष्ट VII(ख)** में दिया गया है।

(ख) एकीकृत सूचना प्रणाली के सुधार में देरी

परमाणु ऊर्जा विभाग ने इसकी सभी इकाईयों को इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड¹¹ (ई.सी.आई.एल.) को सॉफ्टवेयर विकास से संबंधित आदेश देने का निर्देश दिया (अप्रैल 1996), जहाँ कहीं, यह जरूरतों को पूरा करने की स्थिति में थी।

¹⁰ ₹ 400.03 करोड़ की संस्वीकृत लागत के समक्ष ₹ 250.77 करोड़ का व्यय मार्च 2017 तक किया गया था।

¹¹ परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

एच.डब्ल्यू.बी. तथा पांच एच.डब्ल्यू.पी. में आई.टी. इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मौजूदा एकीकृत सूचना प्रणाली (आई.आई.ए.) एप्लीकेशन साफ्टवेयर में सुधार” परियोजना को ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर डी.ए.ई. ने संस्वीकृति दी (जनवरी 2013)। परियोजना मार्च 2016 तक पूरी की जानी थी। एच.डब्ल्यू.बी. ने मार्च 2013 में निविदा आमंत्रित की। तथापि, अनुमानित लागत तथा ₹ 21 से ₹ 48 करोड़ के बीच की बोली वाली उद्धृत लागत के बीच विशाल अंतर के कारण भारी जल बोर्ड ने फरवरी 2014 में कार्य को पुनः निविदा किया।

इसी बीच, एच.डब्ल्यू.बी. ने अक्टूबर 2013 में शीर्ष समिति के साथ डी.ए.ई. की डी.आई.एम.आई.एस.¹² शीर्षक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु हुई बैठक में सूचना दी कि यह एक नए प्रबंधन सूचना प्रणाली के डिजाइन की प्रक्रिया में था तथा डी.आई.एम.आई.एस. की आवश्यकताएँ इसमें शामिल की जाएगी। इस बैठक में, ई.सी.आई.एल. ने डी.आई.एम.आई.एस. परियोजना के विकास में सहायता प्रदान करने की इसकी इच्छा प्रकट की।

तदनुसार, एच.डब्ल्यू.बी. ने पूर्व निविदा को रद्द कर दिया तथा संशोधित कार्यक्षेत्र के साथ एक अन्य निविदा जारी की (मई 2014) जिसके समक्ष केवल एक बोली प्राप्त हुई। एच.डब्ल्यू.बी. ने एक नया निविदा नोटिस पुनःजारी किया (सितम्बर 2014) जिसके समक्ष पुनः एक बोली प्राप्त हुई। आगे, अनुमानित लागत तथा उद्धृत लागत के बीच बहुत अधिक अंतर था तथा एच.डब्ल्यू.बी. ने निविदा का अनुसरण नहीं किया।

इसके पश्चात्, एच.डब्ल्यू.बी. ने डी.ए.ई. के अनुमोदन (नवम्बर 2016) के साथ परियोजना की संस्वीकृत लागत को ₹ 14 करोड़ तक बढ़ाया तथा परियोजना अवधि का दिसम्बर 2018 तक परिनिर्धारण किया गया। एच.डब्ल्यू.बी. (दिसम्बर 2016) ने डी.आई.एम.आई.एस. के साथ मौजूदा आई.आई.एस. एप्लीकेशन साफ्टवेयर में सुधार के लिए समझौता ज्ञापन के द्वारा ई.सी.आई.एल. को आदेश देने हेतु डी.ए.ई. को प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मार्च 2017 तक डी.ए.ई. का अनुमोदन प्रतीक्षित था। तथापि, मार्च 2017 तक ₹ 14 करोड़ की संस्वीकृत लागत के समक्ष परियोजना पर ₹ 5.93 करोड़ का व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 1996 को डी.ए.ई. के निर्देशों के बावजूद, भारी जल बोर्ड ने प्रथम दृष्टान्त में ई.सी.आई.एल. से संपर्क नहीं किया जबकि अधिकतर कार्य प्रस्तावित ई.आर.पी. साफ्टवेयर हेतु विकास, परीक्षण, परिनियोजन तथा समर्थन से सम्बंधित थे। आगे, यद्यपि एच.डब्ल्यू.बी. अक्टूबर 2013 से डी.आई.एम.आई.सी. आवश्यकताओं को

¹² डी.ए.ई. ने इसकी श्रमशक्ति, वित्तीय संसाधनों परियोजना निगरानी, सुरक्षा पहलूयों इत्यादि के प्रभावी प्रबंधन हेतु डी.आई.एम.आई.एस. के साथ उपलब्ध सभी जानकारी के एकीकरण के लिए एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (डी.आई.एम.आई.एस.) को एकीकृत किया।

ध्यान में रखते हुए सॉफ्टवेयर प्रणाली में बदलाव के बारे में अवगत था, इसने फरवरी 2014 में पुनः निविदा जारी करते हुए आवश्यकताओं को शामिल नहीं किया। दो अवसरों पर अनुमानित तथा उदधृत लागतों के बीच बहुत अधिक अंतर होना, भारी जल बोर्ड की उचित लागत आवश्यकता निकालने की अयोग्यता का सूचक था।

एच.डब्ल्यू.बी. ने बताया (फरवरी 2017) कि ई.सी.आई.एल. ने डी.आई.एम.आई.एस. परियोजना हेतु अपनी इच्छुकता जाहिर की थी ना कि एच.डब्ल्यू.बी.-आई.आई.एस. परियोजना हेतु। एच.डब्ल्यू.बी. का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि डी.आई. ने 1996 में निर्देश दिया था कि ई.सी.आई.एल. से सॉफ्टवेयर की सभी विकासीय गतिविधियाँ हेतु प्रथम दृष्टान्त में संपर्क किया जाना था।

इस प्रकार, जनवरी 2013 में संस्वीकृत परियोजना में चार वर्ष से भी अधिक समय की देरी हुई तथा ₹ 5.93 करोड़ के पहले ही किए जा चुके खर्च के साथ यह बहुविध निरसन की वजह से अपूर्ण था।

(ग) ऑक्सीडेशन प्लांट की गैर-उपयोगिता

एच.डब्ल्यू.पी. कोटा ने ₹ 10 करोड़ की लागत पर तथा जुलाई 2012 को पूर्ण होने की नियत तिथि के साथ ऑक्सीडेशन संयंत्र हेतु एक परियोजना शुरू की (मई 2009)। संयंत्र को ट्रीटिएटिड पानी के भण्डारण हेतु प्रयुक्त किया जाना था। परियोजना पूर्ण की गई तथा मार्च 2013 में ₹ 8.66 करोड़ की लागत पर ऑक्सीडेशन संयंत्र शुरू किया गया। 72 घंटों के लिए जाँच संचालन के पश्चात, भारी जल क्लीनअप सुविधा (एच.ई.डब्ल्यू.ए.सी.) की ओर से फीड गैस की गैर-उपलब्धता की वजह से कोई संचालन नहीं हुआ।

इस प्रकार, एच.ई.डब्ल्यू.यू.बी. ने फीड गैस की अनवरत उपलब्धता को सुनिश्चित किए बिना ऑक्सीडेशन संयंत्र की स्थापना की, जिसका परिणाम संयंत्र की गैर-उपयोगिता तथा पिछले चार वर्षों से ₹ 8.66 करोड़ की निष्क्रिय लागत हुई।

(घ) संयंत्र का अल्प-उपयोग

एच.डब्ल्यू.बी. ने क्रमशः 60 मैट्रिक टन और 130 मैट्रिक टन प्रति वर्ष की संस्थापित क्षमता सहित त्रि-ब्युटाईल फॉस्फेट (टी.बी.पी.) के उत्पादन के लिए तालचर (2003) और बड़ौदा (2010) में दो संयंत्रों की स्थापना की थी। दोनों टी.बी.पी. संयंत्र संचालन में हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि टी.बी.पी. का वास्तविक उपयोग मौजूदा दो संयंत्रों की संस्थापित क्षमता से काफी कम था, जैसा कि तालिका 3.3 में विवरण दिया गया है:

तालिका 3.3: एच.डब्ल्यू.पी. बड़ौदा और तालचर में टी.बी.पी. की मांग, उत्पादन और उपयोग

वर्ष	संस्थापित क्षमता	वास्तविक उत्पादन	प्रति वर्ष की गई मांग	उपयोग	अंत शेष (मैट्रिक टन में)
2011-12	-	-	-	-	114.35
2012-13	190	165.50	123.7	198.54	81.31
2013-14	190	151.85	147.7	79.85	153.31
2014-15	190	158.08	167.7	148.49	162.90
2015-16	190	139.68	177.7	73.03	229.55
2016-17	190	158.28	197.7	85.03	302.80
कुल	950	773.39	814.5	584.94	302.80

पांच वर्षों 2012-13 से 2016-17 में दोनों संयंत्रों से टी.बी.पी. की 950 मैट्रिक टन की कुल स्थापित क्षमता में से और इसी अवधि में उपभोक्ताओं¹³ की 814.5 मैट्रिक टन की कुल मांग के विरुद्ध, 773.39 मैट्रिक टन का उत्पादन हुआ था, जिसके विरुद्ध केवल 584.94 मैट्रिक टन टी.बी.पी. का उपयोग किया गया था। जनवरी 2017 तक 302.80 मैट्रिक टन टी.बी.पी. अंत शेष के रूप में बना रहा।

यद्यपि विद्यमान संयंत्रों की संस्थापित क्षमता हासिल किए गए वास्तविक उत्पादन, की गई मांग और उपयोग से ज्यादा थी, डी.ए.ई. ने ₹ 38 करोड़ की संस्वीकृत लागत पर तूतिकोरिन में एक अन्य सॉल्वेंट उत्पादन संयंत्र¹⁴ स्थापित करने की परियोजना को मंजूरी (फरवरी 2015) प्रदान की जिसमें टी.बी.पी. का उत्पादन शामिल है। आपूर्ति के मांग से कम होने के बावजूद, कोई उपयोगकर्ता बाधित नहीं हुआ लगता है। इससे पता चलता है कि मांग अवास्तविक थी। गैर-आपूर्ति वाला स्टॉक शेष होने के बाद, तीसरे संयंत्र की स्थापना का भी सावधानीपूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता होती है।

प्रस्ताव/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (मई 2014) विभिन्न प्रकार के सॉल्वेंट्स के उपयोगकर्ताओं द्वारा पेश की गई मांग पर आधारित थी। यह महसूस किया गया कि सभी प्रकार के सॉल्वेंट्स के लिए एक संयुक्त संयंत्र सुविधा स्थापित करने के लिए लाभप्रद होगा क्योंकि यह परियोजना और परिचालन लागत दोनों को भी कम करेगा। परियोजना को फरवरी 2015 में डी.ए.ई. द्वारा 36 महीनों अर्थात् फरवरी 2018 तक

¹³ भारी पानी बोर्ड, परमाणु ईंधन परिसर, परमाणु रीसाईकिल बोर्ड, परमाणु रीसाईकिल समूह, इंडियन रेअर अर्थ्स लिमिटेड, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र, टी.बी.पी. के उपभोक्ता हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र आदि।

¹⁴ सॉल्वेंट-टी.बी.पी. (150 मैट्रिक टन प्रति वर्ष), डी2 ई एच पी ए-11, टी.आई.ए.पी. और डी.एच.ओ.ए. (20-30 मैट्रिक टन प्रति वर्ष)।

के लक्ष्य के साथ मंजूरी दे दी गई थी। मार्च 2017 तक एच.डब्ल्यू.बी. ने इस परियोजना पर ₹ 57.54 लाख का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रारंभिक प्रस्ताव टी.बी.पी. और अन्य सॉल्वेंट्स के लिए अलग-अलग संयंत्रों के लिए था। टी.बी.पी. के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की स्पष्ट आवश्यकता नहीं थी क्योंकि 2015-16 में 139.68 मैट्रिक टन और 2016-17 में 158.28 मैट्रिक टन के वास्तविक उत्पादन के विरुद्ध, टी.बी.पी. का उपयोग 2015-16 में केवल 73.03 मैट्रिक टन और 2016-17 में 85.03 मैट्रिक टन था। यह भी पाया गया कि संयुक्त संयंत्रों में मुख्य रूप से टी.बी.पी. का उत्पादन किया गया। इसलिए, केवल उन साल्वेंट्स जो कम आपूर्ति में थे, के उत्पादन के लिए एक अलग संयंत्र की स्थापना पर विचार किया जा सकता था।

इस प्रकार, जहाँ मौजूदा दो संयंत्रों की क्षमता अल्प-उपयोगित रही वहीं एक तीसरे संयंत्र की स्थापना करने में जिसमें टी.बी.पी. का उत्पादन शामिल है, या तो तीसरे संयंत्र की निष्क्रियता अथवा इसकी क्षमता के अल्प-उपयोग का जोखिम है।

3.1.2.3 भारी जल पूल का प्रबंधन

एच.डब्ल्यू. के पूरे उत्पादन और खरीद/आयात को "भारी पानी पूल" को हस्तांतरित किया जाता है। 1 जुलाई 1979 से प्रभावित, एच.डब्ल्यू. के खरीद, भंडारण, केंद्रीय लेखांकन, वस्तु-सूची प्रबंधन और विभिन्न प्रयोक्ताओं को वितरण को एक वाणिज्यिक गतिविधि घोषित कर दिया गया। भारी पानी पूल को पूंजीगत संपत्ति माना जाता है और एच.डब्ल्यू.बी. भारी पानी पूल प्रबंधन (एच.डब्ल्यू.पी.एम.) के संबंध में प्रोफॉर्मा लेखाओं का प्रबंधन करता है। फिर भी, एच.डब्ल्यू.बी. ने वर्ष 2013-14 के बाद से प्रोफॉर्मा लेखाओं को प्रस्तुत नहीं किया। प्रोफॉर्मा लेखाओं की गैर-प्रस्तुति के कारण, 2013-14 से 2016-17 के दौरान चार वर्षों तक एच.डब्ल्यू.बी. की वित्तीय स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

यद्यपि, डी.ए.ई. ने मध्यकालीन अवधि के दौरान होने वाले विकास को ध्यान में रखते हुए हर पांच वर्ष में भारी पानी की लागत और भारी पानी पूल के लेखांकन तथा मूल्य-निर्धारण की समीक्षा करने का निर्णय लिया (2004), तथापि मार्च 2017 तक 2009 में नियत मूल्य-निर्धारण नीति की कोई समीक्षा नहीं की गई थी।

3.1.2.4 अन्य मामलें

(क) प्रतिपूर्ति दावे की गैर-प्रप्ति

जी.एफ.आर. 2005 के नियम 9 के अनुसार, विभाग का कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकार की प्राप्तियां और बकाया सटीक रूप से एवं तुरंत मूल्यांकित, एकत्रित

किए गए हैं और यथा प्रकरण समेकित निधि या सार्वजनिक लेखा में विधिवत् रूप से जमा किए गए हैं।

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु में 1991 में एच.डब्ल्यू. के उत्पादन के लिए प्रोसेस संयंत्र को विश्वसनीय वाष्प एवं ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र (सी.पी.पी.) स्थापित किया गया। जनवरी 2005 में एच.डब्ल्यू.बी. ने निर्णय लिया कि चूंकि मुख्य संयंत्र में गहन ऊर्जा संरक्षण उपायों और प्रक्रिया अनुकूलन के कारण भाप और बिजली की खपत कम हो गई थी, इसलिए यह संयंत्र 12 मेगावाट विद्युत का निर्यात करने की स्थिति में था। तदनुसार, एच.डब्ल्यू.बी. ने विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (पी.टी.सी.) के साथ 12 मेगावाट बिजली की बिक्री के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया (फरवरी 2005)। निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, पी.टी.सी. बिजली के आहरण में 15 प्रतिशत के अनुमोदित विचलन से ज्यादा की कमी का 20 प्रतिशत प्रति के.डब्ल्यू.एच. टैरिफ की दर से प्रतिपूर्ति का भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि दिसंबर 2014 से फरवरी 2017 की अवधि के दौरान, विद्युत निष्कर्षण में कमी के प्रति पी.टी.सी. से ₹ 6.51 करोड़ की प्रतिपूर्ति प्राप्य थी। फिर भी, एच.डब्ल्यू.पी. मानुगुरु पी.टी.सी. के साथ इस मामले को उठाने और राशि की वसूली करने में विफल रहा। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि न तो पी.टी.सी. के साथ किए गए समझौते में और न ही परवर्ती पत्राचार में प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए कोई नियत तिथि दी गई थी।

इस प्रकार, ससमय कार्रवाई करने में विफलता का परिणाम ₹ 6.51 करोड़ के बकाया प्रतिपूर्ति दावे के रूप में हुआ।

(ख) पर्यावरण संबंधी दायित्व की गैर-पूर्ति

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) ने कोयला/लिग्नाइट आधारित विद्युत संयंत्रों में उत्पादित फ्लाई ऐश के उपयोग और निपटान के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित (सितंबर 1999) की। दिशानिर्देशों में चरणबद्ध तरीके से विद्युत संयंत्रों में उत्पन्न फ्लाई ऐश की पूरी मात्रा का उपयोग करना अनुबंधित था। अधिसूचना के अनुसार, हर कोयला या लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट सीमेंट, कंक्रीट ब्लॉक, ईंट आदि जैसे एश-आधारित उत्पादों के विनिर्माण के लिए बिना किसी भुगतान के लिए ऐश उपलब्ध कराएगा। तदोपरांत, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. ने चरणबद्ध तरीके से संशोधन के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत से लेकर पाँच वर्ष¹⁵ के भीतर 100 प्रतिशत तक फ्लाई ऐश के उपयोग को

¹⁵ अधिसूचना में एक वर्ष के भीतर कम से कम 50 प्रतिशत; दो वर्ष के भीतर 60 प्रतिशत; तीन वर्ष के भीतर 75 प्रतिशत; चार वर्ष के भीतर 90 प्रतिशत; और पाँच वर्ष के भीतर 100 प्रतिशत उपयोग निर्धारित था।

अनुबंधित करते हुए अधिसूचना में संशोधन (नवंबर 2009) किया। विद्युत संयंत्रों को अपनी वेबसाइटों पर फ्लाइंग ऐश के अपने स्टॉक को प्रदर्शित करने और प्रत्येक दो सप्ताह में उसे अद्यतन करने की एक और संशोधन (मार्च 2015) द्वारा आवश्यकता हुई।

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु में एक कैप्टिव पावर प्लांट (सी.पी.पी.) लगाया गया था, जो प्रति दिन लगभग 1,200-1,600 मैट्रिक टन कोयले की खपत और 300-720 मैट्रिक टन राख उत्पन्न करता था। एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के निर्देशों के अनुसरण में, एच.डब्ल्यू.पी. ने ₹ 11.66 करोड़ की लागत पर शुष्क फ्लाइंग ऐश के संग्रह, अलगाव और भंडारण सुविधा स्थापित की (मार्च 2011)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु, एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. अधिसूचना द्वारा यथा निर्धारित फ्लाइंग ऐश का उपयोग नहीं कर सका। मार्च 2017 तक अर्थात् एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. की अधिसूचना से आठ वर्षों के बाद एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के निर्धारित 100 प्रतिशत फ्लाइंग ऐश के उपयोग के मानक के विरुद्ध केवल 66 प्रतिशत फ्लाइंग ऐश का उपयोग किया। इसके अलावा, एच.डब्ल्यू.पी. ने अपनी वेबसाइट पर फ्लाइंग ऐश स्टॉक की स्थिति को प्रदर्शित नहीं किया, जो एम.ओ.ई.एफ.सी.सी. के निर्देशों के खिलाफ था।

इस प्रकार, एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु, फ्लाइंग ऐश के सुरक्षित उपयोग के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा।

(ग) कोयले परिवहन पर परिहार्य व्यय

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने अपने कैप्टिव पावर प्लांट क्षेत्र में बाहरी कोयला हैंडलिंग सिस्टम के संचालन एवं रखरखाव के लिए एक फर्म के साथ (दिसंबर 2008) समझौता किया। यह समझौता संविदाकार के संतोषजनक प्रदर्शन पर दो वर्ष के विस्तार के प्रावधान के साथ, अक्टूबर 2013 तक पाँच वर्ष की अवधि के लिए वैध था। समझौते को बाद में अक्टूबर 2015 तक बढ़ा दिया गया। नई संविदा प्रक्रिया (जनवरी 2015) के बाद कार्य को उसी फर्म को (फरवरी 2016) जनवरी 2021 तक पाँच वर्षों के लिए प्रदान किया गया था, क्योंकि केवल इसी फर्म ने निविदा की प्रतिक्रिया दी थी।

कार्य आदेश के अनुसार, फर्म को 60,000 मैट्रिक टन प्रति माह/2400 मैट्रिक टन प्रतिदिन कोयले की न्यूनतम मात्रा एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु को भेजना था। संविदाकार से गैर-संबंधी कारणों की वजह से परिवहन घंटों की नुकसान के मामलों में, मुआवजा¹⁶ फर्म को देय था।

¹⁶ एक मैट्रिक टन के लिए मुआवजा समझौते के मुताबिक 60,000 मैट्रिक टन के मूल मूल्य प्लस श्रमिक मजदूरी में बढ़ोतरी के कारण वृद्धि, 60,000 मैट्रिक टन से भाग देकर।

अप्रैल 2012 से फरवरी 2017 की अवधि के लिए फर्म को किए गए भुगतान सहित मापन पुस्तिका की जांच करने पर यह पाया गया कि एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने हर महीने 200 मैट्रिक टन से लेकर 60,715 मैट्रिक टन के बीच कोयले की मांग की और प्राप्त किया तथा केवल तीन महीने (दिसंबर 2012, जनवरी 2014 और जनवरी 2016) में यह मात्रा 60,000 मैट्रिक टन से अधिक बढ़ गई थी। कोयला आहरण में कमी के कारण एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने फर्म को क्षतिपूर्ति के रूप में ₹ 7.66 करोड़ की राशि का भुगतान किया।

अप्रैल 2012 से फरवरी 2017 तक लगभग पांच वर्षों तक कोयले के आहरण में लगातार कमी दर्शाती है कि एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने अपनी वास्तविक आवश्यकताओं का सही मूल्यांकन नहीं किया था।

एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु ने बताया (जुलाई 2016) कि प्रणाली की ओ. एंड एम. के लिए इनपुट/संसाधनों को कम किए बिना 60,000 मैट्रिक टन की न्यूनतम मात्रा की कमी से केवल ठेकेदार के लाभ में ही काम आएगा। आगे यह कहा गया कि कार्य आदेश में उल्लेखित एक महीने में 60,000 मैट्रिक टन कोयले का परिवहन अर्ध-स्थायी प्राकृतिक संसाधनों, जिसमें रोपवे पद्धति प्रचालन एवं प्रबंधन गतिविधियों को करने हेतु कुशल कामगार, विशिष्ट उपकरण एवं टेकल्स इत्यादि शामिल हैं, की स्थापना के व्यय को पूरा करने के लिए ब्रेकइवेन प्वाइंट हासिल करने हेतु आवश्यक न्यूनतम मात्रा है।

उत्तर इस तथ्य के अनुसार मान्य नहीं है कि अप्रैल 2012 से फरवरी 2017 तक पाँच वर्षों की अवधि के दौरान कोयले की औसत आवश्यकता 40,076 मैट्रिक टन थी। केवल तीन अवसरों पर ही कोयला परिवहन 60,000 मैट्रिक टन के पार हुआ था।

इस तरह, एच.डब्ल्यू.पी. मनुगुरु वास्तविक रूप से परिवहित किए गए कोयले की मात्रा का आकलन करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप मुआवजे के रूप में ₹ 7.66 करोड़ का भुगतान हुआ।

3.1.3 निष्कर्ष

भारी पानी बोर्ड की लेखापरीक्षा में पाया गया कि बड़ौदा में बंद भारी पानी संयंत्र के निराकरण तथा निपटान और तालचेर में भारी पानी संयंत्र को बंद करने के लिए निर्णय लेने में अनुचित विलंब के परिणामस्वरूप रखरखाव पर ₹ 68.26 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इसके अलावा, एच.डब्ल्यू.बी. द्वारा संचालित किए गए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में भी विलंब हुआ। 33 चयनित परियोजनाओं में से 29 परियोजनाओं के कार्यान्वयन में एक महीने से लेकर सात वर्षों से अधिक तक की अवधि विलंब था। पाँच परियोजनाओं

में लागत सीमा से अधिक था। फीड गैस की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना ₹ 8.66 करोड़ की लागत से ऑक्सीडेशन संयंत्र स्थापित किया गया था।

डी.ए.ई. पी.टी.सी. से मार्च 2017 तक कुल ₹ 6.51 करोड़ के मुआवजे के दावों की पूर्ति के लिए समय पर कार्रवाई करने में भी विफल रहा। एक संयंत्र द्वारा फ्लाई एश के सुरक्षित निपटान के संबंध में पर्यावरण बाध्यताओं के निर्वहन में कमियां थीं और साथ ही कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र में कोयले के परिवहन का वास्तविक रूप से मूल्यांकन करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 7.66 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामले को डी.ए.ई. को भेजा गया (नवम्बर 2017); इसका उत्तर दिसंबर 2017 तक प्रतीक्षित था।

3.2 भूमि किराया की अल्प-प्राप्ति

परमाणु उर्जा विभाग द्वारा फैसले की कमी की वजह से तेल कम्पनियों को पट्टे पर दी गई भूमि के किराया संशोधन तथा अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीकरण में निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय असमर्थ रहा, जिसका परिणाम ₹ 12.78 करोड़ के भूमि किराया तथा ब्याज की अल्प-प्राप्ति हुआ। इसके अतिरिक्त, भूमि किराए के देरी से भुगतान पर ब्याज के ₹ 50.39 लाख भी वसूली योग्य थे।

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंधन निदेशालय, मुंबई (डी.सी.एस.ई.एम.), परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) का निर्माण विंग, ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), रिलायंस इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.आई.आई.एल.) तथा नेशनल आर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एन.ओ.सी.आई.एल.) के साथ अणुशक्ति नगर, मुंबई में डी.ए.ई. से सम्बंधित भूमि के नीचे इन तेल कम्पनियों का मार्ग बनाने के लिए अनुज्ञप्ति अनुबंध (1997) किया। ये अनुज्ञप्ति अनुबंध अगस्त 1997 से जुलाई 2007 तक 10 वर्षों की अवधि के लिए था।

भूमि के उपयोग हेतु वार्षिक भूमि किराया, निदेशक नगर योजना, महाराष्ट्र सरकार (डी.टी.पी.) द्वारा भूमि की कीमत का 10 प्रतिशत नियत किया गया। लाइसेन्सधारियों को किराए के भुगतान में देरी हेतु 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना था।

अनुज्ञप्ति फीस नियत करने के उद्देश्य हेतु डी.ए.ई. ने भूमि की कीमत लगाने का मामला डी.टी.पी. को भेजा (1997) जिसने सलाह दी (2001) कि 'रेडी' रेकनर में उल्लिखित भूमि कीमत को माना जाना चाहिए। तेल कम्पनियों ने इन दरों पर आपत्ति जताई (2001) तथा मामला फिर से डी.टी.पी. को भेजा गया। अनुज्ञप्ति फीस पर

पुनर्विचार हेतु डी.टी.पी. की सलाह (फरवरी 2002) पर तथा डी.सी.एस.ई.एम. व तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के बीच हुई बैठक (जुलाई 2002) के आधार पर, अधिग्रहित क्षेत्र¹⁷ हेतु रेडी रेकनर में शामिल भूमि के 35 प्रतिशत के 10 प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस के तौर पर नियत किया गया। तदनुसार, किराए की गणना अनुबंध की तिथि अर्थात अगस्त 1997 से की गई तथा तेल कम्पनियों द्वारा भुगतान किया गया।

चूँकि, अनुज्ञप्ति अनुबंध की अवधि जुलाई 2007 में समाप्त होनी थी, डी.सी.एस.ई.एम. ने अनुबंध के नवीकरण हेतु डी.ए.ई. को संपर्क किया (फरवरी 2007)। डी.ए.ई. ने (मार्च 2007) डी.सी.एस.ई.एम. को बिना कोई छूट दिए रेडी रेकनर के अनुसार वास्तविक भूमि कीमत पर आधारित एक रूप दर पर, अगस्त 2007 से अनुबंध नवीकरण पर प्रभार्य अनुज्ञप्ति फीस की संशोधित दर निकालने को कहा (मार्च 2007)। तथापि, तेल कम्पनियों ने यह कहते हुए संशोधित भूमि किराया स्वीकार करने से मना कर दिया कि भूमि किराया निकालने के लिए फार्मूले में बदलाव उनकी सहमति के बिना किया गया तथा भूमि कीमत के 35 प्रतिशत पर ही 2002 में सम्मत भूमि किराया लेना जारी रखने का अनुरोध किया।

तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक (जून 2008) के बाद डी.ए.ई. ने डी.टी.पी. को भूमि के नई कीमत आंकलन हेतु संपर्क किया, जिसने डी.सी.एस.ई.एम. को महाराष्ट्र सरकार संकल्प (अगस्त 2008) के प्रावधान, जो मूल उधार दर (पी.एल.आर.) पर ब्याज जमा बाजार कीमत के 10 प्रतिशत पट्टा किराया प्रदान करता है, को अपनाने की सलाह (जुलाई 2010) दी। तदनुसार, डी.सी.एस.ई.एम. ने डी.ए.ई. को आगे 10 वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत (अगस्त 2010) किया। हालाँकि, तब तक मामला डी.ए.ई. के पास पत्राचार के लिए पड़ा रहा। इसी बीच, डी.सी.एस.ई.एम. ने प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 15 प्रतिशत दर पर भूमि किराया बढ़ने का निर्णय (नवम्बर 2015) ले लिया।

डी.ए.ई. द्वारा भूमि किराया संशोधन तथा अनुबंध के नवीकरण पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। भूमि किराया के संशोधन न होने की वजह से तेल कम्पनियों ने पहले की छूट दर पर भूमि किराया देना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल., आर.आई.आई.एल. द्वारा अगस्त 2007 से जुलाई 2017 की अवधि तथा एन.ओ.सी.आई.एल. द्वारा अगस्त 2007 से जुलाई 2012¹⁸ की अवधि के भूमि किराए

¹⁷ किराया=(रेडी रेकनर के अनुसार भूमि कीमत का 35 प्रतिशत x अधिग्रहित क्षेत्र) x 10 प्रतिशत

¹⁸ एन.ओ.सी.आई.एल. ने जून 2006 से पाईपलाइन का संचालन बंद कर दिया तथा जुलाई 2012 तक बकाया देय पुरानी दरों पर दिए।

तथा ब्याज का ₹ 12.78 करोड़¹⁹ का कम भुगतान हुआ था। इसके अतिरिक्त एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल., एन.ओ.सी.आई.एल. की ओर से 1997 से 2002 तक की अवधि हेतु भूमि किराए के देरी से भुगतान के समक्ष ₹ 50.39 लाख की राशि भी बकाया है।

डी.ए.ई. ने कहा (दिसम्बर 2017) कि तेल कम्पनियों के साथ अनुज्ञप्ति अनुबंध के नवीनीकरण का प्रस्ताव परमाणु ऊर्जा आयोग (ए.ई.सी.) को मई 2011 में एवं उसके बाद मंत्रिमंडल को प्रस्तुत किया गया तथा मंत्रिमंडल के आदेशों (मार्च 2011/नवंबर 2011/जुलाई 2012) पर आधारित, मामले को वित्त मंत्रालय को भेजने का निर्णय किया गया। डी.ए.ई. ने आगे कहा कि प्रस्ताव को सदस्य (वित्त), परमाणु ऊर्जा आयोग को भेजा जा चुका था।

तथ्य यह रहा कि पिछले सात वर्षों से अनुज्ञप्ति फीस के संशोधन पर निर्णय लेने की डी.ए.ई. की अयोग्यता का परिणामस्वरूप ₹ 12.78 करोड़ के भूमि किराए तथा ब्याज की अल्प प्राप्ति हुआ। आगे, डी.सी.एस.ई.एम. ने तेल कम्पनियों को बिना किसी वैध समझौते के एक रियायती किराए पर लगभग 10 वर्षों हेतु सरकारी भूमि के प्रयोग का लाभ लेने की अनुमति प्रदान की। इसके अतिरिक्त भूमि किराया के देरी से भुगतान पर ब्याज के समक्ष ₹ 50.39 लाख की राशि भी वसूल नहीं की गई थी।

3.3 वसूली हेतु लंबित बकाया देय

विकिरण एवं आइसोटोप प्रोद्योगिकी बोर्ड रेडियोएक्टिव सामग्री तथा सम्बद्ध उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान प्राप्ति हेतु उचित क्रियाविधि स्थापित करने हेतु समय पर कार्यवाही करने में असफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 10.71 करोड़ वसूली के लिए लंबित रहा।

विकिरण एवं आइसोटोप प्रोद्योगिकी बोर्ड, मुंबई (बी.आर.आई.टी.) परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की स्वतंत्र इकाई है जो भुगतान आधार पर विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी उपयोगकर्ताओं को स्वास्थ्य, कृषि, अनुसन्धान तथा उद्योग में अनुप्रयोग हेतु विकिरण तथा आइसोटोप पर आधारित उत्पाद तथा सेवाएँ प्रदान करती है। नियम व शर्तों के अनुसार, रेडियोएक्टिव सामग्री की बिक्री के बिल की पावती के 30 दिन के भीतर भुगतान प्राप्त किया जाना था। यदि भुगतान नियत समय में प्राप्त नहीं हुआ तो आगे की आपूर्ति बिना किसी औपचारिक सूचना के निलंबित की जानी थी।

¹⁹ एच.पी.सी.एल., बी.पी.सी.एल. तथा आर.आई.आई.एल. के सम्बन्ध में ₹ 11.35 करोड़ (₹ 7.66 करोड़ किराया + 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ₹ 3.69 करोड़ ब्याज) तथा एन.ओ.सी.आई.एल. के सम्बन्ध में ₹ 1.43 करोड़ (₹ 78.04 लाख किराया + ₹ 64.51 लाख ब्याज)

जनवरी 2017 तक रेडियोएक्टिव सामग्रियों की बिक्री हेतु 942 मामलों में ग्राहकों की ओर से ₹ 19.07 करोड़ की राशि देय हैं। इसमें से ₹ 2.75 करोड़ 2010 से पहले की अवधि से सम्बंधित 154 मामलों से सम्बद्ध हैं। बकाया देयता का वर्षवार विवरण तालिका 3.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.4: रेडियोएक्टिव सामग्रियों की बिक्री के समक्ष बकाया देय

वित्तीय वर्ष	मामलों की संख्या	राशि (₹ में)
वर्ष 2000 से पहले	29	25,42,734
2000-10	125	2,49,83,152
2010-14	151	3,42,19,437
2014-15	104	1,31,68,266
2015-16	138	2,41,22,691
2016-17 (जनवरी 2017 तक)	395	9,16,28,434
कुल	942	19,06,64,711

लेखापरीक्षा में प्राइवेट पार्टियों के 58 उच्च कीमत²⁰ मामलों में से 36 को जाँचा तथा अवलोकन किया कि तीन ग्राहकों की ओर से देय ₹ 23.48 लाख अब प्राप्त नहीं किये जा सकते थे, क्योंकि उनका ठौर ठिकाना ही पता नहीं था। अन्य सात मामलो में, 3 से 11 वर्ष की अवधि से (फरवरी 2017) ₹ 44.70 लाख का देय लंबित था तथा उनकी प्राप्ति अब संदेहास्पद थी। यह भी देखा गया कि यद्यपि बी.आर.आई.टी. ने पहले की गई आपूर्ति हेतु कोई भुगतान प्राप्त नहीं किया, इसने एक से अधिक वर्ष हेतु इन सात में से तीन फर्मों को रेडियोएक्टिव सामग्रियों की पूर्ति करना जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने आगे अवलोकन किया कि नई आपूर्तियाँ करने से पहले पिछले देय की समय पर प्राप्ति हेतु कोई क्रियाविधि नहीं थी। यद्यपि देयता के निपटारे हेतु समय-समय पर अनुस्मारक भेजे गए फिर भी पिछली आपूर्तियों के समक्ष देय की प्राप्ति चालान की नियम व शर्तों के अनुसार सुनिश्चित किएबिना आपूर्ति करना जारी रखा गया। भुगतान न करने के मामले में या बकाया देय की प्राप्ति में देरी के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान नहीं था। बी.आर.आई.टी. तथा ग्राहकों के बीच लेखा समाधान भी नहीं किया गया था। ग्राहकों से देय प्राप्ति हेतु किसी संस्थागत क्रियाविधि की कमी के साथ-साथ सार्थक अनुसरण की कमी का परिणाम ₹ 19.07 करोड़ की हुई बिक्री की गैर प्राप्ति गैर वसूली योग्य ₹ 23.48 लाख की हानि हुआ।

हालांकि, लेखापरीक्षा द्वारा मामला नियमित तौर पर बी.आर.आई.टी. के संज्ञान में लाया जा रहा था (2006 से आगे)। जून 2016 तक बी.आर.आई.टी. द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई, जब बी.आर.आई.टी. ने अग्रिम भुगतान प्राप्त होने के पश्चात

²⁰ ₹ एक लाख से ज्यादा मूल्य वाले।

विश्वविद्यालयों तथा अनुसन्धान संस्थानों को रेडियोएक्टिव सामग्रियों की आपूर्ति करने का निर्णय (जून 2016) किया। चार लाख से अधिक बकाया देय रखने वाले गैर सरकारी संस्थानों के मामले में बी.आर.आई.टी. ने तत्काल भविष्य में आपूर्ति न करने का निर्णय लिया। बी.आर.आई.टी. ने इसके चालान बिल में 10.07 प्रतिशत की दर से ब्याज लगाने हेतु एक खंड शामिल करने का भी निर्णय लिया (1 अप्रैल 2016 से) यदि देय, आपूर्ति करने की तिथि से 30 दिन के अंदर प्राप्त नहीं हुए।

बी.आर.आई.टी. ने कहा (फरवरी 2016) कि अप्राप्य राशि को बढ़े खाते में डालने हेतु प्रस्ताव बनाया जा रहा था। बी.आर.आई.टी. ने आगे कहा (अक्टूबर 2017) कि बकाया राशि को ₹ 19.07 करोड़ से घटाकर ₹ 10.71 करोड़ कर दिया गया है।

हालाँकि तथ्य यह है कि इसके उत्पादों हेतु भुगतान वसूली करने के लिए समय पर कार्यवाही करने सम्बन्धी एक प्रभावी क्रियाविधि स्थापित करने में असफलता का परिणाम 602 मामलों में रेडियोएक्टिव सामग्रियों की बिक्री के समक्ष ₹ 10.71 करोड़ का बकाया देय (अक्टूबर 2017) हुआ। इनमें ₹ 2.53 करोड़ (318 मामले) गैर सरकारी उपयोगकर्ताओं से सम्बंधित थे।

सितम्बर 2017 में मामला डी.ए.ई. को भेजा गया; अक्टूबर 2017 तक उत्तर प्रतीक्षित था।

3.4 अनियमित छुट्टी यात्रा रियायत दावे

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद ने इसके कर्मचारियों के छुट्टी यात्रा रियायत बिल पास करने से पहले अनुबंधित जाँच का पालन नहीं किया, जिसका परिणाम अनियमित दावों के लिए ₹ 40.11 लाख का भुगतान हुआ।

सामान्य वित्त नियम, 2005 का नियम 21 अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सार्वजनिक धन से किये जाने वाले व्यय के संबंध में वही सतर्कता बरतें जो सामान्य बुद्धिमानी वाली एक व्यक्ति स्वयं का धन खर्च करने के सम्बन्ध में बरतेंगे तथा सार्वजनिक धन से किये जाने वाला व्यय किसी व्यक्ति विशेष या लोगो के एक वर्ग के लाभ हेतु खर्च नहीं किये जाने चाहिए, सिवाय (क) राशि हेतु दावा कानून के रूप में लागू किया जा सकता है या (ख) व्यय एक स्वीकृत नीति या प्रचलन के अनुसार हैं।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ.) नियमावली का नियम 2.30, सरकार के वित्तीय हितों को जालसाजी, दुरुपयोग तथा अस्वीकार्य दावों से सुरक्षा प्रदान करने के सम्बन्ध में डी.डी.ओ. द्वारा टिकटों की क्रम संख्या की जाँच को शामिल करते हुए छुट्टी यात्रा रियायत पास करते समय निश्चित जाँच करना अनुबंधित करता है।

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद (एन.एफ.सी.) परमाणु उर्जा विभाग (डी.ए.ई.) की एक इकाई, के 2013-15 की अवधि हेतु कर्मचारियों के एल.टी.सी. दावों के संबंध में वाउचर की नमूना जाँच से उजागर हुआ कि 32 मामलों में दावे, एयर इंडिया की एल.टी.सी. 80 योजना के अंतर्गत बुक की गई ई-टिकटों हेतु प्रस्तुत किये गए। तथापि, वास्तविक यात्रा के बोर्डिंग पास अलग ई-टिकट संख्या दर्शा रहे थे। यह दर्शाता है कि वास्तविक यात्रा एल.टी.सी. 80 के समक्ष नहीं की गई जिसके लिए कर्मचारियों द्वारा दावे प्रस्तुत किये गए थे। एन.एफ.सी ने इस तरह के दावों को पास किया तथा इन 32 मामलों में कर्मचारियों को ₹ 40.11 लाख का भुगतान किया।

लेखापरीक्षा में एयर इंडिया से इन 32 कर्मचारियों के यात्रा विवरण की दुबारा जाँच की गई तथा पाया गया कि 31 लोगों ने यात्रा की तथा एक कर्मचारी जो एल.टी.सी. दावा कर चुका था तथा जिसे ₹ 0.86 लाख का भुगतान किया गया, का नाम एयर इंडिया के यात्रा विवरण में दिखाई नहीं दिया। यह भी पुष्टि की गई कि 20 कर्मचारी एयर इंडिया को वास्तव में भुगतान किए गए किराए के मुकाबले उच्च किराए का दावा कर चुके थे तथा ₹ 15.02 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया। शेष 11 कर्मचारियों हेतु अतिरिक्त भुगतान की गणना, यात्रा विवरण की गैर-उपलब्धता की वजह से नहीं की जा सकी।

इस प्रकार बिल पास करने से पहले नियत जाँच करने की असफलता का परिणाम 21 मामले, जिनकी पुष्टि एयर इंडिया के यात्रा विवरण से की गई थी के संबंध में ₹ 24.81 लाख²¹ तथा शेष 11 मामलों के समक्ष ₹ 15.30 लाख का असत्यापित भुगतान, जिसकी जाँच की आवश्यकता है, को शामिल करते हुए अनियमित एल.टी.सी. दावों के समक्ष ₹ 40.11 लाख का भुगतान हुआ।

इस लेखापरीक्षा के अवलोकन में उल्लिखित अनियमित एल.टी.सी. दावों के भुगतान के उदाहरण उन एल.टी.सी. बिलों के नमूना जाँच के दौरान पाए गए और इस तरह के अन्य उदाहरणों के जोखिम को बाहर नहीं रखते हैं। इस तरह की अनियमितताओं की संभावना का दोहन करने के लिए, विभाग यह सुनिश्चित कर सकता है कि सभी एल.टी.सी. दावों का फिर से जाँच और सत्यापन किया जाए।

डी.ए.ई. ने कहा (अक्टूबर 2017) कि मामले को जाँच विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी को भेजना तय किया गया।

²¹ 20 लोगों द्वारा किये गए दावों के समक्ष ₹ 23.95 लाख तथा एक व्यक्ति को किये गए भुगतान के समक्ष ₹ 0.86 लाख का भुगतान, जिसका नाम एयर इंडिया का यात्रा विवरण में दिखाई नहीं दिया।

अध्याय - IV

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग

4.1 जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल की गतिविधियाँ

जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल, क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु अपने आरंभ के 15 वर्षों से अधिक अवधि समाप्त होने के बाद भी जैव प्रौद्योगिकीय व्यवधान के द्वारा जैव संसाधन विकास एवं उसके स्थायी उपयोग के अपने उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त प्रगति नहीं कर सका।

4.1.1 प्रस्तावना

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.एस.टी.) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु जैव संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए मणिपुर सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 2001 में जैव संसाधन और सतत विकास संस्थान, इम्फाल (आई.बी.एस.डी.) की स्थापना की थी। आई.बी.एस.डी. की स्थापना के प्राथमिक उद्देश्य क्षेत्र के अनूठे जैव विविधता का अध्ययन एवं प्रलेखीकरण करना, क्षेत्र के जैव-संसाधनों के सतत विकास और उपयोग हेतु जैव प्रौद्योगिकीय व्यवधानों का विकास करना तथा क्षेत्र में रोजगार सृजन व आर्थिक प्रगति हेतु प्रौद्योगिकीय पैकेज बनाने थे।

आई.बी.एस.डी. के मामलों का प्रबंधन उसके शासी परिषद (जी.सी.) द्वारा होता है, जबकि नीति, रूपरेखा एवं उसकी गतिविधियों के सामान्य दिशानिर्देशों के निर्णय हेतु आई.बी.एस.डी. का सर्वोच्च निकाय सोसाइटी है। वैज्ञानिक सलाहकार समिति (एस.ए.सी.) योजना बनाने, नीति-निर्माण एवं अनुसंधान के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान पर संस्थान को सलाह देती है।

डी.बी.टी. ने राजस्व एवं पूँजी हेतु ₹ 82.40 करोड़ का अनुदान जारी किया जिसके विरुद्ध वर्ष 2012-17 की अवधि के दौरान आई.बी.एस.डी. द्वारा ₹ 71.63 करोड़ का व्यय किया गया।

4.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में आई.बी.एस.डी. की शुरुआत से मार्च 2017 तक की उसकी गतिविधियों की समीक्षा की गई। लेखापरीक्षा निष्कर्ष की चर्चा बाद के पैराग्राफों में की गई है।

4.1.2.1 अत्याधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधाओं की स्थापना

इम्फाल में अत्याधुनिक जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान सुविधाओं का सृजन करना आई.बी.एस.डी. के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक था। इस उद्देश्य के लिए आई.बी.एस.डी. ने मणिपुर सरकार से अनुसंधान सुविधा की स्थापना के लिए ₹ 10.18 लाख में हाराओरोऊ में 37.97 एकड़ भूमि अर्जित (नवम्बर 2007) की। शासी परिषद (जी.सी.) ने आई.बी.एस.डी. को प्रस्तावित जैव-संसाधन उद्यान के विकास के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने हेतु प्राधिकृत किया (नवम्बर 2012)। परिणामस्वरूप, एस.ए.सी. (सितम्बर 2013) ने आई.बी.एस.डी. को एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने की सलाह दी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मार्च 2017 तक आई.बी.एस.डी. द्वारा किसी समिति का गठन नहीं किया गया था, जैसा कि जी.सी. एवं एस.ए.सी. द्वारा सलाह दी गई थी, जिसके कारण जैव-संसाधन उद्यान के विकास का कार्य पूर्ण करने के लिए कोई समयबद्ध कार्ययोजना तैयार नहीं की जा सकी।

इसके अलावा यह पाया गया कि आई.बी.एस.डी. ने उद्यान के विकास हेतु समय-समय पर एस.ए.सी./जी.सी. द्वारा दिए गए अधिकतर सुझावों पर कोई कार्रवाई नहीं की थी, जैसा कि **अनुबंध VIII** में दिया गया है। अतः भूमि के क्रय के नौ वर्षों से ज्यादा की समाप्ति के बाद भी आई.बी.एस.डी. एक पूर्णतः प्रचालित जैव-संसाधन उद्यान की स्थापना नहीं कर सका।

आई.बी.एस.डी. ने कहा (मई 2017) कि संस्थान के निदेशक के परिवर्तन के कारण समिति का गठन नहीं किया गया था। परियोजना तैयार करने में नौ वर्षों से ज्यादा विलंब होना उत्तर को न्यायोचित नहीं ठहराता है।

4.1.2.2 संस्थागत जैव-संरक्षा समिति का गैर-निर्माण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.) के निदेशानुसार²², सूक्ष्मजीवों का संचालन करनेवाले अनुसंधान संस्थानों द्वारा एक संस्थागत जैव-संरक्षा समिति (आई.बी.एस.सी.) गठित की जानी थी। इस समिति में संस्थान के प्रमुख, डी.एन.ए. कार्य में संलग्न वैज्ञानिक, एक चिकित्सा विशेषज्ञ एवं एक डी.बी.टी. का मनोनीत व्यक्ति शामिल होगा। सूक्ष्मजीवों वाले अनुसंधान संस्थानों को आई.बी.एस.सी. के सहयोग से एक अद्यतन प्रत्यक्ष स्थल आपातकालीन योजना तैयार करनी चाहिए। इसके अलावा, जीन प्रौद्योगिकी अथवा सूक्ष्मजीवों के क्षेत्र में

²² विनिर्माण, प्रयोग, निर्यात, आयात एवं खतरनाक सूक्ष्मजीवों, अनुवांशिक रूप से इनजीनियर्ड सूक्ष्मजीवों अथवा कोशिकाओं का संचयन नियम 1989 का नियम 4(3), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली नोटिफिकेशन दिनांक 5 दिसम्बर 1989।

प्रयोगों को प्रयोगशालाओं के बाहर, किन्तु आई.बी.एस.सी. के पर्यवेक्षण में किया जा सकता था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि आई.बी.एस.डी. ने सूक्ष्मजीवों, जिन्हें विविध जोखिम वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, के अंतर्गत पशु/मानव रोगाणुओं एवं वनस्पति कीटों पर आंतरिक अनुसंधान गतिविधि संचालित की, तथापि उसने मार्च 2017 तक आई.बी.एस.सी. का गठन नहीं किया था। परिणामस्वरूप, संस्थान द्वारा आपातकालीन कार्य योजना भी नहीं तैयार किया गया। आई.बी.एस.डी. ने ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनस पर बहु-स्थानीय क्षेत्र परीक्षण प्रयोग भी आई.बी.एस.सी. के पर्यवेक्षण के बिना ही किया।

आई.बी.एस.डी. ने कहा (अगस्त 2017) कि यद्यपि उसने किसी आई.बी.एस.सी. का गठन नहीं किया, तथापि संक्रामक घटकों या जैविक घटकों के साथ काम करने वाले व्यक्ति संभावित खतरों, जैव-खतरा प्रोटोकॉल और प्रक्रियाओं के बारे में जानते थे और इस तरह के घटकों को सुरक्षित तरीके से संभालने के लिए आवश्यक पद्धतियों और तकनीकों में पर्याप्त कुशल थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खतरनाक सूक्ष्मजीवों के उपयोग और भंडारण पर सरकारी नियमों को अनिवार्य रूप से सभी संस्थानों द्वारा कार्यान्वित किया जाना आवश्यक था।

4.1.2.3 जैव-संसाधन डेटाबेस और जैव-सूचना विज्ञान में परिष्कृत प्रणाली की अनुपलब्धता

आई.बी.एस.डी. के जैव-संसाधन डाटाबेस और जैव-सूचना विज्ञान प्रभाग को उन्नत गणनात्मक उपकरणों और तकनीकों तथा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए बायोइनफॉर्मेटिक्स नेटवर्क का उपयोग करके एन.ई.आर. के जैव संसाधनों का प्रलेखीकरण प्रदान करना अनिवार्य है। एस.ए.सी. ने आगे के इन-सिलिको विश्लेषण हेतु जैविक गतिविधि अध्ययन मॉड्यूल के एकीकरण का सुझाव (जून 2011) दिया। प्रभाग के कोर अनुसंधान गतिविधियों हेतु इन-सिलिको डेटा एनोटेशन के लिए यह मॉड्यूल आवश्यक था। जैव-सूचना विज्ञान विभाग ने 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 और 2016 के दौरान इन-सिलिको विश्लेषण हेतु परिष्कृत प्रणाली की खरीद के लिए मांग प्रस्तुत की थी, लेकिन मार्च 2017 तक उसकी खरीद नहीं की गई थी।

इस प्रकार, परिष्कृत प्रणाली के अभाव के कारण, संस्थान के एस.ए.सी. के सलाह के अनुसार इन-सिलिको विश्लेषण नहीं किया गया था, जिसके कारण अनुसंधान गतिविधियाँ अप्राप्य रही।

4.1.2.4 जैव विविधता का अध्ययन और प्रलेखीकरण

आई.बी.एस.डी. की अनुसंधान गतिविधियां चार प्रमुख क्षेत्रों जैसे (क) औषधीय पौधों और बागवानी संसाधनों, (ख) माइक्रोबियल संसाधन, (ग) पशु संसाधन, और (घ) जैव संसाधन डाटाबेस और जैव-सूचना विज्ञान के अंतर्गत तैयार की गई हैं। क्षेत्र के अनूठे जैव-संसाधनों के विकास और उस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए उनके सतत उपयोग के मिशन की पूर्ति के लिए आई.बी.एस.डी. ने एन.ई.आर. के विशाल जैव विविधता के अध्ययन और प्रलेखीकरण पर विभिन्न कार्यक्रमों का उत्तरदायित्व लिया। आई.बी.एस.डी. को क्षेत्र के समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करना भी अनिवार्य है।

(i) जैव-संसाधनों का अपर्याप्त सर्वेक्षण, संग्रहण तथा प्रलेखीकरण

आई.बी.एस.डी. द्वारा जैव-संसाधनों पर किए गए सर्वेक्षण, संग्रहण तथा प्रलेखीकरण की स्थिति तालिका 4.1 में संक्षेप में दी गई है।

तालिका 4.1: जैव-संसाधनों का सर्वेक्षण, संग्रहण तथा प्रलेखीकरण

जैव-संसाधन	कार्यक्रम / सर्वेक्षण	स्थिति
वनस्पति जैव-संसाधन	आई.बी.एस.डी. ने 2003 में वनस्पति जैव-संसाधन अनुसंधान क्षेत्र के तहत "इंडो-बर्मा जैव-विविधता वाले हॉटस्पॉट में पौधे की संपत्ति के सर्वेक्षण, संग्रह और मूल्यांकन" पर एक कार्यक्रम चलाया। इसके उद्देश्य थे - (i) जैव-विविधता की सूचीबद्धता और निगरानी एवं दुर्लभ/संकटग्रस्त प्रजातियों के लिए संरक्षण रणनीतियों को शामिल करना; (ii) क्षेत्र की महत्वपूर्ण कृषि फसलों में संग्रहण, पहचान, प्रलेखीकरण एवं विविधता अध्ययन; तथा (iii) महत्वपूर्ण बागवानी और औषधीय वनस्पति प्रजातियों के औषधि संग्रहालय का अनुरक्षण करना।	<p>क. संस्थान द्वारा, पूर्वोत्तर भारत के ऑर्किड के 249 प्रजातियों में से केवल 18 प्रजातियां, जो कि 7.23 प्रतिशत हैं, का संग्रह और अनुरक्षण किया गया है।</p> <p>ख. तद्यपि पूर्वोत्तर भारत के पूरे बांस के जर्मप्लाज्म के प्रलेखीकरण के लिए एस.ए.सी. ने सिफारिश (अप्रैल 2002) की थी, तथापि कोई अध्ययन शुरू नहीं किया गया था।</p> <p>ग. केवल मणिपुर की साइट्रस प्रजातियां संग्रहित की गई थी, हालांकि पूरे पूर्वोत्तर भारत के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।</p> <p>घ. एस.ए.सी. (सितंबर 2007) ने संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में कपास की भूमि संततियों का दस्तावेजीकरण करने की सिफारिश की थी, लेकिन अध्ययन की शुरुआत को दर्शानेवाला कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं था।</p>

जैव-संसाधन	कार्यक्रम / सर्वेक्षण	स्थिति
		ड. केवल एक ही परिवार के पौधे जिंगबेरेसिया (अदरक परिवार) का सर्वेक्षण और संग्रहण तथा टैक्सोनोमिक पहचान लगभग पूरा हो पाया था। इस परिवार के 88 प्रजातियों में से 76 प्रजातियां, जो 87.5 प्रतिशत हैं, का संग्रहण तथा संस्थान में अनुरक्षण किया गया है।
पशु जैव-संसाधन	2004-05 के दौरान, आई.बी.एस.डी. ने मत्स्य पालन एवं अलंकारिक मूल्य के लिए भारत-बर्मा क्षेत्र से मछली के संग्रह के कार्यक्रम का उत्तरदायित्व लिया।	क. केवल मणिपुर से मछली की 77 प्रजातियां संग्रहित की गईं और आई.बी.एस.डी. में अनुरक्षित की गईं, जबकि पूरे पूर्वोत्तर भारत में प्रजातियों का संग्रह नहीं किया गया। ख. पूर्वोत्तर भारत में उपलब्ध 136 स्थानिक मछलियों में से अभी तक केवल 21 स्थानिक प्रजातियां, जो कि 15.44 प्रतिशत हैं, संग्रहित की गईं थी।
	सोसाइटी की दसवीं बैठक (नवंबर 2010) में, आई.बी.एस.डी. हेतु सिफारिश की गई कि मणिपुर के जिरिबम इलाके में प्रचलित विभिन्न सांपों की आबादी की विविधता अध्ययन एवं प्रलेखीकरण करने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न प्रकार के खाद्य घोंघों के पोषक विश्लेषण पर अध्ययन करे।	ऐसा कोई अध्ययन मार्च 2017 तक शुरू नहीं किया गया। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि उसने साँप की दो प्रजातियों पर साँप के जहर का अध्ययन किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अध्ययन सोसाइटी की सिफारिश के अनुरूप नहीं है।
नृजाति औषधीय ²³ (एथनो फार्माकोलोजिकल) सर्वेक्षण और	आई.बी.एस.डी. ने, अन्य उद्देश्यों में से, पूर्वोत्तर भारत के परंपरागत/लोककथाओं में प्रयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण औषधीय और सुगंधित पौधों के सर्वेक्षण और	आई.बी.एस.डी. केवल नृजाति औषधीय सर्वेक्षण को पूरा कर सका जिसमें 2009-10 में किए गए कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मणिपुर के नौ घटक जिलों की पारंपरिक चिकित्सा पर औषधीय और

²³ विभिन्न नृजाति या सांस्कृतिक दलों द्वारा चिकित्सीय, विशेषकर लोक उपचारों, रूप से प्रयोग किए जानेवाले वैज्ञानिक अध्ययन पदार्थ।

जैव-संसाधन	कार्यक्रम / सर्वेक्षण	स्थिति
प्रलेखीकरण	<p>प्रलेखीकरण का निष्पादन करने के उद्देश्य के साथ एक कार्यक्रम का उत्तरदायित्व (2004-05) लिया।</p> <p>आई.बी.एस.डी. ने मणिपुर के पारंपरिक/लोककथाओं के आधार पर पद्धतियों के नृजाति औषधीय सर्वेक्षण और प्रलेखीकरण के उद्देश्य से एक अन्य कार्यक्रम की शुरुआत की (2009 -10)।</p> <p>एस.ए.सी. ने संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की वैधता और सुरक्षा की पुष्टि करने का सुझाव दिया (जून 2011)।</p> <p>एस.ए.सी. ने इसके अलावा, भारत के व्यापक रूप से परिचालित पत्रिका में नृजाति औषधीय सर्वेक्षण का सारांश प्रकाशित करने और पुस्तिका/ब्रोशर/सीडी के रूप में, एक डाटाबेस को तैयार करने का सुझाव दिया (अगस्त 2013)।</p>	<p>सुगंधित पौधों को शामिल किया था।</p> <p>आई.बी.एस.डी. ने मणिपुर को छोड़कर पूर्वोत्तर भारत के अन्य राज्यों का नृजाति औषधीय सर्वेक्षण और प्रलेखीकरण नहीं किया।</p>

इस प्रकार लगभग 15 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद भी, आई.बी.एस.डी. पर्याप्त रूप से एन.ई.आर. के अनूठे जैवविविधता का सर्वेक्षण, पहचान और प्रलेखीकरण नहीं कर सका जैसा कि इसके उद्देश्य द्वारा अधिदेशित और इसकी समितियों द्वारा अनुशंसित था।

(ii) **जैव-संसाधनों की पहचान हेतु वर्गीकरण वैज्ञानिक (टैक्सोनॉमिस्ट) की कमी**

सितम्बर 2004 में की गई तृतीय एस.ए.सी. बैठक सितंबर में क्षेत्र के स्थानिक तथा अन्वेषित वनस्पति प्रजातियों के अनुसंधान गतिविधियों की शुरुआत करने से पहले उन प्रजातियों के वर्गीकरणात्मक पहचान की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके अलावा, एस.ए.सी. की सितम्बर 2007 की बैठक में यह पाया गया कि वर्गीकरण वैज्ञानिकों की संख्या में गिरावट जैव-विविधता अनुसंधान में एक प्रमुख समस्या रही है तथा इसे देखते हुए सही व्यक्तियों को ढूँढा जाना आवश्यक है।

अभिलेखों की जांच से पता चला कि आई.बी.एस.डी. के पास केवल एक वनस्पति वर्गीकरण वैज्ञानिक था। 2004-05 से 2016-17 की अवधि के दौरान कुल 946 वनस्पति प्रजातियां संग्रहित की गई थीं जिसमें से लगभग 669 प्रजातियों की

टैक्सोनॉमिक रूप से पहचान की गई जिससे लगभग 30 प्रतिशत प्रजातियां अपरिचित रह गईं। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि पशु जैव-संसाधन प्रभाग, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के कीटों और मत्स्य संसाधनों पर शोध किया गया था, के पास भी कोई पशु वर्गीकरण वैज्ञानिक नहीं था। कीट प्रभाग ने टैक्सोनॉमिक पुस्तकों का उपयोग कर टैक्सोनॉमिक पहचान की तथा अपने नमूनों को अन्य संस्थानों में उचित पहचान के लिए भेजा। 2016-17 तक, संग्रहित 41 प्रजातियों में से इस प्रभाग द्वारा 33 प्रजातियों की पहचान की गई थी। इसी प्रकार, मत्स्य संसाधन प्रभाग ने अपने द्वारा संग्रहित 77 प्रजातियों में से 68 प्रजातियों की पहचान की।

इस प्रकार, वर्गीकरण वैज्ञानिकों की कमी के कारण, संग्रहित प्रजातियों की पहचान पूरी नहीं हो पाई। फलस्वरूप, पूर्वोत्तर क्षेत्र के अद्वितीय जैव संसाधनों के अध्ययन और प्रलेखीकरण के लिए आई.बी.एस.डी. के उद्देश्य को पूर्णतः हासिल नहीं किया जा सका।

(iii) संरक्षण के अपर्याप्त प्रयास

एस.ए.सी. ने संपूर्ण एन.ई.आर. जैव-संसाधनों के संरक्षित किए जाने योग्य प्रजातियों का पता लगाने के लिए रणनीति विकसित करने का सुझाव (जनवरी 2007) दिया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि आई.बी.एस.डी. के पास यह दर्शाने के लिए कोई जानकारी नहीं थी कि जैव-संसाधनों का पता लगाया गया था। एस.ए.सी./जी.सी./सोसाइटी ने समय-समय पर (नवंबर 2004 से नवंबर 2005 तक) जैव संसाधनों के संरक्षण पर सुझाव दिए थे। आई.बी.एस.डी. द्वारा इन सुझावों पर उठाए गए कदमों का विवरण नीचे दिया गया है।

क. क्षेत्र के अनूठे जर्मप्लाज्म के दीर्घकालीन संरक्षण के लिए, सोसाइटी ने आई.बी.एस.डी. को कोर संग्रह के रूप में नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स²⁴ (एन.बी.पी.जी.आर.), नई दिल्ली में इसके द्वारा एकत्रित जर्मप्लाज्म नमूनों के एक सेट को जमा करने का सुझाव (नवंबर 2004) दिया। जी.सी. ने इसकी आवश्यकता पुनः दोहराया, जिसमें आई.बी.एस.डी. को आगे शिलांग में एन.बी.पी.जी.आर. के रीजनल स्टेशन में हल्दी और अदरक के एलिट जीनोटाइप को जमा करने की सलाह (नवंबर 2005) दी। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि उनके पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, जो दर्शाता है कि आई.बी.एस.डी. ने सोसाइटी के निर्देशों पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

²⁴ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स (एनबीपीजीआर) वनस्पति अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी है।

- ख. आई.बी.एस.डी. ने 2005-06 के दौरान 10 ऑर्किडों का संकरण किया। इन संकर ऑर्किडों के संरक्षण के लिए, एस.ए.सी. ने आई.बी.एस.डी. को प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स ऑथोरिटी²⁵ के साथ उसका पंजीकरण करने की सलाह (जनवरी 2007) दी। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि दो संकर ऑर्किडों के पंजीकरण के लिए प्रयास जारी हैं।
- ग. आई.बी.एस.डी. ने मछलियों की 77 प्रजातियां संग्रहित की तथा उनका मछलीघर में अनुरक्षण किया। इन 77 मछलियों में से 21 प्रजातियों को खतरे मे/अरक्षित/लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह पाया गया कि इन 21 प्रजातियों में से केवल सात प्रजातियों के लिए ही संरक्षण के प्रयास किए गए थे।
- घ. सोसाइटी ने सुझाव दिया (नवंबर 2005) कि केवल लुप्तप्राय और अरक्षित औषधीय पौधों, जो विलुप्त होने के कगार पर थे, के संरक्षण के लिए चयन तथा सतत प्रयास किए जाने चाहिए। आई.बी.एस.डी. ने बताया (मई 2017) कि इस संबंध में किए गए कार्यों पर उनके पास कोई सूचना उपलब्ध नहीं थी।

उपरोक्त टिप्पणियां दर्शाती है कि आई.बी.एस.डी. ने जैव-संसाधनों के मानचित्रण और संरक्षण के लिए कोई रणनीति विकसित नहीं की। आई.बी.एस.डी. ने इस संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा की गई सिफारिशों पर भी कार्रवाई नहीं की।

4.1.2.5 जैव-प्रौद्योगिकी व्यवधान का विकास

दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण जैविक रूप से संवेदनशील हॉटस्पॉट होने के नाते, एन.ई.आर. कई नए और नवीन जीन पूलों के विकास का एक सक्रिय केंद्र है। इन जीन पूलों में बहुमूल्य घटक और जीन होते हैं जो सूखा, ठंड, तुषार, रोगाणुओं और कीटों को सहिष्णुता प्रदान कर सकते हैं। आई.बी.एस.डी. यह सुनिश्चित करने में एक भूमिका निभाने के लिए बनाई गई है कि समृद्ध जैव-संसाधन, उत्पाद तथा प्रक्रिया अर्थात् प्रौद्योगिकी में परिवर्तित किए जाए।

आई.बी.एस.डी. ने उत्पाद और प्रौद्योगिकी के विकास के उद्देश्य से 30 कार्यक्रम अपने हाथ में लिए। इनमें से नौ वनस्पति जैव-संसाधन प्रभाग द्वारा, 19 माइक्रोबियल संसाधन प्रभाग द्वारा तथा दो कार्यक्रम पशु संसाधन प्रभाग द्वारा किए गए।

²⁵ प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स ऑथोरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अधिनियम, 2001 (पीपीवीएफआर) के अंतर्गत स्थापित की गई है। पीपीवीएफआर भारत की संसद का एक ऐसा अधिनियम है जो वनस्पति विविधताओं के संरक्षण, किसानों व ब्रीडर्स के अधिकारों हेतु एक प्रभावी प्रणाली की स्थापना करने और पौधों के नए प्रकारों के विकास एवं खेती को बढ़ावा देने के लिए लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि आई.बी.एस.डी. के उद्भव से अब तक आठ प्रौद्योगिकियों (**परिशिष्ट IX**) विकसित की गई थी परंतु उनमें से किसी का भी औद्योगिक हस्तान्तरण नहीं किया गया। इसके अलावा, इसके प्रारंभ से (**परिशिष्ट X**) केवल तीन पेटेंट ही दायर किए गए थे परंतु इनमें से किसी को भी अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिली थी। उपरोक्त के अलावा एस.ए.सी. ने समय-समय पर उत्पाद/प्रौद्योगिकी विकास के लिए विशिष्ट शोध गतिविधि चलाये जाने का सुझाव दिया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट XI** में दिया गया है। हालांकि, यह पाया गया कि एस.ए.सी. के सिफारिशों पर आई.बी.एस.डी. द्वारा कोई उत्पाद/प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गई।

इस प्रकार, जैव-संसाधनों के सतत उपयोग हेतु जैव-प्रौद्योगिकी के प्रयोग का उद्देश्य काफी हद तक अप्राप्य रहा। एस.ए.सी. के सिफारिशों पर कार्रवाई करने में असफल होने की वजह से समिति द्वारा निगरानी तथा समीक्षा के उद्देश्य को प्राह्य नहीं हो सके।

4.1.2.6 तकनीकी पैकेजों का निर्माण

सोसाईटी ने अपने सातवें बैठक (अक्टूबर 2007) में सिफारिश की कि संस्थान को अनुसंधान योजना के प्रारंभिक चरणों में ही उद्योगों को शामिल करना चाहिए तथा उत्पादों के विकास के लिए जिनका कि बाजार में मांग है, को अपने जैव-संसाधनों में उपयोग करते हुए, संस्थान को कुछ स्थानीय उद्यमियों को सम्मिलित रूप से काम करने के लिए साथ लाना चाहिए। सोसाईटी के सातवें बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट के अनुसार, आई.बी.एस.डी. ने दो निजी प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर दो अलग-अलग संयुक्त परियोजनाओं का संचालन किया। हालांकि, इन दो परियोजनाओं का परिणाम रिकॉर्ड में नहीं था। इसके अलावा सोसाईटी के नौवें बैठक (नवम्बर 2009) में यह सुझाव दिया गया कि आई.बी.एस.डी. को उपयोगी उत्पाद एवं प्रक्रिया समाज को प्रदान करने के लिए पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशीप (पी.पी.पी.) मोड पर कार्यक्रमों को विकसित करना चाहिए। जी.सी. ने अपने चौदहवें बैठक (नवम्बर 2014) में संस्थान द्वारा पीपीपी के सृजन की स्वीकृति प्रदान की। हालांकि, कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड में नहीं था जिससे पता चले कि आई.बी.एस.डी. द्वारा पीपीपी मोड कार्यक्रमों को संचालित किया गया था।

मामले को विभाग (अक्टूबर 2017) के पास भेजा गया था; दिसम्बर 2017 तक उनके जवाब की प्रतीक्षा थी।

4.2 पदोन्नति तथा हकदारी की अनियमित मंजूरी

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे ने लचीली पूरक योजना के अंतर्गत वैज्ञानिक स्टाँफ के पदोन्नति तथा विदेश दौरों के मामले में सरकारी नियम तथा आदेशों का पालन नहीं किया। परिणामस्वरूप सरकारी निर्देशों के उल्लंघन में वेतन, यात्रा भत्ता तथा विदेश दौरों हेतु कुल ₹ 93.26 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

4.2.1 प्रस्तावना

राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र (एन.सी.सी.एस.), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) का एक स्वायत्त संस्थान है, जो पशु कोशिका कल्चर्स के राष्ट्रीय कोष के रूप में, कोशिका जीवविज्ञान में अनुसन्धान तथा मानव संसाधन विकास में कार्य करता है। 31 मार्च 2017 को एन.सी.सी.एस. में 197²⁶ की संस्वीकृत संख्या के समक्ष 146 कर्मिक कार्य कर रहे थे।

कर्मियों के प्रबंधन और हकदारी लाभों की लेखापरीक्षा में मौजूदा नियमों से विचलन सामने आया जैसा कि आगे के पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.2.2 पदोन्नतियाँ

पाँचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी विभागों में वैज्ञानिकों/तकनीकी कार्मिकों की स्व-स्थाने पदोन्नति हेतु मौजूदा लचीली पूरक योजना (एफ.सी.एस.)²⁷ में संशोधन कर कार्यालय ज्ञापन जारी (नवम्बर 1998) किया।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:-

(i) कार्यकाल अवधि के पूर्ण होने से पूर्व पदोन्नति

डी.ओ.पी.टी. का कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.), विभिन्न वैज्ञानिक पदनामों हेतु विशेषकर मेधावी अभ्यर्थियों के लिए किसी एक अवसर पर एक वर्ष से ज्यादा नहीं तथा पूर्ण कार्यकाल में अधिकतम दो अवसरों तक सीमित कर, छूट के साथ, न्यूनतम कार्यकाल अवधि को उल्लिखित करता है। कार्यालय ज्ञापन के अनुसार वैज्ञानिक-ई से वैज्ञानिक-एफ तक तथा तत्पश्चात वैज्ञानिक-जी तक पदोन्नति हेतु निर्धारित न्यूनतम कार्यकाल अवधि पाँच वर्ष थी। हालाँकि डी.ओ.पी.टी. कार्यालय ज्ञापन के उल्लंघन में, दो

²⁶ मार्च 2017 तक 197 की संस्वीकृत संख्या (वैज्ञानिक-55, तकनीकी-94 और प्रशासनिक-48) के समक्ष 146 कार्मिक (वैज्ञानिक-32, तकनीकी-72 और प्रशासनिक-42) कार्य कर रहे थे।

²⁷ विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभागों में ग्रुप-क के वैज्ञानिक पदों वाले वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविदों और जो वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिक गतिविधियों और सेवाओं में लगे हुए हैं, के लिए एक स्वस्थानी प्रोत्साहन योजना।

वैज्ञानिकों²⁸ को उनकी कार्यकाल अवधि में डेढ़ वर्ष से दो वर्ष की छूट के साथ वैज्ञानिक ई से वैज्ञानिक एफ पर पदोन्नत किया। यह देय तिथियों से पहले वैज्ञानिक जी पर आगामी पदोन्नतियों की वजह भी बना। परिणामस्वरूप, दो वैज्ञानिकों को ₹ 1.56 लाख के वेतन तथा भत्तों का अनियमित भुगतान हुआ।

एन.सी.सी.एस. ने कहा (नवम्बर 2017) कि इसके मौजूदा नियुक्ति तथा पदोन्नति नियमों के अनुसार एन.सी.सी.एस. की मूल्यांकन समिति, कार्यकाल अवधि में छूट की सिफारिश के लिए सक्षम प्राधिकारी थी तथा इसकी वैज्ञानिकों की पदोन्नति करने वाली संस्तुतियां निदेशक द्वारा अनुमोदित थी।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एन.सी.सी.एस. के नियुक्ति तथा पदोन्नति प्रावधान, न्यूनतम कार्यकाल अवधि पर डी.ओ.पी.टी. के कार्यालय ज्ञापन का उल्लंघन नहीं कर सकते थे।

(ii) पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पदोन्नति की मंजूरी

डी.ओ.पी.टी. ने स्पष्ट किया (जुलाई 2002) कि एफ.सी.एस. में पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ पदोन्नति मंजूर नहीं की जा सकती है तथा सितम्बर 2012 में आगे यह कहते हुए दोहराया कि सामयिक मूल्यांकन जैसा कि एफ.सी.एस. दिशा निर्देशों में निर्धारित है, के बिना पूर्वव्यापी तिथि से पदोन्नति लाभ देना, सख्त मूल्यांकन पर एन.सी.सी.एस. निर्देशों की भावना को कमजोर करेगा। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 5,400 से ₹ 10,000 की रेंज वाले ग्रेड पे (जी.पी.) में पूर्वव्यापी रूप से एफ.सी.एस. के अंतर्गत वैज्ञानिक वर्ग वाले 19 कर्मचारियों को पदोन्नति/वित्तीय उन्नयन मंजूर किया गया, परिणामस्वरूप, योजना के लाभार्थियों को ₹ 16.96 लाख का अयोग्य भुगतान हुआ।

एन.सी.सी.एस. ने विस्तृत तथा अधिक समय लेने वाले मामलों की जांचों के हवाले से पदोन्नति की मंजूरी में हुई देरी के आधार पर पूर्वव्यापी रूप से भुगतान को न्यायोचित ठहराया (नवम्बर 2017)।

औचित्य तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि योजना के अंतर्गत अधिसूचित नियमों में एक वर्ष में दो बार चयन समिति/मूल्यांकन बोर्ड द्वारा पदोन्नति की समीक्षा का प्रावधान शामिल है तथा मामलों का मूल्यांकन पदोन्नति की देय तिथि से पहले पूरा किया जाना चाहिए जैसा कि सितम्बर 2012 में डी.ओ.पी.टी. द्वारा दोहराया गया था।

²⁸ नवंबर 2007 में पदोन्नत श्री ए.के. साहू एवं अप्रैल 2006 में पदोन्नत श्री देवाशीष मित्रा।

4.2.3 हकदारी

4.2.3.1 विदेश दौरों की ओर अस्वीकार्य व्यय

वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) ने व्यय प्रबंधन तथा मितव्ययता उपाय हेतु दिशानिर्देशों को शामिल कर आदेश जारी किए (जुलाई 2011, मई 2012 तथा सितम्बर 2013) जो अन्य बातों के साथ-साथ बताते हैं कि विदेशों में कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/पेपर के प्रस्तुतीकरण के केवल वे प्रस्ताव जो प्रायोजक एजेंसियों द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित हैं, के अलावा सरकारी खर्च पर किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने आगे स्पष्ट (अगस्त 2011) किया कि ये आदेश, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वायत्त निकायों पर लागू थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2011-14 के दौरान, एन.सी.सी.एस. के कर्मचारी विदेश में कार्यशाला/संगोष्ठी/सम्मेलन/पेपर के प्रस्तुतीकरण के लिए गए जिस पर एन.सी.सी.एस. ने अपनी निधि से ₹ 27.05 लाख खर्च किए।

एन.सी.सी.एस. ने कहा (नवंबर 2017) कि 2013 तक, विदेश दौरे हेतु व्यक्तिगत वैज्ञानिकों के मामले प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् डी.बी.टी. के अनुमोदन हेतु भेजे गए। डी.बी.टी. ने यह प्राधिकार एन.सी.सी.एस., निदेशक को सौंप दिया (फरवरी 2013) था। तदनुसार विदेश दौरों के मामले, अनुसंधान में वैज्ञानिकों की आवश्यकता/महत्ता को ध्यान में रखते हुए संस्वीकृत किए गए, ताकि जानकारी, निपुणता व प्रदर्शन में कमी को पूरा किया जा सके।

इस तरह के विदेश दौरों को मना करने संबंधी जी.ओ.आई. निर्देशों के संदर्भ में उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

4.2.3.2 यात्रा भत्ता का अस्वीकार्य भुगतान

वित्त मंत्रालय ने ए1/ए शहरों में रहने वाले कर्मचारियों के लिए स्लैब-वार यात्रा भत्ता ₹ 3,200, ₹ 1,600 तथा ₹ 600 और मँहगाई भत्ता (डी.ए.) सहित तथा अन्य शहरों में रहने वाले कर्मचारियों हेतु ₹ 1,600, ₹ 800 तथा ₹ 400 और डी.ए. सहित की सहमति दी (अगस्त 2008)। आगे यह अनुबंधित किया गया कि ₹ 10,000 तथा ₹ 12,000 ग्रेड पे लेने वाले तथा एच.ए.जी.+स्केल वाले अधिकारी, जो कार्यालय ज्ञापन दिनांक जनवरी 1994 के अनुसार कार्यालयीन कार प्रयोग करने के हकदार थे, को उनके लिए मौजूदा सुविधा का लाभ उठाने या प्रतिमाह ₹ 7,000 की दर से यात्रा भत्ता डी.ए. सहित का विकल्प दिया जाएगा तथा केवल सांविधिक/स्वायत्त निकाय के मुख्य कार्यकारी स्टाफ कार हेतु हकदार है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया (अगस्त 2016) के कथित कार्यालय आदेश दिनांक जनवरी 1994 के अनुसार स्टाफ कार के लिए गैर हकदार अधिकारी ₹ 7,000 के यात्रा भत्ता जमा डी.ए. हेतु योग्य नहीं है।

चाहे वे क्रियाशील एसीपी योजना या गैर कार्यात्मक उन्नयन योजना के अंतर्गत पी.बी.-4 में ₹ 10,000 के ग्रेड पे ले रहे हैं।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ₹ 7,000 के यात्रा भत्ते की उच्च दर 13 कर्मचारियों को मंजूर की गई जो मौजूदा सरकारी निर्देशों के अनुसार स्टाफ कार के हकदार नहीं थे। परिणामस्वरूप इन कर्मचारियों को ₹ 47.69 लाख के यात्रा भत्ते का अधिक भुगतान हुआ।

एन.सी.सी.एस. ने कहा (नवम्बर 2017) कि ₹ 7,000 के उच्च यात्रा भत्ते तथा डी.ए. को गैर-हकदार कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया गया है। इन कर्मचारियों को पहले भुगतान की जा चुकी अतिरिक्त राशि की वसूली के सम्बन्ध में एन.सी.सी.एस. ने जानकारी दी कि मामला डी.ओ.पी.टी. को सौंपा गया है।

मामला, विभाग को सूचित किया गया (अक्टूबर 2017); मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

4.3 स्टाफ आवास के निर्माण हेतु खरीदी गई भूमि का गैर-उपयोग

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, स्टाफ आवास के निर्माण के लिए ₹ 3.93 करोड़ की कीमत पर अधिग्रहित भूमि का 17 वर्ष बीतने के पश्चात भी प्रयोग में लाने में असफल रहा, परिणामस्वरूप, निर्माण में देरी के कारण जुर्माने के तौर पर ₹ 35.89 लाख का परिहार्य व्यय तथा ₹ 41.14 लाख जुर्माने की लंबित देनदारी हुई।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (एन.आई.आई.), जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, ने अपने स्टाफ की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण डी.डी.ए. से द्वारका, नई दिल्ली में 8,094 वर्गमीटर की भूमि के माप वाले प्लॉट को अधिग्रहित किया (जुलाई 1998)। एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को भूमि की कीमत के तौर पर ₹ 2.64 करोड़²⁹ का भुगतान किया (सितम्बर 1998 तथा मार्च/अप्रैल 1999) तथा मई 2000 में भौतिक कब्जा लिया।

डी.डी.ए. द्वारा जारी आबंटन पत्र की नियम व शर्तों के अनुसार, निर्माण कार्य, प्लॉट पर कब्जा करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के अंदर अर्थात् मई 2002 तक पूरा किया जाना था। एन.आई.आई. से, निर्माण-स्थल पर कब्जे की सुपुर्दगी की तिथि से भूमि किराया जो कि 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से भूमि की किश्त पर देय था, का भुगतान भी अपेक्षित था।

²⁹ ₹ 2.58 करोड़ प्रीमियम एवं ₹ 6.44 लाख के भूमि किराए सहित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आई.आई. ने फरवरी 2004 तक परियोजना की प्रगति के लिए किसी कार्यवाही की पहल नहीं की, जब इसने स्टाफ आवास के लिए आरेखण/बिल्डिंग योजना/आकलन को तैयार करने हेतु एक वास्तुकार को संपर्क किया। वास्तुकार ने एन.आई.आई. को सूचित किया (अप्रैल 2004) कि चूंकि डी.डी.ए. को स्टाफ आवास के निर्माण के लिए दिया गया समय समाप्त हो चुका था, समय-वृद्धि, डी.डी.ए. से प्राप्त की जानी थी। तदनुसार, एन.आई.आई. ने कार्य समापन हेतु समय बढ़ाने के लिए डी.डी.ए. से संपर्क किया (जून 2006)। डी.डी.ए. ने निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए दिसम्बर 2008 तक समय सीमा बढ़ाने की मंजूरी (जून 2007) दी। तथापि, एन.आई.आई. बढ़ाई गई अवधि के अंदर क्वार्टर का निर्माण करने में भी असफल रहा तथा फिर से डी.डी.ए. को और समय बढ़ाने हेतु संपर्क किया (दिसम्बर 2008/जुलाई 2011)।

डी.डी.ए. ने दिसम्बर 2013 तक समय बढ़ाया (मई 2012) जो ₹ 1.42 करोड़ के भुगतान की शर्त पर था (निर्माण में देरी हेतु ₹ 1.23 करोड़ के तौर पर कम्पोजीशन शुल्क तथा बकाया भूमि किराया के तौर पर ₹ 19.31 लाख)। एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को भूमि किराया तथा कम्पोजीशन शुल्क में छूट देने के लिए आवेदन दिया (मई 2012)।

अनुरोध पर विचार करते हुए (मई 2012), डी.डी.ए. ने कम्पोजीशन शुल्क के 75 प्रतिशत की छूट दी (जनवरी 2013) तथा दिसम्बर 2013 तक निर्माण कार्य हेतु समय बढ़ाने की अनुमति पर सहमति दी।

एन.आई.आई., फिर से निर्माण कार्य करने में असक्षम था तथा डी.डी.ए. को और समय बढ़ाने तथा संरचना शुल्क में पूर्ण छूट देने के लिए संपर्क किया (सितम्बर 2013)। डी.डी.ए. ने एन.आई.आई. के अनुरोध को रद्द कर दिया तथा सूचित किया (फरवरी 2014) कि कम्पोजीशन शुल्क के 25 प्रतिशत के भुगतान पर ही मार्च 2015 तक समय बढ़ाने की मंजूरी दी जा सकती थी। तदनुसार, एन.आई.आई. ने मार्च 2017 तक समय बढ़ाने की मंजूरी के लिए एक अनुरोध के साथ ₹ 30.50 लाख का कम्पोजीशन शुल्क जमा किया (फरवरी 2014)।

डी.डी.ए. ने ₹ 41.14 लाख के अतिरिक्त कम्पोजीशन भुगतान के अधीन दिसम्बर 2015 तक समय बढ़ाने की अनुमति दी (जून 2014)। एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को संरचना शुल्क में छूट तथा निर्माण कार्य समापन हेतु दिसम्बर 2018 तक समय बढ़ाने के लिए एक और अनुरोध किया (अगस्त 2015)। डी.डी.ए. ने अनुरोध पर विचार करने के लिए, एन.आई.आई. से पंजीकृत वास्तुकार की ओर से एक प्रमाण पत्र जो यह दर्शाए कि निर्माण कार्य 50 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है, प्रस्तुत करने को कहा (अक्टूबर 2015)।

एन.आई.आई. ने डी.डी.ए. को सूचित किया (नवम्बर 2015) कि स्टाफ आवास का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया जा सका था क्योंकि स्टाफ आवासों का आरेखण डी.डी.ए. द्वारा अभी अनुमोदित किया जाना है। इसके प्रत्युत्तर में, डी.डी.ए. ने कथित भूमि में निर्माण गतिविधियों को पूरा करने के लिए एन.आई.आई. द्वारा तैयार किए गए बजटीय प्रावधानों के विवरण हेतु पूछा (मार्च 2016)। एन.आई.आई. ने 2001-02 से 2017-18 की अवधि हेतु इसके बजट में आवासों के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया था।

अगस्त 2017 को, एन.आई.आई. ने भूमि किराया, कम्पोजीशन शुल्क तथा डी.डी.ए. को देरी से किए गए भुगतान पर ब्याज के लिए कुल ₹ 1.51 करोड़³⁰ का भुगतान किया। इसके अलावा, इसने प्लॉट की चारदीवारी के निर्माण पर ₹ 20.86 लाख का व्यय किया (2015-16)।

एन.आई.आई. ने कहा (मई 2016) कि डी.बी.टी. तथा दिल्ली आधारित स्वायत्त संस्थानों के साथ खरीदी गई भूमि के बेहतर उपयोग के लिए चर्चा की जा रही थी। एन.आई.आई. ने आगे बताया कि वह एक निश्चित निर्माण योजना प्रस्तुत कर चुका था तथा डी.डी.ए. को निर्माण गतिविधियों के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध किया था जो डी.डी.ए. के पास लंबित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एन.आई.आई. के पास स्टाफ आवासों के निर्माण हेतु उस समय पर एक निश्चित योजना नहीं थी, जब इसने भूमि की माँग, भुगतान तथा भौतिक कब्जा किया। यह इस तथ्य से साफ तौर पर स्पष्ट है कि 2001-02 से 2017-18 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं था। एन.आई.आई. ने कार्य हेतु वास्तुकार को फरवरी 2004 में नियुक्त किया जो भूमि पर कब्जे के बाद से तीन वर्ष से भी अधिक था। उसने जुलाई 2009 में डी.डी.ए. को अपनी इमारत योजना और चित्र प्रस्तुत की। परिणामस्वरूप, वर्ष 2000 में अधिग्रहित भूमि को 17 वर्षों से अधिक समय तक भी अपेक्षित उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सका, जो ₹ 3.93 करोड़³¹ की अधिग्रहित भूमि के बेकार पड़े रहने तथा ब्याज व कम्पोजीशन शुल्क के समक्ष ₹ 35.89 लाख³² के परिहार्य व्यय की ओर ले गया। इसके अतिरिक्त, डी.डी.ए. द्वारा की गई ₹ 41.41 लाख की माँग अनिर्णीत रही तथा निर्माण कार्य पूर्ण होने तक एन.आई.आई. के ऊपर जुर्माने के भुगतान के रूप में देयता जारी रह सकती है।

³⁰ भूमि किराया ₹ 1.15 करोड़, कम्पोजीशन शुल्क ₹ 30.50 लाख तथा ब्याज ₹ 5.39 लाख

³¹ भूमि किराया तथा भूमि की कीमत/परिधि दीवार का निर्माण

³² ब्याज ₹ 5.39 लाख, कम्पोजीशन शुल्क ₹ 30.50 लाख

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

मामला डी.बी.टी. को भेजा गया (नवम्बर 2017); दिसम्बर 2017 तक इसका उत्तर प्रतीक्षित था।

अध्याय - V

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

5.1 मूल्य वृद्धि के कारण परिहार्य व्यय

इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता ने ₹ 52.78 लाख का परिहार्य व्यय किया तथा अल्पावधि अनुबंध के क्रियान्वयन में मूल्य-वृद्धि के कारण ₹ 31.01 लाख की अतिरिक्त देयता पैदा की।

सामान्य वित्त नियम, 2005 का नियम 204 (viii) अनुबद्ध करता है कि कीमत-परिवर्तन खंड (पी.वी.सी.), केवल दीर्घ अवधि अनुबंधों, जहाँ सुपुर्दगी अवधि 18 महीने से अधिक होती है, में प्रदान किया जा सकता है। अल्पवधि अनुबंधों में स्थिर तथा निश्चित कीमतें प्रदान की जानी चाहिए। कीमत-परिवर्तन खंड प्रदान किए जाने वाले मामलों में सामग्री तथा श्रम की कट ऑफ तिथियाँ, कीमत परिवर्तन की अधिकतम सीमा तथा अनुबंध कीमतों में परिवर्तन का न्यूनतम प्रतिशत जिससे अधिक होने पर कीमत परिवर्तन स्वीकार्य हो, को उल्लिखित किया जाना चाहिए।

इण्डियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, कोलकाता (आई.ए.सी.एस.), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) के अंतर्गत एक वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, ने अपनी लाइब्रेरी बिल्डिंग की ऊपरी तीन मंज़िलों के निर्माण का कार्य मेसर्स हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, कोलकाता (एच.एस.सी.एल.) को कार्य शुरू करने की तिथि से 18 कैलेंडर महीनों के अंदर पूरा करने हेतु ₹ 6.45 करोड़ की कीमत पर दिया। ठेकेदार को निर्माण-स्थल अप्रैल 2009 में सौंप दिया गया तथा इस प्रकार कार्य अक्टूबर 2010 से पहले पूरा किया जाना था। कार्य आदेश में, प्राधिकृत एक्सटेंशन को शामिल करते हुए अनुबंध अवधि के दौरान क्रियान्वित कार्य पर सामग्रियों तथा श्रम की कीमत में बढ़ोतरी या कमी की वजह से कीमत परिवर्तन समायोजन (पी.वी.ए.) हेतु एक खंड को शामिल किया गया था।

कार्य, ढाई वर्ष से अधिक की देरी के पश्चात् जून 2013 में पूरा किया गया। आई.ए.सी.एस. ने यह विचार करने के बाद कि उक्त देरी ठेकेदार की वजह से नहीं थी, एच.एस.सी.एल. को छह अवसरों पर दो से नौ महीने तक की विभिन्न अवधियों हेतु समय बढ़ाना मंजूर किया। आई.ए.सी.एस. ने फरवरी 2017 तक कार्य के

क्रियान्वयन के आकलन पर एच.एस.सी.एल. को ₹ 6.71 करोड़ का भुगतान जारी किया।

एच.एस.सी.एल. ने कीमत परिवर्तन के लिए ₹ 83.79 लाख की कुल राशि का दावा किया, जिसमें से आई.ए.सी.एस. द्वारा ₹ 52.78 लाख का भुगतान किया गया तथा ₹ 31.01 लाख का शेष भुगतान फरवरी 2017 को अनुमोदित किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 महीने से कम अवधि वाले अल्पावधि अनुबंध में कीमत परिवर्तन समायोजन (पी.वी.ए.) खंड का समावेश, सामान्य वित्त नियमों का उल्लंघन था। ठेकेदार को अधिक समय दिए जाने की मंजूरी को आई.ए.सी.एस. ने अपने उत्तर लेते हुए कार्य के क्रियान्वन हेतु जगह प्रदान करने तथा विद्युतीय कार्यों के आंतरिक लेआउट को अंतिम रूप दिए जाने में देरी, एच.एस.सी.एल. के कार्य क्षेत्र के अंदर न होने वाले कार्यों का पूर्ण न होना इत्यादि का उचित करार दिया। यह आई.ए.सी.एस. की ओर से कीमतों में बढ़ोतरी को टालने के लिए आवश्यक गतिविधियों के समय पर समापन को सुनिश्चित करने में उचित ध्यान की कमी का सूचक था। इससे ₹ 83.79 लाख की मूल्य-वृद्धि हुई।

आई.ए.सी.एस. ने कहा (जून 2017) कि यह एक दीर्घ अवधि अनुबंध था क्योंकि समापन की वास्तविक तिथि 18 महीने थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कार्य आदेश, 18 महीने तक समापन/पूर्ण होना उल्लिखित करता है तथा कीमत परिवर्तन समायोजन (पी.वी.ए.) खंड, केवल 18 महीने से अधिक की समापन अवधि हेतु प्रविष्ट किए गए अनुबंधों में समावेशित किए जा सकते थे।

जून 2017 में मामला डी.एस.टी. को सूचित किया गया; दिसम्बर 2017 तक उनका उत्तर प्रतिक्षित था।

अध्याय - VI

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

6.1 दंड-स्वरूप ब्याज की गैर-वसूली

निजी उद्योगों को वित्तपोषित परियोजनाओं से आय के अपने हिस्से के विलंबित धन-प्रेषण पर दंड-स्वरूप ब्याज लगाने में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की विफलता का परिणाम ₹ 2.55 करोड़ की गैर-वसूली के रूप में हुआ।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) ने प्रौद्योगिकी संवर्धन विकास और उपयोगिता कार्यक्रम (टी.पी.डी.यू.)³³ के तहत विभिन्न निजी उद्योगों को प्रौद्योगिकी के विकास और प्रक्रिया/उत्पादों के निरूपण के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति दी। कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार, इसे जारी की गई सहायता अनुदान की कुल राशि का 1.3 गुना तक की रॉयल्टी की एकमुश्त राशि पांच वार्षिक किश्तों में डी.एस.आई.आर. को उत्पादों की व्यावसायिक बिक्री की शुरुआत से प्रेषित की जानी थी।

डी.एस.आई.आर. के अंतर्गत प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में विशेषज्ञ सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम, नई दिल्ली (एन.आर.डी.सी.), की निजी उद्योगों से रॉयल्टी की एकमुश्त राशि की प्राप्ति के लिए पहचान की गई थी। इस प्रयोजन के लिए, डी.एस.आई.आर. ने एन.आर.डी.सी. के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षर किया (दिसंबर 2002), जिसमें दोनों पक्षों के कर्तव्यों और दायित्वों से संबंधित निबंधन और शर्तें शामिल थीं। एम.ओ.यू. के अनुसार, एन.आर.डी.सी. को परियोजनाओं द्वारा विकसित तकनीक एवं जानकारी की लाइसेंसिंग कार्यपालक एजेंसियों को करनी थी और वह समय-समय पर परियोजना कार्यपालक एजेंसियों से बकाया एकमुश्त राशि तथा/या रॉयल्टी भुगतान, तीसरे पक्ष का लाइसेंसिंग शुल्क आदि इकट्ठा करेगा। ऐसे भुगतान का लेखा उस पर अर्जित ब्याज सहित एन.आर.डी.सी. द्वारा एक अलग खाते में रखा जाएगा और एक पृथक 'नो लियन बैंक खाता' में जमा किया जाएगा। इस प्रकार अर्जित राशि अल्पकालिक सावधि जमा में निवेश की जानी थी। इस खाते और इस खाते से किए गए लेनदेनों

³³ डी.एस.आई.आर. द्वारा कार्यान्वित एक केन्द्रीय योजना

का वार्षिक विवरण प्रति वर्ष 15 अप्रैल तक डी.एस.आई.आर. को प्रस्तुत किए जाने थे।

समझौता ज्ञापन में यह भी अनुबंधित था कि एकमुश्त राशि तथा/या रॉयल्टी, तीसरे पक्ष के लाइसेंसिंग शुल्क आदि से संबंधित शुद्ध आय और उस पर अर्जित ब्याज का 75 प्रतिशत प्रति वर्ष 30 अप्रैल तक डी.एस.आई.आर. को प्रेषित की जाएगी। डी.एस.आई.आर. को भुगतान प्रेषित करने में किसी भी देरी के लिए एन.आर.डी.सी. प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत दंड-स्वरूप ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

डी.एस.आई.आर. के अभिलेखों की जांच में पता चला कि वर्ष 2007-08 से 2016-17 के दौरान एन.आर.डी.सी. द्वारा विभिन्न निजी उद्योगों से रॉयल्टी के कारण ₹ 46.13 करोड़ की कुल राशि वसूल की गई थी। इसमें से, ₹ 34.60 करोड़ का 75 प्रतिशत हिस्सा 11 दिनों से तीन साल³⁴ तक की देरी के बाद डी.एस.आई.आर. को प्रेषित किया गया था। डी.एस.आई.आर. के आय के हिस्से के प्रेषण में देरी के परिणामस्वरूप एन.आर.डी.सी. वर्ष 2007-08 से 2015-16 तक की अवधि के लिए ₹ 2.55 करोड़ के दंड-स्वरूप ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बना।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.एस.आई.आर. ने न तो उसे देय राशि के प्रेषण में देरी के मामले का अनुसरण किया और न ही विलंबित धन-प्रेषणों के लिए ₹ 2.55 करोड़ के दंड-स्वरूप ब्याज की वसूली की। इसके अलावा, एन.आर.डी.सी. ने ऐसे भुगतानों के लिए न तो एक अलग खाता रखा और न ही उसने आय को एक अलग 'नो लियन बैंक खाता' में जमा किया जैसा कि एम.ओ.यू. में अनुबंधित था। एन.आर.डी.सी. ने एम.ओ.यू. में यथा अनुबंधित उस राशि का निवेश अल्पावधि सावधि जमाओं में भी नहीं किया। फिर भी, डी.एस.आई.आर. ने एन.आर.डी.सी. के साथ हुए एम.ओ.यू. के निबंधनों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। डी.एस.आई.आर. द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं से आय के उसके हिस्से के विलंबित धन-प्रेषण पर दंड-स्वरूप ब्याज लगाने में उसकी निष्क्रियता के परिणामस्वरूप एन.आर.डी.सी. से ₹ 2.55 करोड़ की गैर-वसूली हुई। इसके अलावा, अल्पावधि सावधि जमाओं में निवेश ना करने के कारण ब्याज की आय की हानि हुई। यह मामला डी.एस.आई.आर. को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसक उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

³⁴ 2016-17 को छोड़कर जिसमें कोई देरी नहीं देखी गई।

6.2 सी.एस.आई.आर. की ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं का प्रबंधन

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के तहत 27 चयनित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं के लेखापरीक्षा में कार्य बल/क्षेत्रीय निगरानी समितियों/अनुसंधान परिषदों के गैर-गठन/विलंबित गठन और परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली बैठकों की संख्या में कमी के संदर्भ में निगरानी प्रणाली में कमियां पाई गईं।

6.2.1 प्रस्तावना

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) के तहत एक स्वायत्त निकाय है जो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) का कार्य करता है। सी.एस.आई.आर. की सोसाइटी में 28 सदस्य शामिल हैं और इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधान मंत्री द्वारा, उपाध्यक्ष के रूप में वैज्ञानिक और औद्योगिक मंत्री एवं पदेन सचिव के रूप में महानिदेशक (डी.जी.), सी.एस.आई.आर. सहित की जाती है। सी.एस.आई.आर. के मामलों शासी निकाय (जी.बी.) द्वारा प्रशासित, निर्देशित और नियंत्रित किए जाते हैं, जिसकी अगुवाई डी.जी., सी.एस.आई.आर. करते हैं। देशभर में सी.एस.आई.आर. की 38 प्रयोगशालाएं हैं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय (2007-12) योजना (एफ.वाई.पी.) के दौरान, सी.एस.आई.आर. ने प्रस्तावित सुप्रा-इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स³⁵ (एस.आई.पी.), नेटवर्क प्रोजेक्ट्स³⁶ (एन.डब्ल्यू.पी.), इंटर-एजेंसी प्रोजेक्ट्स³⁷ (आई.ए.पी.) और प्रोजेक्ट्स फॉर क्रिएशन ऑफ फेसिलिटीज³⁸ (पी.सी.एफ.) जैसे कार्यक्रमों का प्रस्ताव दिया। इन विविध अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का प्रबंधन करने के लिए सी.एस.आई.आर. ने 'राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और वित्तीय शासन पर दिशानिर्देश' नामक एक सामान्य दिशानिर्देश तैयार

³⁵ कम से कम एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्रयोगशाला में निहित अधिकांश समूहों से सामर्थ्य और भागीदारी प्राप्त कर रहा है।

³⁶ परियोजनाओं का उद्देश्य एक से अधिक प्रयोगशालाओं से विशेषज्ञता, संसाधनों और सुविधाओं की नेटवर्किंग करना है।

³⁷ परियोजनाओं में उद्योग, शिक्षा और सरकार के साथ सहक्रिया शामिल होगा।

³⁸ महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी ज्ञान प्राप्ति क्षमता को बनाए रखने के लिए चयनित प्रयोगशालाओं में विश्व स्तरीय डोमेन विशिष्ट सुविधाओं के सृजन के लिए परियोजनाएं तैयार की गई थीं।

(अक्टूबर 2007) किया। 2007-2012 के दौरान, सी.एस.आई.आर. ने ₹ 2,650.39 करोड़³⁹ की संस्वीकृत लागत पर 97 परियोजनाएं की।

भौगोलिक विस्तार पर आधारित सी.एस.आई.आर. के 10 चयनित प्रयोगशालाओं में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजनाओं की लेखापरीक्षा की गई और दिशानिर्देशों के संदर्भ में परियोजनाओं की निगरानी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए ₹ 836.50 करोड़ की संस्वीकृत लागत के साथ कुल 27 परियोजनाओं (आठ एस.आई.पी.-₹ 304.33 करोड़, 17 एन.डब्ल्यू.पी. ₹ 505.96 करोड़ और दो आई.ए.पी.-₹ 26.21 करोड़) की जांच की गई थीं। चयनित प्रयोगशालाओं, इन प्रयोगशालाओं द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं, इन परियोजनाओं की स्वीकृत लागत और वास्तविक व्यय **परिशिष्ट XII** में दिया गया है।

6.2.2 अपर्याप्त निगरानी

दशानिर्देशों में परियोजनाओं की निगरानी के लिए दो स्तरीय निगरानी प्रणाली की परिकल्पना की गई थी। परियोजना स्तर पर सभी परियोजनाओं के लिए एक टास्क फोर्स (टी.एफ.) का गठन किया जाना था। एस.आई.पी. और आई.ए.पी. के मामले में जहां सी.एस.आई.आर. प्रमुख हितधारक है, प्रयोगशाला के निदेशक परियोजना में शामिल वैज्ञानिक समूहों के सदस्यों के साथ अपनी अध्यक्षता के अंतर्गत टी.एफ. का गठन करेंगे। एन.डब्ल्यू.पी. के मामले में, डी.जी., सी.एस.आई.आर. नोडल प्रयोगशाला के निदेशक के परामर्श से परियोजना में शामिल सहभागी प्रयोगशालाओं के सदस्यों के साथ अपनी अध्यक्षता में टी.एफ. का गठन करेगा। सी.एस.आई.आर. मुख्यालय स्तर पर, एन.डब्ल्यू.पी. के लिए डी.जी., सी.एस.आई.आर. द्वारा क्षेत्रीय निगरानी समिति (एस.एम.सी.) का गठन किया जाना था जिसमें अध्यक्ष के रूप में प्रख्यात वैज्ञानिक/तकनीकविद्, बाह्य विशेषज्ञ, टास्क फोर्स के अध्यक्ष, वित्तीय सलाहकार, सी.एस.आई.आर. और अनुसंधान विकास और योजना, नेटवर्क प्रोजेक्ट्स प्रभाग के प्रमुख, (आर.डी.पी.डी.एन.डब्ल्यू.पी.एस.) शामिल थे। एस.आई.पी. और आई.ए.पी. के मामले में, निगरानी कार्यान्वयन प्रयोगशालाओं के अनुसंधान परिषद (आर.सी.) के माध्यम से की जाती है। आई.ए.पी. के मामले में, जिसमें बाहरी एजेंसी ने बजटीय सहायता का बड़ा हिस्सा प्रदान किया था, परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित एजेंसी द्वारा होगा।

³⁹ 33 एस.आई.पी. (₹ 754.30 करोड़) प्लस 45 एन.डब्ल्यू.पी. (₹ 1501.70 करोड़) प्लस 8 आई.ए.पी. (₹ 139.20 करोड़) प्लस 10 पी.सी.एफ. (₹ 209.21 करोड़) प्लस सी.एस.आई.आर. द्वारा लागू एक परियोजना (₹ 45.98 करोड़)।

टी.एफ. को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में परियोजनाओं के पांच वर्षों में प्रदेय, मील का पत्थर, वित्तीय चरण-निर्धारण और परियोजनाओं के उत्पादन एवं परिणामों सहित गतिविधियों का विवरण देते हुए जी.बी./व्यय वित्त आयोग (ई.एफ.सी.) के द्वारा विचार करने हेतु प्रस्तावों को तैयार करना था। टी.एफ. वैज्ञानिक उत्पादनों (पेटेंट, प्रकाशन, आदि), गतिविधियों, वार्षिक/अर्धवार्षिक लक्ष्यों, मात्रात्मक प्रदेय आदि के संदर्भ में परियोजना की कार्ययोजना का सूक्ष्म विवरण तैयार करेगा। जी.बी. द्वारा यथा अनुमोदित कार्ययोजना इस पर विचारार्थ एवं पृष्ठांकन के लिए एन.डब्ल्यू.पी.एस के मामलों में एस.एम.सी. को और एस.आई.पी. और आई.ए.पी. के मामले में रिसर्च काउंसिल (आर.सी.) को प्रस्तुत की जाएगी।

एस.एम.सी. को टास्क फोर्स के साथ विचार-विमर्श कर उपयुक्त और निगरानी योग्य मानदंडों को विकसित करना, अर्धवार्षिक आधार पर निगरानी योग्य मानदंडों की उपलब्धि के लिए परियोजना की भौतिक प्रगति की समीक्षा करना, वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए परियोजना में मध्य-पाठ्यक्रम परिवर्तन/सुधारों का मूल्यांकन करना और सलाह देना, परियोजना की न के बराबर अथवा धीमी प्रगति के मामले में डी.जी., सी.एस.आई.आर. के लिए पर्याप्त आंतरिक चेतावनी तंत्र उपलब्ध कराना व समुचित सिफारिशें करना, डी.जी., सी.एस.आई.आर. को परियोजना की प्रगति की आवधिक रिपोर्ट प्रदान करना थे।

परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए टी.एफ. और एस.एम.सी. को एक वर्ष में कम से कम दो बार (छह महीने में एक बार) मिलना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- i) टी.एफ. का गठन 27 चयनित परियोजनाओं में से केवल 10 में किया गया था। इन 10 परियोजनाओं में से पांच में, परियोजना की शुरुआत से एक वर्ष के विलंब के बाद टी.एफ. गठित किए गए थे। पांच परियोजनाओं में, टी.एफ. का गठन नहीं किया गया था। इन पांच मामलों में, अनुसंधान परिषद/प्रयोगशाला द्वारा परियोजनाओं की निगरानी की गई थी। शेष 12 परियोजनाओं के लिए टी.एफ. के गठन की स्थिति उपलब्ध नहीं थी।
- ii) एन.डब्ल्यू.पी. के तहत 17 चयनित परियोजनाओं में जहां एक एस.एम.सी. का गठन किया जाना था, सी.एस.आई.आर. ने केवल पांच मामलों में एस.एम.सी. गठित किए थे। तीन मामलों में एस.एम.सी. गठित नहीं किए गए थे और शेष 9 मामलों में एस.एम.सी. के गठन की स्थिति ज्ञात नहीं थी।
- iii) टी.एफ. और एस.एम.सी. द्वारा परियोजनाओं की निगरानी के लिए बैठकों की आवृत्ति में कमी थी जैसा कि तालिका 6.1 में दिया गया है।

तालिका 6.1: टी.एफ. और एस.एम.सी., जहां ये गठित किए गए हैं, की बैठकों के संचालन में कमी

परियोजना की प्रकृति	टास्क फोर्स बैठकें		क्षेत्रीय निगरानी समिति की बैठकें	
	गठित की गई	टी.एफ. की बैठकों के संचालन में कमी की सीमा (%)	गठित की गई	एस.एम.सी. की बैठकों के संचालन में कमी की सीमा (%)
एन.डब्ल्यू.पी.	7	30 to 70	5	80
एस.आई.पी.	2	70 to 90		लागू नहीं
आई.ए.पी.	1	30		लागू नहीं

iv) दिशानिर्देशों में यह अनुबंधित है कि टी.एफ. डी.जी., सी.एस.आई.आर. को प्रति वर्ष 15 सितम्बर और 15 अप्रैल तक अर्ध-वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि, ऐसी 10 परियोजनाओं जहां टी.एफ. का गठन किया गया था, में दो में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं पेश की गई। पांच मामलों में, रिपोर्ट जमा करने में कमी 80 से 90 प्रतिशत तक थी। शेष मामलों में, सी.एस.आई.आर. को अर्ध-वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट भेजने की स्थिति अभिलेख में उपलब्ध नहीं थी।

6.2.3 निर्धारित प्रपत्र में परियोजना समापन रिपोर्टों की गैर-प्रस्तुति

दशानिर्देशों के अनुसार, सी.एस.आई.आर. द्वारा जारी सभी परियोजनाओं के लिए निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार परियोजना समापन रिपोर्टों (पी.सी.आर.) तैयार की जानी थी। पी.सी.आर. की तैयारी के लिए संबंधित परियोजनाओं के टी.एफ. जिम्मेदार हैं। समापन प्रतिवेदन एस.एम.सी./आर.सी. के समक्ष तथा एस.एम.सी./आर.सी. अभ्युक्तियों सहित और पी.सी.आर. का अनुमोदन डी.जी., सी.एस.आई.आर. को भेजा जाएगा। पी.सी.आर. में उल्लेखित उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना में दिए गए विवरण के समतुल्य किए जाने थे। पी.सी.आर. की निर्धारित प्रोफार्मा में औचित्य के साथ हासिल नहीं किए गए उद्देश्यों का विवरण भी शामिल होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- यद्यपि सभी 27 पूर्ण परियोजनाओं में पी.सी.आर. तैयार किए गए थे, टी.एफ. ने केवल दो मामलों में पी.सी.आर. एस.एम.सी./आर.सी. को प्रस्तुत किया था। इसके अलावा, इन दो मामलों में से केवल एक में, आर.सी. ने पी.सी.आर. की समीक्षा की तथा स्वीकृति दी और उसे डी.जी., सी.एस.आई.आर. को भेजा।
- तैयार किए गए 27 पी.सी.आर. में से 13 पी.सी.आर. सी.एस.आई.आर. द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में तैयार किए गए थे जबकि पी.सी.आर. की 10 परियोजनाओं में आंशिक जानकारी ही शामिल थी। चार परियोजनाओं से संबंधित पी.सी.आर. सी.एस.आई.आर. द्वारा निर्धारित प्रपत्र के अनुपालन में नहीं थे।

पी.सी.आर. तैयार करने में पाई गई कमियां/विसंगतियां नीचे दर्शाई गई हैं:

परियोजना	विवरण	टिप्पणियां
एस.आई.पी. 001	परियोजना के तहत नेशनल एयरोस्पेस लेबोरेटरीज (एन.ए.एल.) को ₹ 15.44 करोड़ की कुल लागत पर पांच विषयों के तहत 12 निर्माण कार्य संचालित करने थे। 2009-13 के दौरान, एन.ए.एल. ने कार्यों एवं सेवाओं के लिए ₹ 9.12 करोड़ का व्यय किया और ₹ 6.31 करोड़ का अव्ययित शेष छोड़ा। यह उल्लेखित था कि परियोजना के अंत में उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया था।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि कर्नाटक में 50 एकड़ वन भूमि पर एक प्रायोगिक पवन फार्म की स्थापना के लिए प्रणोदन और ऊर्जा प्रणाली विषय के तहत ₹ पाँच करोड़ निर्धारित किए गए थे। हालांकि भूमि के क्रय का अनुसरण नहीं किया गया और इसलिए विमानन एकीकृत जांच सुविधा के लिए प्रस्तावित सिविल कार्यों, पवन टरबाइन क्षेत्र परीक्षण केन्द्र तथा विकसित संयोजन प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र की स्थापना करने के कार्य नहीं किए गए। हालांकि, एन.ए.एल. ने इन तथ्यों को अपने पी.सी.आर. में नहीं बताया और गलत कहा कि परियोजना के उद्देश्यों को हासिल किया गया था।
एस.आई.पी. 006	परियोजना के तहत रोग आंकड़ाकोष (एल.एस.डी.बी.) बनाने का प्रस्ताव था जो कि भारत भर में विभिन्न तंत्रिकीय केंद्रों पर उपलब्ध जानकारी को सूचीबद्ध करेगा। पी.सी.आर. में यह बताया गया कि सभी वचनबद्ध प्रदेय पूर्ण हो चुके हैं और कुछ उद्देश्यों के लिए बुनियादी विविधता आंकड़ाकोष के प्रयोज्यता को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया गया है।	लेखापरीक्षा में पता चला कि मूल स्रोत अनावश्यक था और आंकड़ा बनाए नहीं रखा गया था। इस प्रकार, पी.सी.आर. में तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था।
एस.आई.पी. 017	परियोजना के तहत, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन.पी.एल.) ने सिलिकॉन कोशिकाओं प्रसंस्करण के उपकरण एवं सौर कोशिकाओं के लक्षण के आवासन के लिए स्वच्छ कक्ष सुविधा (1,000 वर्गमीटर) का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया था। पी.सी.आर. में बताया गया कि स्वच्छ कक्ष निर्माण में अनजान प्रतिक्रियात्मक विलंब के कारण पूर्ण प्रक्रिया रेखा, प्रसार भट्टियां और मुखौटा संरेखण स्थापित नहीं किया जा सका।	अप्रैल 2007 में परियोजना की शुरुआत हुई और सी.एस.आई.आर. ने स्वच्छ कमरे के निर्माण के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया (जुलाई 2007)। निर्माण सितंबर 2007 में शुरू किया जाना था और सितंबर 2008 तक पूरा किया जाना था। एन.पी.एल. ने मार्च 2008 में फर्म को स्वच्छ कमरे के निर्माण के लिए अधिनिर्णीत किया और निर्माण का कार्य मई 2014 में पूरा किया गया। इसी बीच, परियोजना मार्च 2012 में पूरी हो गई। परियोजना अवधि के भीतर स्वच्छ कमरे को पूरा न करने के परिणामस्वरूप, स्वच्छ कमरे में अधिष्ठापन के लिए लगाए गए

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

परियोजना	विवरण	टिप्पणियां
		उपकरण को नहीं रखा जा सका। इसके अलावा, परियोजना के पूरा होने की तिथि के बाद ₹ 2.20 करोड़ की लागत वाले कुछ उपकरण प्राप्त हुए और परियोजना के पूरा होने के बाद ₹ 14.63 करोड़ की परियोजना लागत में से ₹ 8.47 करोड़ के छह उपकरण स्थापित किए गए थे जो निगरानी में कमी और परिहार्य विलंब के संकेत थे।
एस.आई.पी. 023	परियोजना का उद्देश्य ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्रों में छिद्रयुक्त व घने सिरैमिक मेमब्रेन पर आधारित प्रौद्योगिकी का विकास था। इस उद्देश्य को प्रत्येक गतिविधि में एक या एक से अधिक बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई.पी.आर.)/प्रौद्योगिकी के विकास की परिल्पना करते हुए लिए पांच गतिविधियों में वर्गीकृत किया गया था। पी.सी.आर. से यह पता चला कि तीन गतिविधियों में आई.पी.आर. विकसित नहीं किया गया था।	इसके लिए औचित्य दर्ज नहीं किया गया था।
एस.आई.पी. 026	मार्च 2008 में शुरू किए गए परियोजना के उद्देश्यों में से एक मलेरिया मुख्य अणु 97/98 (आई.पी.सी.ए. प्रयोगशाला लिमिटेड, मुंबई (आई.पी.सी.ए.) के साथ सहयोगी सह लाइसेंसिंग समझौता) था और पी.सी.आर. (मार्च 2012) में यह विनिर्दिष्ट था कि उद्देश्यों को हासिल कर लिया गया था और आई.पी.सी.ए. के सहयोग से केंडीडेट ड्रग 97/98 का चरण -1 लाक्षणिक परीक्षण जारी हैं।	सी.एस.आई.आर. ने (नवंबर 2004) आई.पी.सी.ए. के साथ मलेरिया विरोधी अभिकर्ता के रूप में सी.डी.आर.आई. यौगिक 97/78 के वाणिज्यिक विनिर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। उक्त प्रौद्योगिकी पहले ही विकसित की जा चुकी थी और सी.डी.आर.आई. ने वाणिज्यिक विनिर्माण के लिए उत्पाद के अगले विकास के लिए आई.पी.सी.ए. लैबों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर (2004) किया था। इन तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत किया गया था कि वर्तमान परियोजना (एस.आई.पी. 026) समाप्त हो चुकी थी, जो तथ्यतः सही नहीं है।

6.2.4 बौद्धिक संपदा अधिकार का निर्माण

सी.एस.आई.आर. के दिशानिर्देशों में यह अनुबंधित है कि पेटेंट, कॉपीराइट्स, ट्रेड मार्क, पंजीकृत डिजाइन, प्रक्रिया/उत्पाद के लिए जानकारी बौद्धिक संपदा में शामिल है। एन.डब्ल्यू.पी. के मामले में, जहाँ कई सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाएं शामिल थीं, यह निर्धारित किया गया कि सहभागी प्रयोगशालाओं के बीच परियोजना की शुरुआत करने के पहले उचित समझ और क्रेडिट्स का साझाकरण होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 परियोजनाओं के परियोजना प्रस्तावों में बौद्धिक संपदा अधिकार (आई.पी.आर.) के लक्ष्य का उल्लेख किया गया था। इन 18 परियोजनाओं से विकसित 171 आई.पी.आर. के लक्ष्य में से 78 आई.पी.आर. विकसित किए गए थे। आगे यह देखा गया कि चयनित एन.डब्ल्यू.पी. के किसी भी परियोजना प्रस्तावों में समझ और क्रेडिट्स के साझाकरण का कोई उल्लेख नहीं था। 14 एन.डब्ल्यू.पी., जिसने परियोजना प्रस्तावों में आई.पी.आर. के विकास का प्रस्ताव दिया था, से विकसित कुल 50 आई.पी.आर. में से केवल चार पेटेंटों को ही संयुक्त रूप से विकसित किया गया बताया गया।

6.2.5 प्रौद्योगिकियों के वाणिज्यिकरण हेतु उद्योगों को शामिल करने में कार्रवाई की कमी

राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के अंतर्गत ग्यारहवीं एफ.वाई.पी. का उद्देश्य नई जानकारी को उत्पन्न करना था जो सार्वजनिक सामान, निजी सामान, रणनीतिक सामान और सामाजिक सामान के लिए उपयोग किया जा सके। दिशानिर्देशों में यह अनुबंधित था कि परियोजना की शुरुआत में टी.एफ. द्वारा जैसा कि तय किए गए सुविधाजनक चरण में, अनुसंधान परिणाम के प्रभावी वाणिज्यिकरण के लिए, उद्योगों को शामिल करना था। परियोजनाओं के परिणामों के वाणिज्यिकरण के लिए अपनाए गए व्यावसायिक मॉडलों को उसी दिशानिर्देशों में नियोजित किया जाना चाहिए, जैसा अन्य सभी परियोजनाओं के लिए सी.एस.आई.आर. द्वारा अपनाया गया है। व्यावसायिक मॉडलों के लिए सी.एस.आई.आर. के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिकरण के लिए परियोजनाओं से उत्पन्न बौद्धिक संपदा का मूल्यांकन किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि उद्योगों को शामिल करने और उन्हें 17 चयनित एन.डब्ल्यू.पी.एस में से 13 में हितधारक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। 40 नई प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में प्रदेय को चयनित 27 परियोजनाओं में से 15 में विकसित किया जाना प्रस्तावित था। 40 के विरुद्ध केवल 22 प्रौद्योगिकियों को विकसित किया गया जिनमें 9 प्रौद्योगिकियों का वाणिज्यिकरण किया गया और

परियोजना के पूरा होने के पश्चात् इन प्रौद्योगिकियों से ₹ 46 लाख का राजस्व अर्जित किया गया।

6.2.6 परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन नहीं किया गया

दिशानिर्देशों में अनुबंधित था कि आगे की दिशा में परिकल्पित प्रदेय की तुलना में उपलब्धियों के मूल्यांकन के लिए पी.सी.आर. की तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा संचालित की जानी चाहिए। लेखापरीक्षा ने देखा कि 27 पूर्ण परियोजनाओं में से 14 में पी.सी.आर. का तृतीय पक्ष मूल्यांकन नहीं किया गया जैसा कि दिशानिर्देशों में निर्धारित था। शेष 13 परियोजनाओं से संबंधित कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

6.2.7 निष्कर्ष

सी.एस.आई.आर. की राष्ट्रीय प्रयोगशाला योजना के तहत 27 चयनित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं की लेखापरीक्षा ने इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार यथा परिकल्पित निगरानी में कमियां दर्शाईं। टास्क फोर्स/क्षेत्रीय निगरानी समितियां/अनुसंधान परिषद् का या तो गठन नहीं किया गया अथवा देरी से गठन किया गया। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए इन एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठकों की संख्या में कमी पाई गई थी। परियोजना समापन रिपोर्टों की तैयारी में कमियां/विसंगतियां थीं। प्रौद्योगिकियों के प्रभावी वाणिज्यिक उपयोग के लिए परियोजनाओं के साथ उद्योगों को शामिल करने के लिए की गई कार्रवाई उपलब्ध नहीं थी।

अक्टूबर 2017 में लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ डी.एस.आई.आर. को भेजी गईं; उनकी टिप्पणियां प्रतीक्षित (दिसम्बर 2017) थीं।

6.3 विद्युत प्रभारों का परिहार्य भुगतान

भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता द्वारा बिजली संविदा की मांग को कम करने के लिए विलंबित कार्रवाई के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी को दिए गए बिलिंग मांग प्रभारों के प्रति ₹ 64.90 लाख का परिहार्य व्यय हुआ।

बिजली कनेक्शन पाने के इच्छुक किसी संस्थान को वितरण लाइसेंसधारियों को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना आवश्यक है। इस आवेदन में, अन्य बातों के साथ-साथ, लोड के प्रक्षेपण के आधार के साथ लोड की आवश्यकता शामिल होती है। वितरण लाइसेंसधारियों के इंजीनियरों द्वारा निर्माण स्थल दौरे के आधार पर संविदा की मांग को संस्वीकृति दी जाती है और संस्थानों को

निर्धारित अग्रिम धन जमा करने की आवश्यकता होती है तथा संस्थान के प्रमुख और वितरण लाइसेंसधारियों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। वास्तविक खपत/प्रक्षेपण के आधार पर संस्थान एक वर्ष में एक बार संविदा की मांग को बदल सकता है। विद्युत पर अनावश्यक व्यय से बचने के लिए वास्तविक बिजली खपत के संदर्भ में संविदा की समीक्षा करना संस्थान की जिम्मेदारी है।

भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान, कोलकाता (आई.आई.सी.बी.), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद⁴⁰ की एक घटक प्रयोगशाला, ने 1,000 के.वी.ए. के संविदा मांग हेतु पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल.) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया (दिसंबर 2011)। टैरिफ आदेश के अनुसार, मांग प्रभार समय-समय पर लागू दरों पर वास्तविक खपत के लिए प्रभारों सहित एक महीने में दर्ज वास्तविक अधिकतम मांग या संविदा मांग के 85 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, पर लगाए जाते हैं।

डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. ने अप्रैल 2013 से आई.आई.सी.बी. के साल्ट लेक परिसर में बिजली की आपूर्ति शुरू की। आई.आई.सी.बी. ने डब्ल्यू.बी.ई.आर.सी. से संविदा की मांग को अगले छह महीनों अर्थात् जून 2014 तक के लिए 200 के.वी.ए. तय करने के लिए अनुरोध किया (दिसंबर 2013)। डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. ने कहा कि वर्तमान नियमों के अनुसार, संविदा लोड की कमी/संविदा मांग का अधोमुखी पुनरीक्षण सेवा की प्रभावी तिथि के एक वर्ष बाद अर्थात् अप्रैल 2014 से कम किया जा सकता था तथा उसने आई.आई.सी.बी. को संविदा मांग में कमी के लिए फिर से मई 2014 के पहले आवेदन करने की सलाह दी। आई.आई.सी.बी. ने दिसंबर 2014 में डब्ल्यू.बी.एस.ई.डी.सी.एल. के साथ 200 के.वी. तक संविदा मांग में कमी के लिए इस मुद्दे को दोबारा उठाया लेकिन इसका अनुसरण नहीं किया और कोई कमी नहीं की गई।

बिजली बिलों (मई 2014 से मार्च 2017) के लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि वास्तविक खपत संविदा लोड से 58 प्रतिशत से 98 प्रतिशत तक लगातार कम थी। फरवरी 2017 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, आई.आई.सी.बी. ने 500 के.वी.ए. के रूप में संविदा मांग का पुनर्मूल्यांकन किया (अप्रैल 2017) और इसे 1,000 के.वी.ए. से कम करके 500 के.वी.ए. किया गया (मई 2017)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि यदि आई.आई.सी.बी. ने अप्रैल 2014 में 200 के.वी. तक संविदा लोड को कम किया होता और जनवरी 2016 में उसकी सुविधाओं के प्रचालन के बाद संविदा लोड का पुनः मूल्यांकन करता, तो संस्थान मई 2014 से मार्च 2017 के दौरान ₹ 64.90 लाख के अतिरिक्त व्यय से बच सकता था।

⁴⁰ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग की एक स्वायत्त सोसाइटी

सी.एस.आई.आर. ने कहा (अक्टूबर 2017) कि यद्यपि दिसंबर 2014 में 200 के.वी.ए. तक संविदा की मांग में कमी करने के लिए प्रयास किया गया था, तथापि बाद में इसका अनुसरण नहीं किया गया क्योंकि आई.आई.सी.बी. विभिन्न परियोजनाओं और वैज्ञानिक गतिविधियों के कार्यान्वयन में देरी के कारण विद्युत लोड के इष्टतम आवश्यकता का मूल्यांकन नहीं कर सका।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आई.आई.सी.बी. के पास विभिन्न परियोजनाओं/वैज्ञानिक गतिविधियों के कार्यान्वयन की स्थिति के आधार पर संविदा मांग को साल में एक बार कम करने या बढ़ाने का विकल्प था। अतः वास्तविक बिजली खपत के साथ अपने संविदा मांग को ससमय संरेखित करने में आई.आई.सी.बी. की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 64.90 लाख का परिहार्य व्यय हुआ जिसका उपयोग संस्थान की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता था।

अध्याय - VII

अंतरिक्ष विभाग

7.1 उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली का परिचालन

भारत सरकार द्वारा मई 2006 में ₹ 1,420 करोड़ की लागत पर भारतीय भूमि और आस पास के क्षेत्र पर एक स्वतंत्र और स्वदेशी उपग्रह आधारित दिशानिर्देशन प्रणाली स्थापित करने के लिए नाविक को मंजूर किया गया। कार्यक्रम पर अब तक ₹ 1,283.93 करोड़ का व्यय किया गया था। हालांकि, अनुबंधों के क्रियान्वयन में देरी, कार्यक्रम की अपूर्ण निगरानी और अपर्याप्त कार्यवाही/जाँच के कारण प्रणाली का अभी तक परिचालन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त ₹ 3.57 करोड़ मॉडेम की अनावश्यक खरीद पर खर्च किए गए थे।

7.1.1 प्रस्तावना

भारतीय नक्षत्र के साथ दिशानिर्देशन (नाविक⁴¹), भारत तथा इसके आसपास के अधिकतम 1,500 कि.मी. क्षेत्र में एक प्राथमिक सेवा क्षेत्र (पी.एस.ए.) पर स्थिति, दिशानिर्देशन तथा समय (पी.एन.टी.) सेवा प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र उपग्रह दिशानिर्देशन प्रणाली बनाने के लिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसन्धान संगठन (इसरो), अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) की एक पहल है। नाविक में स्थलीय, हवाई, महासागरीय दिशानिर्देशन, आपदा प्रबंधन, वाहन अनुवर्तन तथा बेड़ा प्रबंधन, मोबाइल फोन के साथ समाकलन, परिशुद्ध काल-गणना, मानचित्रण तथा भूगणितीय आंकड़ा अर्जन, पदयात्रियों तथा पर्यटकों के लिए स्थलीय दिशानिर्देशन सुविधा, चालको के लिए दृश्य व श्रव्य दिशानिर्देशन सुविधा शामिल है। इसरो ने रेलवे, भूमि परिवहन, मोबाइल सम्प्रेषण तथा आम जनता को सक्षम सिविलियन उपयोगकर्ता तथा रक्षा, सुरक्षा अनुप्रयोगों को गैर-सिविलियन उपयोगकर्ता के रूप में चिन्हित किया (मार्च 2006)।

नाविक में अंतरिक्ष खंड, भूमि खंड और उपयोगकर्ता खंड शामिल है। अंतरिक्ष खंड में सात उपग्रहों (आई.आर.एन.एस.एस.-1ए, आई.आर.एन.एस.एस.-1बी, आई.आर.एन.एस.एस.-1सी, आई.आर.एन.एस.एस.-1डी, आई.आर.एन.एस.एस.-1ई, आई.आर.एन.एस.एस.-1एफ और आई.आर.एन.एस.एस.-1जी) का समूह/नक्षत्र शामिल है, जो जुलाई 2013 और अप्रैल 2016 के बीच प्रक्षेपित किए गए थे। भूमि खंड नाविक समूह/नक्षत्र के रखरखाव और संचालन के लिए जिम्मेदार है। उपयोगकर्ता खंड

⁴¹ प्रारम्भ में भारतीय क्षेत्रीय दिशानिर्देशन उपग्रह प्रणाली (आई.आर.एन.एस.एस.) के रूप में जाना जाता था।

में, नाविक सिग्नल प्राप्त करने की योग्यता वाले आवृत्ति उपयोगकर्ता रिसेवर शामिल हैं।

भारत सरकार ने नाविक के लिए ₹ 1,420 करोड़ की वित्तीय मंजूरी दी (मई 2006)। मार्च 2017 तक, नाविक कार्यक्रम के तहत ₹ 1,283.93 करोड़ का व्यय किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹ 1,162.21 करोड़⁴² का खर्च प्रक्षेपण वाहनों व उपग्रहों तथा भूमि खंड के रख-रखाव पर अलग से किया गया था।

इसरो मुख्यालय में उपग्रह दिशानिर्देशन कार्यक्रम कार्यालय (एस.एन.पी.ओ.), नाविक कार्यक्रम के समग्र समन्वय के लिए जिम्मेदार था। इसके अलावा, कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए एक परियोजना प्रबंधन परिषद (पी.एम.सी.) और एक परियोजना प्रबंधन बोर्ड (पी.एम.बी.) का गठन में किया गया (जुलाई 2006)।

नाविक के प्रबंधन की एक लेखा परीक्षा 2012-17 की अवधि के लिए की गई थी। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

7.1.2 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.1.2.1 नाविक कार्यक्रम का गैर-संचालन

नाविक समूह/नक्षत्र का विकास और परिनियोजन, भूमि अवसंरचना, दिशानिर्देशन, सुरक्षा और प्रमाणीकरण, सत्यापन सॉफ्टवेयर परियोजना के अनुमोदन की तारीख से पांच से छह वर्ष के भीतर अर्थात् दिसम्बर 2011 तक पूरा किया जाना अपेक्षित था। हालांकि, विभिन्न खंडों की प्राप्ति में देरी की वजह से, नाविक कार्यक्रम जून 2017 तक परिचालन में नहीं था।

7.1.2.2 नाविक घटकों की प्राप्ति में देरी

लेखापरीक्षा द्वारा 45 अनुबंधों⁴³ जिन्हें नाविक कार्यक्रम के तीन खण्डों के तहत विभिन्न घटकों की प्राप्ति के लिए अवार्ड किया गया था, की समीक्षा की गई। 45 अनुबंधों में से, 37 अनुबंध, उपकरण और प्रणालियों की खरीद से संबंधित और आठ अनुबंध सिविल कार्यों के अवार्ड से संबंधित थे। लेखापरीक्षा ने इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में दो वर्ष से लगभग नौ वर्ष की अवधि की देरी पाई। लेखापरीक्षा ने अनुबंध के 11 घटकों को पूरा करने में नाविक कार्यक्रम के अनुमोदन की तारीख से तीन महीने से लेकर नौ वर्ष से भी ज्यादा समय तक की कुल देरी को भी पाया जैसा तालिका 7.1 में दिया गया है।

⁴² सात उपग्रहों की प्रक्षेपण की लागत शामिल है: ₹ 1,117.06 करोड़; नाविक उपग्रहों के रखरखाव के लिए किया गया व्यय ₹ 42.75 करोड़; और भूमि खंड के रखरखाव के लिए किए गए व्यय ₹ 2.40 करोड़।

⁴³ सभी अनुबंध जो कि नाविक कार्यक्रम से प्रत्यक्ष सम्बंधित थे का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया था।

तालिका 7.1: नाविक घटकों हेतु अनुबंधों के क्रियान्वयन में घटक-वार देरी

खंड	घटक	क्रय अनुबंध (देरी माह में)			कार्य अनुबंध (देरी माह में)		
		संख्या	न्यूनतम देरी	अधिकतम देरी	संख्या	न्यूनतम देरी	अधिकतम देरी
अंतरिक्ष खंड	(1) आई.एन.सी.	-	-	-	6	39	118
भूमि खंड	(2) दिशानिर्देशन सॉफ्टवेयर	1	-	31	-	-	-
	(3) संचार लिंक	2	66	104	-	-	-
	(4) आई.आर.आई. एम.एस.	2	44	58	-	-	-
उपयोगकर्ता खंड	(5) आई.आर.एन. डब्ल्यू.टी.	2	38	101	-	-	-
	(6) आई.आर.सी.डी. आर.	6	3	111	2	69	73
	(7) एस.सी.सी.	4	69	112	-	-	-
	(8) सिग्नल निगरानी	1	-	110	-	-	-
	(9) परमाणु घड़ी	2	61	71	-	-	-
	(10) अन्य अंतरिक्ष उपभोज्य	8	25	116	-	-	-
	(11) उपयोगकर्ता उपकरण	9	65	112	-	-	-

देरी के लिए तैयार न किए जा सके स्थलों, तकनीकी विनिर्देशन में परिशोधन, ठेकेदार द्वारा अनुबंध विनिर्देशन का गैर-अनुपालन, प्राशासनिक कारण, लदान में देरी तथा सिविल कार्यों के पूरे होने में हुई देरी को जिम्मेदार बताया गया जैसा कि **परिशिष्ट XIII** में सारणीबद्ध है। देरी के कुछ कारण जहां अप्रत्याशित थे तथा इसरो/डी.ओ.एस. के नियंत्रण से परे थे, देरी का एक सारभूत भाग, अपर्याप्त अनुसरण, सरकार तथा अन्य अभिकरणों के साथ समन्वय की कमी के साथ-साथ वास्तविक प्रशासनिक ढिलाई की वजह से था। परिणामस्वरूप, कार्यक्रम की निर्धारित अवधि (दिसंबर 2011) के भीतर घटकों की प्राप्ति नहीं हो पाई थी तथा 45 अनुबंधों में से 36, दिसंबर 2011 के अंत तक अपूर्ण थे।

लेखापरीक्षा ने यह पाया की सात अनुबंध, कार्यक्रम पूरा होने की नियत तिथि से पांच वर्ष से अधिक समय के बाद भी, मई 2017 को अपूर्ण थे। 31 मई 2017 को 31 दिसंबर 2011 से अनुबंधों के अंतर्गत गतिविधियों के पूर्ण होने में देरी तालिका 7.2 में दी गई है।

तालिका 7.2: नाविक में अनुबंधों के पूर्ण होने में घटक-वार

खंड	घटक	समीक्षित अनुबंध	दिसम्बर 2011 के अंत में अपूर्ण अनुबंधों की कुल संख्या	31 मई 2017 तक देरी की रेंज माह में		मई 2017 के समाप्ति पर अपूर्ण अनुबंधों की कुल संख्या
				न्यूनतम	अधिकतम	
भूमि खंड	आई.एन.सी.	6	5	36	61	-
	दिशानिर्देशन सॉफ्टवेयर	1	-	--	--	-
	संचार लिंक	2	2	17	66	1
	आई.आर.आई.एम.एस.	2	2	21	25	-
	आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.	2	1	--	--	1
	आई.आर.सी.डी.आर.	8	5	13	63	-
	एस.सी.सी.	4	4	24	66	1
	सिग्नल निगरानी	1	1	--	49	-
अंतरिक्ष खंड	परमाणु घड़ी	2	2	28	32	-
	अन्य अंतरिक्ष उपभोज्य	8	5	31	66	2
उपयोगकर्ता खंड	उपयोगकर्ता उपकरण	9	9	15	66	2
	कुल	45	36			7

इस प्रकार, नाविक घटकों के लिए अनुबंधों को देने तथा क्रियान्वयन में देरी के कारण घटकों की गैर प्राप्ति/प्राप्ति में देरी हुई जो निर्धारित समय तथा लक्षित तिथि से पाँच वर्ष बीतने के बाद भी नाविक कार्यक्रम के परिचालन को गैर संचालन की ओर ले गया।

7.1.2.3 उपयोगकर्ता उपकरण विकास कार्यक्रम की उपलब्धि में देरी

इसरो ने उपयोगकर्ता रिसीवर के विकास को एक अति महत्वपूर्ण तकनीक के रूप में चिन्हित किया है (अक्टूबर 2004/अप्रैल 2006)। मंत्रिमंडल उपयोगकर्ता ने उपयोग रिसीवर को शामिल करते हुए अति महत्वपूर्ण तकनीको के विकास हेतु ₹ 200 करोड़ संस्वीकृत किए।

मई 2008 में हुई पी.एम.सी. बैठक में, एक निजी अभिकरण द्वारा उपयोगकर्ता रिसीवर के विकास के विकल्प खोजने तथा इस उद्देश्य हेतु विकास अनुबंध में प्रविष्ट होने का निर्णय लिया गया। जबकि इसरो ने उपयोगकर्ता उपकरण की जाँच हेतु विभिन्न सरकारी अभिकरणों, शैक्षणिक संस्थानों तथा आई.आर.एन.एस.एस. फील्ड ट्रायल हेतु इसरो केन्द्रों के साथ साथ तीन वैश्विक दिशानिर्देशन उपग्रह प्रणाली (जी.एन.एस.एस.) सिम्युलेटर (जून 2012 से अगस्त 2014) के लिए ₹ 24.04 करोड़ की कीमत पर उपयोगकर्ता रिसीवर उपकरण खरीदा (सितम्बर 2012 से फरवरी 2017), उपयोगकर्ता विकास कार्यक्रम की घोषणा शैक्षणिक, अनुसंधान तथा व्यक्तिगत उपयोगकर्ता को शामिल करते हुए उपयोगकर्ता उपकरण के विकास हेतु ₹ 13.50 करोड़ के बजट आवंटन के साथ केवल मार्च 2017 में की गई।

इसरो ने कहा (सितम्बर 2016) कि उपयोगकर्ता खंड का विकास, उपयोगकर्ता की जिम्मेदारी थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि इसरो से उपयोगकर्ता रिसीवर उपकरणों हेतु अति महत्वपूर्ण तकनीकों का विकास अपेक्षित था जैसा कि मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। उत्तर, इस तथ्य का विरोधाभास भी करता है कि इसरो, मार्च 2017 में अंततः उपयोगकर्ता विकास कार्यक्रम का दायित्व ले चुका है।

7.1.2.4 निष्पादन मूल्यांकन की गैर-पूर्णता

मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार, नाविक का प्रमाणन, उपयोगकर्ता को निर्बाध लगातार पी.एन.टी. सेवा प्रदान करने के संबंध में किया जाना अपेक्षित था। 11 अगस्त 2009 को हुई बैठक में, परियोजना प्रबंधन बोर्ड ने बताया कि नियमों के अनुसार उपयोगकर्ता रिसीवर की विनिर्देशन अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आई.टी.यू.) को भेजनी होगी। परियोजना प्रबंधन संघ, ने अप्रैल 2016 में हुई इसकी बैठक में कहा कि नाविक को क्रियाशील घोषित करने से पहले, पी.एस.ए. में आई.आर.एन.एस.एस. का निष्पादन मूल्यांकन, भारतीय भू-भाग तथा भारत के बाहर के स्थानों जो पीएसए के भाग हैं, मूल्यांकित किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सितम्बर 2016 तक कार्यक्रम में निष्पादन मूल्यांकन को शामिल करते हुए प्रमाणन तथा मान्यकरण नहीं किया गया था।

इसरो ने कहा (सितम्बर 2016) कि नाविक का मूल्यांकन तथा मान्यकरण चल रहा था।

7.1.2.5 मॉडेम की अनावश्यक खरीद

डी.ओ.एस. क्रय प्रक्रिया 2009 का पैरा 2.4.2 अनुबंधित करता है कि संबंधित क्षेत्रों से तकनीकी विशेषज्ञों वाली आवश्यकता पहलू समिति, उपकरणों के विशेष विवरण की आवश्यकता व उपयुक्तता तथा खरीद हेतु प्रस्तावित प्रणालियों की जाँच करेगी।

इसरो को चार आई.आर.एन.एस.एस. सी.डी.एम.ए. रेंजिंग स्टेशन (आई.आर.सी.डी.आर.एस.) स्थापित करने थे। रेंजिंग सिग्नल प्राप्त करने के लिए चार स्टेशन को आठ मॉडेम की आवश्यकता थी। बाजार में दो तरह के मॉडेम उपलब्ध है नामतः एस.ए.टी.आर.ई. तथा सी.ओ.आर.टी.ई.एक्स.। इसरो के पास अपने विभिन्न अनुप्रयोगों हेतु यह दोनों मॉडेम उपलब्ध थे। जहां भू-स्थैतिक कक्षा (जी.ई.ओ.) में उपग्रहों से सिग्नल ग्रहण करने के लिए एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम का उपयोग किया जाता है, भू-तुल्यकालिक कक्षा (जी.एस.ओ.) में उपग्रहों के लिए कोर्टेक्स मॉडेम की आवश्यकता होती है। सात नाविक उपग्रहों में से, चार उपग्रह (आई.आर.एन.एस.एस.-1ए, 1बी, 1डी तथा 1ई) जी.एस.ओ. में स्थित किए गए थे तथा शेष तीनों उपग्रह (आई.आर.एन.एस.एस.-1सी, 1एफ तथा 1जी) जी.ई.ओ. में स्थित किए गए थे।

अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, अहमदाबाद (एस.ए.सी.) ने एक विदेशी फर्म से ₹ 3.57 करोड़ की कुल कीमत पर आठ (दो मॉडेम जुलाई 2007 तथा छह मॉडेम फरवरी 2008 में) एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम खरीदे। तत्पश्चात, अगस्त 2016 में इसरो ट्रेकिंग, टेलीमेट्री तथा कमांड केंद्र ने एक अन्य विदेशी फार्म से इस आधार पर कि पूर्व में क्रय किए गए एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम, जी.एस.ओ. ऑर्बिट में उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे, ₹ 2.98 करोड़ की कीमत पर आठ सी.ओ.आर.टी.ई.एक्स. मॉडेम खरीदे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह तथ्य कि, जी.एस.ओ. ऑर्बिट में चार उपग्रह थे, की जानकारी आवश्यकता पहलू समिति को होनी चाहिए थी तथा मॉडेम की खरीद के दौरान इसे ध्यान में लिया जाना चाहिए था।

इसरो की मॉडेम की खरीद के उपग्रहों के साथ मेल होने की असफलता के परिणामस्वरूप ₹ 3.57 करोड़ की कीमत पर आठ एस.ए.टी.आर.ई. मॉडेम की अनावश्यक खरीद हुई।

7.1.3 निष्कर्ष

नाविक, जिसका दिसम्बर 2011 तक परिचालन किया जाना था, जून 2017 के अंत तक भी परिचालन नहीं किया गया, जिसके कारण कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित स्थिति, दिशानिर्देशन तथा समय सेवाएं उपयोगकर्ताओं को प्रदान नहीं की जा सकी। यद्यपि अंतरिक्ष खंड पूरा हो चुका था, नाविक, भूमि खंड तथा उपयोगकर्ता खंड की गैर-पूर्णता की वजह से गैर-संचालित रहा। कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य तत्वों की प्राप्ति में देरी थी, जो उपग्रहों के बेकार पड़े रहने की ओर ले गया। चूंकि नौवहन उपग्रहों का जीवन 10 से 12 वर्ष है तथा कार्यक्रम के तहत पहले ही प्रक्षेपित किए जा चुके उपग्रह 14 महीनों से 4 वर्ष तक बेकार रहे, नाविक कार्यक्रमों की प्राप्ति में देरी, उनकी उपयोगिता की अवधि को सीमित करेगी जब एक बार कार्यक्रम का परिचालन

हो जाएगा। इसके अलावा, नाविक उपग्रहों हेतु बनाई गई भूमि खंड अवसंरचना, भी अप्रयुक्त पड़ी रही।

यह मामला अक्टूबर 2017 में डी.ओ.एस. को भेजा गया; इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

7.2 सॉफ्टवेयर विकास पर निष्फल व्यय

अंतरिक्ष विभाग द्वारा डिजिटल कार्यप्रवाह प्रणाली के विकास पर एक परियोजना के कार्यान्वयन और समुचित निगरानी में विफलता के परिणामस्वरूप इसके आरम्भ होने से 11 वर्ष से अधिक में, ₹ 2.27 करोड़ के खर्च के बावजूद, सॉफ्टवेयर का विकास नहीं हुआ।

अंतरिक्ष विभाग (डी.ओ.एस.) राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष के अनुप्रयोगों के विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) डी.ओ.एस. का अनुसंधान और विकास स्कंध है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है।

डी.ओ.एस. ने अपने प्रशासन, वित्त, वेतनपत्रक, खरीद और स्टोर कार्यों के कम्प्यूटरीकरण के लिए "प्रशासनिक क्षेत्र में कम्प्यूटरीकृत कार्य (सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए.)" नामक एक आंतरिक पैकेज विकसित किया और 2002⁴⁴ के बाद से अपने सभी केन्द्रों में इसे चरणबद्ध तरीके से परिचालन किया। प्रशासनिक कार्य प्रक्रियाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने, इसरो परियोजनाओं की तत्क्षण निगरानी, सभी डी.ओ.एस./इसरो केंद्रों/बाहरी एजेंसियों की कनेक्टिविटी और एम.आई.एस. सेवाओं का विकास करने के उद्देश्य से डी.ओ.एस. ने एक विस्तृत प्रणाली विश्लेषण, प्रक्रिया पुनः-इंजीनियरिंग और प्रशासन के सभी समूहों में एक एकीकृत डिजिटल कार्यप्रवाह प्रणाली (डी.डब्ल्यू.एफ.एस.) की स्थापना करने हेतु एक अंतर-केंद्र समिति का गठन किया (अप्रैल 2006)।

समिति ने अपनी रिपोर्ट जनवरी 2007 में प्रस्तुत की। डी.ओ.एस. ने, यह परिकल्पना करते हुए कि डी.डब्ल्यू.एफ.एस. को सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. प्रणाली के आधार पर बनाया जाएगा और अंततः यह चरणबद्ध तरीके से सी.ओ.डब्ल्यू.ए.ए. को प्रतिस्थापित कर देगा, आदेश जारी (जुलाई 2007) किए। डी.डब्ल्यू.एफ.एस. का विकास और कार्यान्वयन ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर 20 महीनों के भीतर अर्थात् मार्च 2009 तक पूरा किया जाना निर्धारित था। डी.ओ.एस. ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए

⁴⁴ परियोजना की शुरुआत 1997 में की गई थी।

नीतिगत दिशा-निर्देश प्रदान करने, परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रियाओं और पद्धतियों की स्वीकृति देने और समय-समय पर परियोजना की समीक्षा करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन परिषद (पी.एम.सी.) गठित (जुलाई 2007) की। डी.डब्ल्यू.एफ.एस. के त्वरित विकास और कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक परियोजना प्रबंधन बोर्ड (पी.एम.बी.) का गठन (सितंबर 2008) भी किया गया।

डी.डब्ल्यू.एफ.एस. के विकास को यथा परिकल्पित प्रगति नहीं मिली। चूंकि प्रगति संतोषजनक नहीं थी और परियोजना कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त जनशक्ति के लिए अनुरोध किया था, इसलिए इसरो ने निर्देश दिया (जुलाई 2009) कि उसके तीन केन्द्रों यथा सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र, श्रीहरिकोटा (एस.डी.एस.सी.), विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र, तिरुवनंतपुरम (वी.एस.एस.सी.) और द्रव नोदन प्रणाली केंद्र, वालियामाला (एल.पी.एस.सी.) डी.डब्ल्यू.एफ.एस. के विकास की जिम्मेदारी लेंगे। जहाँ एस.डी.एस.सी. को 16 मॉड्यूल सौंपे गए थे, वहीं वी.एस.एस.सी. और एल.पी.एस.सी. को क्रमशः 10 और 13 मॉड्यूल सौंपे गए। अक्टूबर 2009 में, सॉफ्टवेयर की आवश्यकता से संबंधित दस्तावेज, सत्यापन एवं अधिप्रमाणन तथा तकनीकी एवं मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने और जाँच योजना प्रलेख तैयार करने के लिए डी.ओ.एस./इसरो ने स्थायी समीक्षा समिति⁴⁵ (एस.आर.सी.) और सत्यापन और अधिप्रमाणन समिति⁴⁶ (वी. एंड वी.) का गठन किया।

काम की प्रगति धीमी रही। डी.डब्ल्यू.एफ.एस. परियोजना टीमों ने रिपोर्ट दी (अगस्त 2015) कि एस.डी.एस.सी. को आवंटित 80 प्रतिशत के मॉड्यूल का विकास पूरा हो गया था, जबकि वी.एस.एस.सी. और एल.पी.एस.सी. को सौंपे गए मॉड्यूल का विकास कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ था। यह भी बताया गया कि एस.डी.एस.सी. द्वारा विकसित मॉड्यूल में से केवल अवकाश मॉड्यूल एस.डी.एस.सी. में तैनात किया गया था। हालांकि, इस मॉड्यूल को डी.ओ.एस. के अन्य केंद्रों में तैनात नहीं किया गया था। परियोजना टीमों ने कहा कि आंतरिक विशेषज्ञता के अभाव, समर्पित विकास दल की गैर-तैनाती, प्राथमिकता वाले अन्य मुद्दों, कार्य प्रवाह आवश्यकताओं के लिए डोमेन विशेषज्ञों की पहचान नहीं किए जाने और समीक्षा समितियों के गैर-अस्तित्व, क्योंकि कई सदस्य सेवानिवृत्त हो चुके थे, के कारण डी.डब्ल्यू.एफ.एस. की प्रगति में बाधा पड़ी। परिणामस्वरूप, मार्च 2017 तक डी.डब्ल्यू.एफ.एस. को विकसित/तैनात नहीं

⁴⁵ समिति का गठन (क) सॉफ्टवेयर आवश्यकता दस्तावेजों; (ख) वास्तुकला डिजाइन; (ग) प्रोटोटाइप डिजाइन; (घ) विस्तृत डिजाइन; (ड.) सत्यापन एवं अधिप्रमाणन तथा तकनीकी एवं मूल्यांकन समिति के प्रतिवेदनों; (च) परिवर्तन नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश की समीक्षा के लिए की गई थी।

⁴⁶ समिति का गठन (क) एस.आर.एस. के लिए मानक टेम्पलेट दस्तावेज, डिजाइन और टेस्ट दस्तावेज तैयार करने के लिए; (ख) एस.आर.एस. दस्तावेज, डिजाइन दस्तावेज की समीक्षा करने; (ग) जाँच योजना प्रलेख, जाँच प्रकरण तैयार करने; (घ) कोड की जाँच के लिए की गई थी।

किया गया था। डी.ओ.एस. ने डी.डब्ल्यू.एफ.एस. परियोजना में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परामर्श सेवाओं पर ₹ 2.27 करोड़ का व्यय किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डी.ओ.एस. द्वारा गठित विभिन्न समीक्षा समितियों ने परिकल्पित कार्यों का निष्पादन नहीं किया था। पी.एम.सी. ने नीतिगत दिशा-निर्देश नहीं दिया, परिवर्तित प्रबंधन पद्धतियों को स्वीकृति और समय-समय पर परियोजना की समीक्षा नहीं की। इसने मार्च 2008 में अपनी पहली बैठक आयोजित की जब उसने कार्रवाई से संबंधित मद्दों की पहचान की। इसके बाद उसे सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन के लिए इसने किसी भी समय बैठक नहीं की। पी.एम.बी. ने भी डी.डब्ल्यू.एफ.एस. का त्वरित विकास और कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं किया। इसने अक्टूबर 2010 में अपनी अंतिम बैठक आयोजित की और उसके बाद परियोजना की समीक्षा नहीं की। इस बैठक के कार्यवृत्त ने दर्शाया कि डी.डब्ल्यू.एफ.एस. तब भी विकसित किया जा रहा था। वी. एंड वी. की अंतिम बैठक दिसंबर 2010 में और एस.आर.सी. की फरवरी 2011 में आयोजित हुई थी, जो दर्शाता है कि परियोजना को आगे नहीं बढ़ाया गया था।

इस प्रकार, परियोजना की खराब निगरानी और परियोजना के कार्यान्वयन में सामने आए मामलों का सुसंबद्ध तरीके से सामाधान करने में विफलता के परिणामस्वरूप इसके आरम्भ होने से 11 वर्ष से अधिक में, ₹ 2.27 करोड़ के व्यय के बावजूद, डी.डब्ल्यू.एफ.एस. का विकास नहीं हुआ।

मामले को डी.ओ.एस. को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

अध्याय - VIII

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

8.1 आबद्ध भांडागार हेतु किराए का परिहार्य भुगतान

समुद्र सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, कोच्चि ने आबद्ध भांडागार में अप्रयुक्त तथा कार्य के अयोग्य मर्दों का भंडार किया तथा आबद्ध भांडागार के किराए के लिए ₹ 1.03 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 49 के अनुसार, आंतरिक उपभोग के लिए प्रविष्ट आयातित वस्तुएँ, चाहे शुल्क देय है या नहीं, को सार्वजनिक भांडागार में 30 दिनों तक की अवधि हेतु भण्डार किए जाने की अनुमति प्रदान की जा सकती है, यदि वस्तुओं का उचित समय⁴⁷ में समाशोधन नहीं कर सकते हैं। सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 61 के अनुसार किसी भी 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख उपक्रम में प्रयोग हेतु मांगे गए मर्दों के अलावा वाले मामलों में, गोदाम में सुरक्षित मद, भांडागारों में छोड़े जा सकते हैं, जिनमें वे जमा किए गए थे या किसी भी अन्य भांडागारों में एक वर्ष समाप्त होने तक हटाया जा सकता है, जिसकी अवधि सीमाशुल्क के मुख्य आयुक्त द्वारा उतनी अवधि के लिए जैसा वह उचित समझे, बढ़ाई जा सकती है। सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 59 व 60 कथित करते हैं कि वस्तुओं का आयातक जिसने भंडारण में प्रविष्टि की, एक अनुबंध का पालन करेगा जिस पर उचित अधिकारी भांडागार में वस्तुओं को जमा करने की अनुमति देगा।

समुद्र सजीव संसाधन एवं पारिस्थितिकी केन्द्र, कोच्चि (सी.एम.एल.आर.ई.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) का एक सम्बद्ध कार्यालय है, जो देश में समुद्र विकास गतिविधियों को व्यवस्थित, समन्वित तथा प्रोत्साहित करता है। सी.एम.एल.आर.ई. ने केन्द्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) कोच्चि में एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा⁴⁸ पोत के बोर्ड पर भविष्य उपयोग हेतु आबद्ध भंडार में भण्डारण करने हेतु किराए पर जगह ली (1984-85)। सी.एम.एल.आर.ई. ने 1985 से

⁴⁷ प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या सीमाशुल्क आयुक्त भंडारण के लिए अवधि को एक बार में और 30 दिनों तक बढ़ा सकते हैं।

⁴⁸ एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा एक अनुसंधान जलयान है जो भूतपूर्व समुद्र विकास विभाग के स्वामित्व में था। सी.एम.एल.आर.ई. 1991 में पहले सागर सम्पदा सेल के तौर पर शुरू किया गया तथा बाद में पूर्ण रूप से विकसित केन्द्र के रूप में गठित किया गया।

2005 के बीच खरीदी गई आयातित वस्तुओं का आबद्ध भांडागार में भण्डारण किया। सी.एम.एल.आर.ई. ने आबद्ध भांडागार में 69 वर्गमीटर खुला क्षेत्र तथा 235 वर्गमीटर बंद क्षेत्र लिया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि अधिकतर वस्तुओं का उपयोग नहीं किया गया तथा वे आबाद्ध भांडागार में रखी थी। आगे, भांडागार का प्रयोग कार्य के अयोग्य वस्तुओं के भंडारण के लिए भी किया जा रहा था, जिनका निपटान किया जाना था। अप्रैल 2016 को, आबाद्ध भांडागार में ₹ 1.11 करोड़ कीमत वाले 247 मदों में से ₹2.50 लाख कीमत वाले 52 मद कार्य के अयोग्य थे। इन अयोग्य मदों ने कुल 304 वर्गमीटर में से 174 वर्गमीटर क्षेत्र घेरा, जो कुल क्षेत्र का 57 प्रतिशत है। जनवरी 2017 तक इन मदों का निपटान किया जाना शेष था।

2009-10 से 2016-17 की अवधि के दौरान, सी.एम.एल.आर.ई. ने आबाद्ध भांडागार के किराए के लिए ₹ 1.03 करोड़ का व्यय किया। आबाद्ध भांडागार में बेकार तथा अयोग्य मदों का भंडार अविवेकी था तथा भांडागार हेतु किराए पर किया गया व्यय परिहार्य था।

सी.एम.एल.आर.ई. ने कहा (जुलाई 2015) कि जलयान के पूर्ण जीवन के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोत के साथ विभिन्न मदों की पर्याप्त संख्या का आदेश दिया गया था क्योंकि ये मद भारत में उपलब्ध नहीं थे। सी.एम.एल.आर.ई. ने आगे कहा (अप्रैल 2016) कि सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 49 तथा 67⁴⁹ के अंतर्गत आबाद्ध भांडागारों में वस्तुओं का भंडारण किया जा रहा था तथा ये वस्तुएँ या तो एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा के बोर्ड पर या तट पर आबाद्ध भांडागारों में रखे जाने थे। सी.एम.एल.आर.ई. ने आगे कहा (जनवरी 2017) कि वे बिना किसी भंडार सुविधा के परिसरों से कामकाज कर रहे थे तथा इस सीडब्ल्यूसी सुविधा का विकल्प नहीं था।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 49 तथा 67 केवल उन वस्तुओं पर लागू थी जिनका आंतरिक उपयोग हेतु लंबित समाशोधन के लिए भांडागारों में भंडारण किया गया था। सी.एम.एल.आर.ई. द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 67 के अंतर्गत भंडार किए गए सभी मद तथा धारा 49 के अंतर्गत भंडार किए गए अधिकतर मद केवल रद्दी थे। आगे, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था जो यह दर्शाए कि अनुबंध निष्पादित किया गया तथा उचित अधिकारी के विशिष्ट आदेश, जैसा कि सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 59 तथा 60 में निहित है, इस तरह की बढ़ाई गई अवधि हेतु आबाद्ध भांडागारों में मदों के भंडारण हेतु या तो माँगे गए या प्राप्त किए

⁴⁹ धारा 67 के अनुसार मालिक द्वारा गोदाम में सुरक्षित मद उचित अधिकारी की अनुमति के साथ एक भांडागार से दूसरे भांडागार में हटाए जा सकते हैं।

गए। सी.एम.एल.आर.ई. का इसकी स्वयं की सुविधाओं की गैर-उपलब्धता को उद्धृत करता हुआ उत्तर इसके स्वयं के पूर्व कथन (अप्रैल 2016) के विरोधाभासी है कि ये मद या तो एफ.ओ.आर.वी. सागर सम्पदा या तटो पर आबाद भंडागारो में रखे जाने चाहिए।

इस प्रकार, आबाद भंडागारो में अप्रयुक्त तथा कार्य के अयोग्य मदों को भंडारण का परिणाम आबाद भंडागारो हेतु ₹ 1.03 करोड़ की सीमा तक किराए का परिहार्य भुगतान हुआ।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (सितम्बर 2017); इसका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

8.2 अनियमित वेतन संरक्षण

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई ने नियमित आधार पर अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति पर उनका वेतन संरक्षण अनियमित रूप से मंजूर किया। परिणामस्वरूप 44 कर्मचारियों को ₹ 1.97 करोड़ के वेतन तथा भत्तों का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

मूल नियमावली के नियम 22-बी के नीचे भारत सरकार आदेश स्पष्ट करता है कि चूँकि एक अस्थायी सरकारी कर्मचारी किसी भी पद पर धारणाधिकार नहीं रखता है, जब इस तरह का व्यक्ति एक सेवा/पद में स्थायी होता है, तो वेतन, कर्मचारी द्वारा अस्थायी क्षमता में पिछले पद पर लिए जा रहे वेतन के संदर्भ में पुनर्नियतन नहीं किया जाएगा, परन्तु सेवा/पद के पे-स्केल में वेतन प्राप्त करेगा।

राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई (एन.आई.ओ.टी.), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एम.ओ.ई.एस.) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन द्वारा स्टाफ के विभिन्न संवर्गों जैसे संस्वीकृत पदों के समक्ष नियुक्त नियमित स्टाफ, संस्वीकृत पदों के समक्ष नियुक्त अनुबंध स्टाफ तथा शासी परिषद् को सौंपी गई शक्तियों के अनुसार अल्पावधि पर नियुक्त तदर्थ स्टाफ, के लिए कर्मचारी सेवा नियम सूत्रित किए (सितम्बर 2000)।

जून 2006 से अक्टूबर 2009 की अवधि के दौरान, एन.आई.ओ.टी. ने 58 अनुबंध आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों की नियुक्ति नियमित की। इन कर्मचारियों को वार्षिक वेतनवृद्धियों के साथ नियमित वेतनमान मंजूर किए गए, जबसे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति अनुबंध आधार पर थी।

इन कर्मचारियों के वेतन नियतन की संवीक्षा से यह उजागर हुआ कि स्थायी आधार पर नियुक्त किए गए 58 अनुबंध कर्मचारियों में से, 44 मामलों में, न्यूनतम वेतनमान/पे-बैंड पर वेतन तय करने की बजाय, एन.आई.ओ.टी. ने इन कर्मचारियों का वेतन उनके द्वारा अनुबंध आधार पर प्रदान की गई सेवा को ध्यान में रखते हुए तथा उनके द्वारा लिए जा रहे मूल वेतन को संरक्षित करते हुए तय किया था। क्योंकि अनुबंधित कर्मचारियों का उनके पूर्व पद पर कोई धारणाधिकार नहीं था, अतः प्रदाय किया गया वेतन संरक्षण अनियमित था तथा परिणामस्वरूप, मार्च 2017 तक, इन कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों पर ₹ 1.97 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ था।

एन.आई.ओ.टी. ने कहा (सितम्बर 2016) कि अनुबंध कर्मचारियों के वेतन को अगस्त 1989⁵⁰ में जारी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डी.ओ.पी.टी.) कार्यालय ज्ञापन (ओ.एम.) में अनुबंधित दिशानिर्देशों की अनुरूपता के आधार पर संरक्षित किया गया था। एन.आई.ओ.टी. ने आगे कहा (नवम्बर 2017) कि ये कर्मचारी छह वर्ष से नौ वर्ष तक की अवधि में सेवा में थे तथा वे, नियमित आधार पर समान पद पर कर्मचारियों के समान ही टाइम स्केल में वेतन ले रहे थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर, इस तरह के वेतन संरक्षण को उन कर्मचारियों के लिए नहीं बढ़ाया गया था जो अक्टूबर 2009 के बाद नियमित हुए थे।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ अनुबंध कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता है। एन.आई.ओ.टी. द्वारा संदर्भित कार्यालय आदेश सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त निकायों में कार्य कर रहे नियमित कर्मचारी, जो सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए थे, के वेतन संरक्षण से संबंधित है ना कि अनुबंध कर्मचारियों के लिए।

मामला मंत्रालय को भेजा गया (अक्टूबर 2017); इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

⁵⁰ डीओपीटी ओएम, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, विश्वविद्यालयों, अर्ध-सरकारी संस्थानों तथा स्वायत्त निकायों में कार्य कर रहे कर्मचारी जो सरकारी सेवा में नियुक्त किए गए थे, के लिए वेतन नियतन के दिशानिर्देशों को अनुबंधित करता है।

अध्याय - IX

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

9.1 सौर तापीय विद्युत संयंत्र का गैर-उपयोग

एक समर्पित कार्यबल, जो सौर तापीय विद्युत संयंत्र के निरंतर प्रचालन और अनुसंधान सुविधा को सुनिश्चित कर सके, विकसित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 46.36 करोड़ की लागत से निर्मित सुविधाओं का गैर-उपयोग हुआ।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम.एन.आर.ई.) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई (आई.आई.टी.) को ₹ 41.17 करोड़ की लागत पर 'मेगावाट-स्तरीय सौर तापीय ऊर्जा परिक्षण, अनुकरण और अनुसंधान सुविधा का विकास' शीर्षक से एक अनुसंधान एवं विकास (आर. एंड डी.) परियोजना की संस्वीकृति (सितंबर 2009) दी थी। इस परियोजना में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुड़गांव⁵¹ (एन.आई.एस.ई.) में राष्ट्रीय परीक्षण सुविधा के विकास की परिकल्पना की गई थी, जो सौर तापीय विद्युत उत्पादन हेतु घटकों और प्रणालियों के परिक्षण को सक्षम बनाएगा। इस परियोजना में 1 मेगावाट ग्रिड इंटरैक्टिव सौर तापीय विद्युत संयंत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने की आशा की गई थी। एन.आई.एस.ई. को उत्पादित सौर ऊर्जा के विक्रय हेतु दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डी.एच.बी.वी.एन.) के साथ विद्युत क्रय समझौते (पी.पी.ए.) पर हस्ताक्षर करना आवश्यक था। इस परियोजना को पांच वर्षों की अवधि अर्थात् सितंबर 2014 तक के लिए स्वीकृति दी गई थी। एम.एन.आर.ई. के अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के नीतिगत दिशानिर्देशों में अनुबंधित है कि परियोजना समाप्ति रिपोर्ट अंतिम स्वीकृति के लिए संबंधित मूल्यांकन समितियों को प्रस्तुत की जाएगी।

संयंत्र, उपभोग्य वस्तुओं और आकस्मिक व्यय की लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए (मई 2012) प्रधान जांचकर्ता (पी.आई.) के अनुरोध के आधार पर परियोजना की संस्वीकृत लागत को ₹ 48.12 करोड़ तक संशोधित (जुलाई 2012) किया गया। ग्रिड इंटरैक्टिव सौर तापीय संयंत्र एन.आई.एस.ई. में स्थापित (मई 2014) किया गया और

⁵¹ एम.एन.आर.ई. की एक ईकाई, जो पहले सौर ऊर्जा केंद्र के रूप में जानी जाती थी, सितम्बर 2013 में एक स्वायत्त संस्थान में परिवर्तित कर दी गई और इसका राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के रूप में पुनः नामकरण किया गया।

ग्रिड को विद्युत आपूर्ति कर रहा था। चूँकि संयंत्र को सतत आधार पर प्रचालित करना आवश्यक था, इसलिए आई.आई.टी. ने आई.आई.टी. टीम से एन.आई.एस.ई. टीम में सुचारू रूप से परिवर्तन को सक्षम बनाने के लिए इस परियोजना को 10 महीनों का विस्तार देने का अनुरोध किया (जून 2014)। आई.आई.टी. ने भी एम.एन.आर.ई. से इस परिवर्तन के लिए आवश्यक गतिविधियों को आरंभ करने का अनुरोध किया। तदनुसार, परियोजना की संस्वीकृत अवधि को मार्च 2015 तक बढ़ा (सितंबर 2014) दिया गया था। परियोजना के लिए 2009-15 के दौरान एम.एन.आर.ई. द्वारा ₹ 46.72 करोड़ की राशि जारी की गई थी।

संयंत्र को औपचारिक रूप से आई.आई.टी. द्वारा 7 मार्च 2015 को एन.आई.एस.ई. को सौंप दिया गया था और 31 अगस्त 2015 तक नौ एम.डब्ल्यू.एच. विद्युत का उत्पादन हुआ था। एन.आई.एस.ई. द्वारा अनुबंध के आधार पर नियोजित मानवशक्ति द्वारा अगस्त 2015 तक संयंत्र का प्रचालन किया गया। इसके बाद, अनुबंध को निधि की कमी के कारण बढ़ाया नहीं गया। परिणामस्वरूप, संयंत्र ने सितंबर 2015 से कार्य करना बंद कर दिया। इस परियोजना पर फरवरी 2016 तक कुल ₹ 46.36 करोड़ का व्यय हुआ। आई.आई.टी. द्वारा एम.एन.आर.ई. को ₹ 37.10 लाख तक की बकाया राशि (ब्याज के साथ) वापस (जून 2016) कर दिया गया।

आई.आई.टी. द्वारा प्रस्तुत परियोजना समाप्ति रिपोर्ट की एम.एन.आर.ई. के आर. एंड डी. परियोजना मूल्यांकन समिति (आर.डी.पी.ए.सी.) द्वारा समीक्षा (जून 2016) की गई। समिति ने परियोजना की प्रगति और उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन पाया कि यह संयंत्र कार्यात्मक नहीं था और इसे परिचालित अवस्था में एन.आई.एस.ई. को सौंपा जाना चाहिए था। समिति ने यह भी सुझाव दिया कि प्रधान जांचकर्ताओं को विस्तारित अवधि के दौरान संयंत्र के प्रदर्शन को प्रस्तुत करना चाहिए और भविष्य के सौर तापीय विद्युत संयंत्रों के डिजाइन को सुविधाजनक बनाने के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करनी चाहिए। समिति ने निष्कर्षतः कहा कि परियोजना समाप्ति रिपोर्ट तब तक स्वीकृत नहीं की जा सकती थी जब तक कि इसे इसकी टिप्पणियों के आधार पर संशोधित न किया जाए और जब तक संयंत्र को औपचारिक रूप से समुचित क्रियाशील स्थिति में एन.आई.एस.ई. को न सौंप दिया जाए।

समिति की टिप्पणियां आई.आई.टी. को जुलाई 2017 में प्रेषित की गईं। हालांकि, इस परियोजना पर कोई और कार्रवाई नहीं की गई और यह संयंत्र गैर-कार्यात्मक रहा।



परियोजना के तहत आई.आई.टी. द्वारा विकसित ग्रिड इंटरैक्टिव सौर तापीय विद्युत संयंत्र

इस मामले को लेखापरीक्षा (अप्रैल 2017) द्वारा उठाए जाने के बाद, एम.एन.आर.ई. ने एन.आई.एस.ई. और आई.आई.टी. से प्रतिभागियों के साथ एक बैठक बुलाई (अगस्त 2017) जिसमें यह निर्णय लिया गया कि यह संयंत्र एन.आई.एस.ई. द्वारा परीक्षण के आधार पर चलाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि परियोजना के लिए गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने मई 2011 को आयोजित इसकी बैठक में एक बार संयंत्र स्थापित हो जाने के बाद इसे चालू रखने के लिए समर्पित कार्यबल की आवश्यकता पर चर्चा की थी, तथापि मंत्रालय ने संयंत्र को सतत आधार पर चालू रखने हेतु आवश्यक समर्पित कार्यबल विकसित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। आर.डी.पी.ए.सी. द्वारा परियोजना के प्रदर्शन का मूल्यांकन करवाने के पूर्व और इसके प्रचालन के लिए समर्पित कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना एम.एन.आर.ई. द्वारा आई.आई.टी. से इस संयंत्र को अधिकार में ले लिया गया था। चूंकि परियोजना पूरी नहीं हुई थी, इसलिए एन.आई.एस.ई. द्वारा डी.एच.बी.वी.एन. के साथ विद्युत क्रय समझौता (पी.पी.ए.) नहीं किया जा सका।

एम.एन.आर.ई. ने कहा (नवंबर 2017) कि यह एन.आई.एस.ई. के साथ मिलकर संयंत्र की दक्षता में सुधार करने और राष्ट्रीय प्रशिक्षण सुविधा, जो इस परियोजना के अंतर्गत पहले से ही विकसित है, विकसित करने हेतु पथ-मध्य सुधार कर रहा था। एम.एन.आर.ई. ने आगे कहा कि एन.आई.एस.ई. ने पांच इंजीनियरों को तैनात किया था जो संयंत्र में काम कर रहे थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि मंत्रालय ने आर.डी.पी.ए.सी. द्वारा उठाए गए मामलों के समाधान करने के लिए आई.आई.टी. और एन.आई.एस.ई. के साथ इस मामले पर

विचार करने में एक वर्ष से अधिक समय लिया। परिणामस्वरूप, ग्रिड इंटरैक्टिव सौर तापीय संयंत्र और इस परियोजना के तहत विकसित प्रयोगात्मक सुविधाएं अप्रयुक्त रहे। जो सौर तापीय विद्युत संयंत्र और अनुसंधान सुविधा के निरंतर प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कार्यबल विकसित करने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 46.36 करोड़ की लागत से निर्मित सुविधा का उपयोग नहीं किया जा सका। इसके अलावा, परियोजना से उत्पन्न हो सकने वाली 1 मेगावाट सौर ऊर्जा के विक्रय हेतु कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकी।

अध्याय - X

केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम

10.1 परमाणु ऊर्जा विभाग

10.1.1 अवकाश नकदीकरण पर अनियमित भुगतान

डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों से विचलन में अर्धवेतन अवकाश/बीमारी अवकाश के नकदीकरण के परिणामस्वरूप वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ।

अप्रैल 1987 में लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार एकाकी केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम विभाग (सी.पी.एस.ई.) अपने कर्मचारियों हेतु भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा निर्धारित नीति दिशानिर्देशों के विस्तृत मानदंडों के अन्दर अवकाश नियमों को तैयार कर सकता है।

भारत सरकार ने 1 सितम्बर 2008 से प्रभावी सेवा निवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों की सीमा के भीतर अर्धवेतन अवकाश (एच.पी.एल.) तथा अर्जित अवकाश (ई.एल.) के नकदीकरण किये जाने की अनुमति प्रदान की। अप्रैल 1987 के डी.पी.ई. के पूर्वोक्त निर्देशों के अनुसार, केन्द्रीय लोक क्षेत्र उद्यमों से उनके कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण हेतु अधिकतम 300 दिनों की सीमा का पालन अपेक्षित था।

17 जुलाई 2012 को डी.पी.ई. ने स्पष्ट किया कि बीमारी अवकाश का नकदीकरण नहीं किया जा सकता है तथा अर्जित अवकाश व अर्धवेतन अवकाश का नकदीकरण सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों की समग्र सीमा तक किया जा सकता है। इन स्पष्टीकरणों को 17 दिसम्बर 2012 तथा 7 फरवरी 2014 को दोहराया गया था।

इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड (आई.आर.ई.एल.) अवकाश नकदीकरण पर डी.पी.ई. दिशानिर्देशों से भटक गया तथा इसके कर्मचारियों को बीमारी अवकाश का नकदीकरण, 300 से ज्यादा दिनों पर अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण का अतिरिक्त भुगतान तथा अंतिम आहत वेतन की आधी दर पर स्वीकार्य महंगाई भत्ते की बजाय अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण पर पूर्ण वेतन पर महंगाई भत्ते का भुगतान

की ओर वर्ष 2013-14 से 2016-17 के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भुगतान किया।

कम्पनी ने उत्तर दिया (जुलाई 2017) कि अर्धवेतन अवकाश तथा बीमारी अवकाश के नकदीकरण के लाभ नियमों को 30 से ज्यादा वर्षों पहले तैयार तथा कार्यान्वित किया जा चुका था तथा कर्मचारियों की सेवा शर्तों का अहम हिस्सा बन चुका था। इसने आगे बताया (अक्टूबर 2017) कि भारत सरकार द्वारा क्रेडिट के साथ-साथ अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश तथा बीमारी अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी तैयार किये गए नियम आई.आर.एल. पर लागू नहीं हैं। निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (7 फरवरी 2013) था कि (i) कम्पनी में कार्यरत सभी कर्मचारियों के अर्जित/अर्धवेतन/बीमारी अवकाश के नकदीकरण के सम्बन्ध में कम्पनी के मौजूदा नियमों को जारी रखा जायेगा और (ii) डी.पी.ई. के स्पष्टीकरण के अनुसार सेवानिवृत्ति पर नकदीकरण हेतु अनुमति प्रदान किये गए अधिकतम दिनों को, शामिल करते हुए, नवागुन्तक कर्मचारियों हेतु अर्जित/अर्धवेतन/बीमारी अवकाश के नकदीकरण सम्बन्धी नए नियम तैयार किये जायेंगे। हालाँकि, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद, कम्पनी ने स्वीकार्य महंगाई भत्ते की आधी दर पर अंतिम आहत वेतन को मंजूर कर तात्कालिक प्रभाव के साथ अर्धवेतन अवकाश नकदीकरण की विधि को परिशोधित (जून 2017) किया।

कम्पनी का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार के नीति दिशानिर्देशों के मानदंडों से परे किये गए अवकाश नकदीकरण को अप्रैल 1987 के डी.पी.ई. निर्देशों के अनुसार मंजूर नहीं किया गया था। आगे, डी.पी.ई. ने विशेष तौर पर स्पष्ट किया (जुलाई 2012) कि चूँकि सरकारी दिशानिर्देश बीमारी अवकाश के नकदीकरण की अनुमति नहीं देते हैं तो इसका सी.पी.एस.ई. द्वारा नकदीकरण नहीं किया जा सकता है तथा अर्जित अवकाश व अर्धवेतन को सेवानिवृत्ति पर अधिकतम 300 दिनों तक के अवकाश नकदीकरण के लिए विचार किया जा सकता है। इस प्रकार बीमारी अवकाश के नकदीकरण, एच.पी.एल. नकदीकरण में महंगाई भत्ते की गलत गणना तथा कर्मचारी जिनकी 6 फरवरी 2013 से पहले नियुक्ति हुई है, के सम्बन्ध में, सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों से ज्यादा अर्जित अवकाश तथा अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण डी.पी.ई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन था तथा वर्ष 2013-14 से 2016-17 की अवधि के दौरान ₹ 10.53 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

सितम्बर 2017 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया था; उनका उत्तर दिसम्बर 2017 तक प्रतीक्षित था।

10.1.2 थोक विद्युत आपूर्ति समझौते के गैर-नवीकरण के कारण से आयकर/न्यूनतम वैकल्पिक कर का अतिरिक्त भार

कम्पनी को आयकर मामलों की वसूली हेतु प्रावधानों को विधिवत शामिल करते हुए के.एस.ई.बी. के साथ थोक विद्युत आपूर्ति समझौते के गैर-नवीकरण की वजह से ₹ 4.60 करोड़ के आयकर न्यूनतम वैकल्पिक कर का अतिरिक्त भार उठाना पड़ा।

मेसर्स न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कम्पनी) ने केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड (के.एस.ई.बी.) तथा चार अन्य थोक विद्युत प्राप्तकर्ताओं (बी.पी.आर.) के साथ इसके कैगा विद्युत उत्पादन केंद्र (के.एस.जी.) द्वारा उत्पादित बिजली की बिक्री हेतु थोक विद्युत आपूर्ति समझौता (बी.पी.एस.ए.) किया (दिसम्बर 2000)। समझौता, इकाई II हेतु 16 मार्च 2000 से 15 मार्च 2005 तक तथा इकाई I हेतु 16 नवम्बर 2000 से 30 जून 2005 तक वैध था।

समझौते की शर्तों के अनुसार कम्पनी पर आयकर देयता के मामलों को बी.पी.आर. से वसूल नहीं किया जाना था। आगे, यदि बी.पी.आर. समझौते की समाप्ति के पश्चात बिना किसी नवीकरण या औपचारिक विस्तार के बाद भी बिजली लेना जारी रखता है, तब समझौते के सभी प्रावधान का संचालन जारी रहेगा।

समझौते की समाप्ति पर कम्पनी ने 2008 से 2011 के दौरान बी.पी.आर. के साथ नए समझौतों में नवीकरण/प्रविष्टि की (के.एस.ई.बी. के अलावा) तथा कम्पनी की ओर से बी.पी.आर. से कर देयता के मामलों की वसूली हेतु एक नियम शामिल किया। हालाँकि के.एस.ई.बी. के अनुरोध के बावजूद (जनवरी 2018) के.एस.ई.बी. के साथ कोई भी नवीकृत/नया समझौता हस्ताक्षरित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी ने उसके द्वारा प्राप्त की उर्जा के अनुपात में आयकर अधिनियम के अनुसार भुगतान किए गए आयकर/न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) की ओर के.एस.ई.बी. के अलावा चार बी.पी.आर. पर 2005-06 से 2010-11 के दौरान ₹ 115.32 करोड़ का दावा किया। बी.पी.आर. द्वारा दावों का भुगतान किया गया। हालाँकि, के.एस.ई.बी. द्वारा दिसम्बर 2000 के बी.पी.एस.ए. में संबंधित नियम के अभाव में ₹ 6.78 करोड़ की राशि वाले आयकर/एम.ए.टी. के समान दावे को समयोजित नहीं किया गया था।

यद्यपि, के.एस.ई.बी., अच्छे व्यापार संबंधों के संकेत के रूप में, कंपनी के आयकर/एम.ए.टी. के दावों पर विचार करने पर सहमत हो गया (जून 2016), इसने बताया (अगस्त 2016) कि दावे पर उनके द्वारा कानूनी रूप से विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि कर के समक्ष कोई भी भुगतान जो आयकर भुगतान हेतु उचित नियम के साथ विद्युत खरीद समझौते (पी.पी.ए.) के साथ समर्थित नहीं है, आपत्तियोग्य होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी, के.एस.ई.बी. को आयकर वसूली के मामलों के भुगतान हेतु सितम्बर 2007 तथा मार्च 2008 में प्रस्तुतीकरण दे चुका था जो इस पर सहमत नहीं था। इसी अवधि के दौरान, कंपनी ने एक बी.पी.आर. (तमिलनाडु विद्युत बोर्ड) के साथ समझौते को नवीकृत किया (फरवरी 2008) जिसमें आयकर मामले की वसूली पर एक खंड शामिल है। इस प्रकार, इसके वित्तीय हितों को संरक्षित करने के लिए, कंपनी को के.एस.ई.बी. के साथ समझौते को नवीकृत कराने हेतु वर्ष 2008 में समय पर कार्यवाही करना चाहिए था तथा आयकर वसूली मामले हेतु नियम शामिल करना चाहिए था, जैसा कि अन्य चार बी.पी.आर.एस. के साथ नवीकरण के समय पर शामिल किया गया था। यह तब 2008-09 से आगे आयकर मामले में ₹ 4.60 करोड़ की वसूली कर सकता था।

प्रबंधन ने बताया (नवम्बर 2017) कि कंपनी, के.एस.ई.बी. के साथ दावों के अनुकरण का निर्णय ले चुकी है तथा तदनुसार दावों की वसूली हेतु मामला के.एस.ई.बी. के समक्ष उठाया गया।

इस प्रकार कंपनी को ₹ 6.78 करोड़ की सीमा तक आयकर/एम.ए.टी. के अतिरिक्त भार को उठाना पड़ा जिसमें कम से कम ₹ 4.60 करोड़ टाला जा सकता था, यदि कंपनी ने 2008 में के.एस.ई.बी. के साथ बी.पी.एस.ए. को नवीकृत करने का निर्णय समय पर लिया होता (दिसम्बर 2018)।

अक्टूबर 2017 में मामला मंत्रालय को सूचित किया गया, उनका उत्तर प्रतिक्षित था (दिसम्बर 2017)।

10.2 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

10.2.1 डी.पी.ई. के दिशानिर्देशों का गैर-अनुपालन

प्रोत्साहन योजना की गैर-मंजूरी के कारण अनियमित भुगतान तथा अर्जित अवकाश के नकदीकरण के कारण कर्मचारियों को ₹ 6.85 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।

(क) कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का अनियमित भुगतान

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) ने नवंबर 1997 में स्पष्ट किया कि "केंद्र सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सी.पी.एस.ई. द्वारा अपने कर्मचारियों को बोनस अधिनियम के प्रावधानों अथवा पूर्व अनुग्रह के संबंध में डी.पी.ई. द्वारा जारी कार्यकारी निर्देशों के तहत हकदारी के अलावा किसी अनुग्रह, मानदेय, इनाम, आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप विधिवत रूप से स्वीकृत प्रोत्साहन योजना के तहत राशि प्राधिकृत नहीं हो जाती है।" इसके अतिरिक्त, प्रति माह ₹ 3,500

से अधिक (अप्रैल 2006 से बढ़कर ₹ 10,000 प्रति माह और अप्रैल 2014 से ₹ 21,000 प्रति माह) मजदूरी/वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को बोनस, अनुग्रह, मानदेय, नकद पुरस्कार और विशेष प्रोत्साहन आदि का भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि राशि विधिवत रूप से स्वीकृत प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकृत नहीं होती।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) के पास अनुग्रह, इनाम, मानदेय आदि के भुगतान के लिए कोई विधिवत स्वीकृत योजना नहीं थी। हालांकि, उसने अपने कर्मचारियों को लगातार संयंत्र निष्पादन प्रोत्साहन राशि (पी.पी.आई.)⁵² का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप 2003-04 से 2015-16 की अवधि के दौरान ₹ 3.77 करोड़ का अनियमित भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (नवंबर 2017) कि बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 के दायरे से बाहर कंपनी के नियमित कर्मचारियों के लिए पी.पी.आई. के भुगतान की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर एक नई नीति (निष्पादन प्रोत्साहन योजना) तैयार की गई है। नई योजना के कार्यान्वयन के बाद, पी.पी.आई. की वर्तमान प्रणाली को बंद कर दिया जाएगा।

कंपनी ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार कर लिया और एक नई प्रोत्साहन योजना तैयार की जिसे उसके निदेशक मंडल के द्वारा (नवंबर 2017) मंजूरी दी गयी। हालांकि, 2003-04 से 2015-16 तक पी.पी.आई. के कारण कर्मचारियों को किए गए ₹ 3.77 करोड़ के अनियमित भुगतान की वसूली के लिए कार्रवाई प्रतीक्षित है।

(ख) अर्जित अवकाश नकदीकरण पर कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान

लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) के निर्देशों (अप्रैल 1987) के अनुसार, प्रत्येक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.) अपने निदेशक मंडल की मंजूरी से अपने कर्मचारियों के लिए भारत सरकार (भारत सरकार) द्वारा निर्धारित नीतिगत दिशानिर्देशों के व्यापक मापदंडों के अंतर्गत अवकाश नियमावली तैयार कर सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी ने अर्जित छुट्टी (ई.एल.) नकदीकरण की गणना के लिए 30 दिनों के बजाय 26 दिनों के समय को एक महीने के रूप में अपनाया था जो केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा, डी.पी.ई. ने यह भी स्पष्ट किया (दिसंबर 2008) कि संपूर्ण सी.पी.एस.ई. में ई.एल. के नकदीकरण की गणना की पद्धति में एकरूपता लाने के लिए, सी.पी.एस.ई. को छुट्टी के नकदीकरण की गणना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु 30 दिनों को एक माह के रूप में अपनाना चाहिए। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि कंपनी ने एक महीने में 30 दिनों की बजाय 26 दिनों के लिए अपने कर्मचारियों को ई.एल. नकदीकरण का भुगतान किया।

⁵² बोनस का भुगतान अधिनियम, 1965 के अनुसार बोनस के लिए पात्र कर्मचारियों को छोड़कर

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

इसके परिणामस्वरूप ई.एल. नकदीकरण के कारण इसके कर्मचारियों को ₹ 3.08 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

प्रबंधन ने बताया (नवंबर 2017) कि बोर्ड ने एक माह में 30 दिनों के आधार पर ई.एल. नकदीकरण की गणना की पद्धति को मंजूरी (अप्रैल 2017) दी है और उसे जून 2017 से लागू किया गया है।

यद्यपि कंपनी ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है और डी.पी.ई. निर्देशों के अनुरूप ई.एल. नकदीकरण की पद्धति को परिवर्तित कर दिया है, तथापि यह तथ्य है कि कंपनी ने डी.पी.ई. दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर ई.एल. नकदीकरण पर ₹ 3.08 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया था।

अक्टूबर 2017 में मंत्रालय को इस मामले की सूचना दी गई; उनके उत्तर की प्रतीक्षा थी (दिसंबर 2017)।

नई दिल्ली
दिनांक: 05 फरवरी 2018


(मनीष कुमार)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 06 फरवरी 2018


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट I (पैराग्राफ 1.5 के संदर्भ में)

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्ति एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य स्वायत्त निकायों को 2016-17 के दौरान जारी अनुदान

(₹ करोड़ में)

	स्वायत्त निकाय	2016-17 में जारी अनुदान की राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग		
1.	हरीश चन्द्र अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद	34.43
2.	गणितीय विज्ञान संस्थान, चेन्नई	57.46
3.	परमाणु ऊर्जा शिक्षा समिति, मुंबई	79.40
4.	टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान, मुंबई	650.47
5.	टाटा स्मारक केंद्र, मुंबई	470.00
6.	प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गाँधीनगर	512.19
7.	भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर	37.11
8.	राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, भुवनेश्वर	185.63
9.	साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान, कोलकाता	118.51
जैव प्रौद्योगिकी विभाग		
10.	राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, गुड़गांव	51.36
11.	राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, पुणे	6.34
12.	राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	3.36
13.	राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र, त्रिवेंद्रम	4.16
14.	डी.एन.ए. अंगुलिदाब एवं नैदानिक केंद्र, हैदराबाद	4.01
15.	जैव-संसाधन तथा सतत विकास संस्थान, इम्फाल	9.28
16.	जीवन विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	1.30
17.	ट्रांस्लेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद	21.80
18.	राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान और जैव प्रसंस्करण इकाई, मोहाली	0.50
19.	स्टेम सेल अनुसंधान और पुनर्योजी चिकित्सा संस्थान, बंगलूरु	42.10
20.	राष्ट्रीय जैव चिकित्सा जीनोमिक्स संस्थान, कल्याणी	42.72
21.	राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद	15.75

	स्वायत्त निकाय	2016-17 में जारी अनुदान की राशि
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग		
22.	आर्यभट्ट पर्यवेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान, नैनीताल	5.81
23.	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	42.62
24.	भारतीय राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अकादमी, गुडगांव	1.18
25.	प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं मूल्यांकन परिषद्, नई दिल्ली	8.27
26.	विज्ञान प्रसार, नई दिल्ली	4.85
27.	वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान, देहरादून	6.55
28.	अगरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे	4.15
29.	भारतीय भू-चुम्बकत्व संस्थान, मुंबई	6.10
30.	अंतर्राष्ट्रीय पाउडर धातु विज्ञान एवं उन्नत अनुसंधान केंद्र, हैदराबाद	11.03
31.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान, बंगलूरु	7.84
32.	भारतीय विज्ञान अकादमी, बंगलूरु	4.68
33.	जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, बंगलूरु	18.46
34.	बसु संस्थान, कोलकाता	16.54
35.	भारतीय विज्ञान विकास संघ, कोलकाता	46.03
36.	एस.एन.बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, कोलकाता	19.32
37.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उन्नत अध्ययन संस्थान, गुवाहाटी	10.25
38.	राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान, अहमदाबाद	6.47
39.	नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, मोहाली	0.18
अंतरिक्ष विभाग		
40.	उत्तरपूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, शिलांग	17.24
41.	भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम	76.50
42.	राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, तिरुपति	26.40
43.	भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अहमदाबाद	131.37
44.	अर्ध संचालक प्रयोगशाला, चंडीगढ़	234.00

	स्वायत्त निकाय	2016-17 में जारी अनुदान की राशि
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		
45.	राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई	163.92
46.	भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम-विज्ञान संस्थान, पुणे	284.86
47.	भारतीय राष्ट्रीय समुद्री सूचना सेवा केंद्र, हैदराबाद	103.03
48.	राष्ट्रीय अंटार्कटिक एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र, गोवा	201.14
49.	भू-विज्ञान अध्ययन केन्द्र, तिरुवनंतपुरम	18.22
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		
50.	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली	89.87
51.	गोबिन्द वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान, अल्मोड़ा	34.81
52.	भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल	20.10
53.	भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद, देहरादून	163.20
54.	भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, बंगलूरु	7.80
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		
55.	पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र, चेन्नई	25.00
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय		
56.	पोलावरम प्रोजेक्ट प्राधिकरण, हैदराबाद	100.00
कुल		4,265.67

परिशिष्ट II (पैराग्राफ 1.6 के संदर्भ में)

मार्च 2017 को समाप्त अवधि के लिए बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है	मार्च 2017 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
परमाणु ऊर्जा विभाग	1991-2010	132	667.8
	2010-15	1,285	13,028.21
	2015-16	448	3,560.77
कुल		1,865	17,256.78
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	1993-2010	212	1,316.56
	2010-15	17,297	4,14,526.17
	2015-16	3,534	1,43,121.90
कुल		21,043	5,58,964.63
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	2009-10	6,798	1,40,646.63
	2010-15	22,078	7,10,266.10
	2015-16	6,348	1,91,788.70
कुल		35,224	10,42,701.43
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	2005-10	104	16,640.49
	2010-15	657	1,12,644.16
	2015-16	108	8,042.65
कुल		869	1,37,327.30
अंतरिक्ष विभाग	1976-2010	125	607.96
	2010-15	64	182.28
	2015-16	72	406.27
कुल		261	1,196.51
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	1983-2010	402	3,003.25
	2010-15	188	2,211.51
	2015-16	267	18,865
कुल		857	24,079.76
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	1994-2010	3,530	11,828.24
	2010-15	357	6,514.65
	2015-16	140	28,619.16
कुल		4,027	46,962.05
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	2005-10	29	608.88
	2010-15	160	18,273.50

मंत्रालय/विभाग	अवधि जिससे अनुदान संबंधित है	मार्च 2017 तक देय बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
	2015-16	580	1,65,632.11
कुल		769	1,84,514.49
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	1986-2010	108	893.46
	2010-15	99	33,453.89
	2015-16	60	1,94,829
कुल		267	2,29,176.35
महायोग		65,182	22,42,179.30

परिशिष्ट III (पैराग्राफ 1.8 के संदर्भ में)

वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के तहत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की सूची।

क्रम.स.	सी.पी.एस.ई. का नाम
परमाणु ऊर्जा विभाग	
1.	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड- ए.वी.एन.एल.
2.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
3.	इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	इंडियन रेयर अर्थस् लिमिटेड
5.	न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6.	एन.पी.सी.आई.एल- इंडियन ऑयल न्यूक्लीयर एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड
7.	एन.पी.सी.आई.एल.-नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड
8.	यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
जैव-प्रौद्योगिकी विभाग	
9.	भारत इक्योलॉजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	जैव-प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद
11.	भारतीय टीका निगम लिमिटेड
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
12.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
13.	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन
अंतरिक्ष विभाग	
14.	एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	
15.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप वन तथा रोपण विकास निगम लिमिटेड
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	
16.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
17.	हिमाचल रिन्यूबल लिमिटेड, शिमला
18.	इंडिया रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड
19.	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
20.	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
21.	रिन्यूबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
22.	रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड
23.	भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा-संरक्षण मंत्रालय	
24.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड
25.	वाप्कोस लिमिटेड

परिशिष्ट IV (पैराग्राफ 1.9 के संदर्भ में)

वर्ष 2016-17 के दौरान अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताओं का विवरण

(राशि ₹ लाख में)

मंत्रालय/विभाग का नाम	अपलिखित की गई हानियाँ और न वसूल होने वाली देयताएं के कारण									
	प्रणाली की असफलता		उपेक्षा/धोखेबाजी इत्यादि		अन्य कारण		वसूली का माफ करना		एक्स-ग्रेशिया अदायगी	
	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि	मामलें	राशि
परमाणु ऊर्जा विभाग	-	-	-	-	22	8.37	-	-	-	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	शून्य									
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	शून्य									
अंतरिक्ष विभाग	-	-	-	-	8	8.59	-	-	-	-
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	आंकड़े उपलब्ध नहीं									
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	शून्य									
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	शून्य									
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय	आंकड़े उपलब्ध नहीं									
कुल	-	-	-	-	30	16.96	-	-	-	-

परिशिष्ट V (पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

क: विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की दिसम्बर 2017 में स्थिति का संक्षिप्त विवरण - ए.टी.एन. जो मंत्रालय/विभाग से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति की स्थिति	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग					
1.	2015 की 30	2.1	समूह प्रोत्साहन योजना से संबंधित निष्पादन का कार्यान्वयन	08.12.2015	20
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
2.	2017 की 17	3.3	परिवहन भत्ता का अनियमित भुगतान	21.07.2017	1
वैज्ञानिक एवं औद्योगिकी अनुसंधान विभाग					
3.	2017 की 17	5.1	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में मानव संसाधन का प्रबंधन	21.07.2017	1
4.	2017 की 17	5.4	अप्रयुक्त भूमि के गैर-निपटान के कारण परिहार्य व्यय	21.07.2017	1
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
5.	2017 की 17	7.2	पदोन्नति योजना का अनियमित कार्यान्वयन	21.07.2017	1
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
6.	2016 की 39	पृथक एकल	पर्यावरण अनापत्ति तथा पश्च अनापत्ति निगरानी	10.03.2017	5

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	संसद में प्रस्तुति की स्थिति	ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय					
7.	2017 की 10	पृथक एकल	बाढ़ नियंत्रण और बाढ़ पूर्वाग्रह के लिए योजना	21.07.2017	1

ख: सी.पी.एस.ई. के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वाँछित कुल कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) की दिसम्बर 2017 में स्थिति का संक्षिप्त विवरण-ए.टी.एन. जो मंत्रालय/विभाग से पहली बार भी प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र.सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैरा संख्या	सी.पी.एस.ई. का नाम
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग			
1.	2017 की 9	13.1	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय			
2.	2017 की 9	17.1	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड

परिशिष्ट VI (पैराग्राफ 1.11 के संदर्भ में)

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से वांछित कृत कार्यवाही टिप्पणी की दिसम्बर 2017 में संक्षिप्त स्थिति - ए.टी.एन. जिन पर लेखापरीक्षा टिप्पणियां दे चुका हैं, परन्तु संशोधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए हैं।

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर पुनरीक्षण प्रतिक्रियाओं की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
परमाणु ऊर्जा विभाग					
1.	2013 की 22	2.2	स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी	04.08.2017	4
2.	2016 की 12	2.2	स्टीम टर्बाइन जेनरेटर का प्रतिष्ठापन न होना	25.10.2017	2
3.	2017 की 17	2.1	निविदा प्रक्रिया के बगैर औषधि के क्रय पर परिहार्य व्यय	22.11.2017	1
4.	2017 की 17	2.2	परमाणु ऊर्जा विभाग के स्वायत्त निकायों में मानव संसाधन प्रबंधन	27.12.2017	-
5.	2017 की 17	2.4	आवासीय फ्लैटों का अनियमित निर्माण तथा अनुदान निधि का व्यपवर्तन	27.12.2017	-
जैव प्रौद्योगिकी विभाग					
6.	2003 की 5	3.1	डी.बी.टी. की समीक्षा	22.09.2017	3
7.	2016 की 12	3.1	अनियमित प्रशासनिक तथा हकदारी प्रचालन	27.10.2017	2

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर पुनरीक्षण प्रतिक्रियाओं की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
8.	2017 की 17	3.1	अन्य संगठन को हस्तांतरित किए जा चुके परिसर पर अनियमित व्यय	23.11.2017	1
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग					
9.	2004 की 5	3.1	टी.आई.एफ.ए.सी. की समीक्षा	04.08.2017	4
10.	2005 की 5	5.1	जी.टी.एस. द्विशतवार्षिकी उत्सव के दौरान निष्फल व्यय	25.10.2017	2
11.	2007 की 13	5.3	डी.एस.टी. में आंतरिक नियंत्रण	25.10.2017	2
12.	2008 की सी.ए.-3	5.2	सेवा का अनियमित विस्तार	03.07.2017	5
13.	2008-09 की सी.ए.-16	5.1	प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद देयों की गैर-वसूली	04.08.2017	4
14.	2008-09 की सी.ए.-16	5.3	बीरबल साहनी पुरावनस्पति विज्ञान संस्थान, लखनऊ	14.12.2017	-
15.	2014 की 27	3.1	विधिक शुल्क का कपटपूर्ण भुगतान	04.08.2017	1
16.	2015 की 30	3.2	भूमि के खराब प्रबंधन के कारण परिहार्य व्यय और कार्यालय परिसर का विलम्बित निर्माण	07.04.2017	8

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर पुनरीक्षण प्रतिक्रियाओं की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
17.	2016 की 26	पृथक एकल	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन स्वायत्त निकायों के प्रशासनिक कार्याकलाप	25.10.2017	2
18.	2017 की 17	4.1	राष्ट्रीय मानचित्रण नीति 2005 का अपर्याप्त कार्यान्वयन	30.11.2017	1
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग					
19.	1998 की 5	2.4	दोषपूर्ण समझौते की वजह से हानि	04.08.2017	4
20.	2013 की 22	4.1	जीनोमिक और एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान द्वारा जीनोमिक अनुप्रयोग केन्द्र की स्थापना के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी	14.12.2017	-
21.	2013 की 29	पृथक एकल	दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के नेटवर्क परियोजनाएं	15.12.2017	-
22.	2015 की 30	4.1	नई सहस्राब्दी भारतीय प्रौद्योगिकी नेतृत्व पहल योजना	22.09.2017	3
23.	2016 की 12	4.1	बी.एस.एल.-3 सुविधा की खरीद पर निष्फल व्यय	12.04.2017	8

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर पुनरीक्षण प्रतिक्रियाओं की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
24.	2017 की 17	5.3	स्वाचालित दृश्य सीमा निर्धारक प्रणाली का गैर-संचालन	14.11.2017	1
अंतरिक्ष विभाग					
25.	2016 की 12	5.4	उपकरण के विलंबित अधिष्ठापन के कारण हुई हानि	10.08.2017	4
26.	2017 की 17	6.1	वीसैट सेवाओं का प्रबंधन	30.11.2017	1
27.	2017 की 17	6.2	पूर्व-परियोजना गतिविधियों पर अनियमित व्यय	13.11.2017	1
28.	2017 की 17	6.3	व्यवसायक अंतरिक्ष यान की सुपुर्दगी में वित्तीय विवेक की कमी तथा अनुचित अनुबंध प्रबंधन	13.11.2017	1
29.	2017 की 17	6.4	पारिस्थितिक भंगुर भूमि की खरीद में निष्फल व्यय	13.11.2017	1
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय					
30.	2013 की 22	8.1	पेंशन योजना की अनियमित शुरुआत तथा धनराशि का परिवर्तन	26.10.2017	2
31.	2014 की 27	5.2	ग्रेच्युटि का अनियमित भुगतान	31.07.2017	5
32.	2015 की 30	6.1	निष्क्रिय वेबसाइट के कारण निष्फल व्यय	20.04.2017	8

क्र. सं.	प्रतिवेदन संख्या एवं वर्ष	पैराग्राफ संख्या	पैरा शीर्षक	ए.टी.एन. पर पुनरीक्षण प्रतिक्रियाओं की तिथि	संशोधित ए.टी.एन. की प्रस्तुति में विलम्ब (महीनों में)
33.	2016 की 12	6.1	विलवणीकरण संयंत्र की गैर-स्थापना और अपव्यय	23.10.2017	2
34.	2017 की 17	7.1	अनुचित अनुबंध प्रबंधन के कारण ईंधन शुल्क की गैर वसूली	13.11.2017	1
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय					
35.	2001 की 3बी	1.0	जल प्रदूषण से संबंधित पर्यावरण विधि का क्रियान्वयन	31.07.2017	5
36.	2013 की 21	पृथक एकल	भारत में प्रतिपूरक वनरोपण	03.08.2017	4
37.	2014 की 27	6.3	कार्यालय स्थान के किराए पर अपव्यय	13.09.2017	3
38.	2015 की 30	7.1	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन एवं प्रहस्तन) नियम 2011 का कार्यान्वयन	13.09.2017	3
39.	2015 की 30	7.2	सीवेज उपचार की पायलट परियोजनाओं के समापन में असामान्य विलम्ब	03.08.2017	4

परिशिष्ट VII (पैराग्राफ 3.1.2.2 के संदर्भ में)

क: परियोजनाओं की सूची जिनमें अधिक समय लगा

परियोजना	समापन की मूल अनुसूचित तिथि	समापन की संशोधित तिथि	समापन की वास्तविक तिथि	समय अधिकता (31 मार्च 2017 को)	अधिक समय के कारण
1. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में मुख्य शीतलन मीनार का सुधार एवं शीतलन जल वापसी शीर्ष का पुनः मार्गीकरण	मार्च 2012	जून 2012	जून 2012	तीन महीने
2. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में सी.पी.पी. की इकाई-1 तथा डी.सी.एस. सामान्य इकाई का प्रतिस्थापन	मार्च 2013	दिसम्बर 2013	दिसम्बर 2013	नौ महीने
3. एच.डब्ल्यू.पी., तूतीकोरिन के संयंत्र स्थान पर भूमि अर्जन	अगस्त 2012	सितम्बर 2012	सितम्बर 2012	एक माह	मामूली देरी
4. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु तथा कोटा में सीमा दीवार का निर्माण एवं बाड़ का प्रतिस्थापन	सितम्बर 2014	मार्च 2015	मार्च 2015	छः महीने
5. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में वैद्युत, यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रणाली का नवीकरण/उन्नयन	मार्च 2016	मार्च 2018	एक वर्ष	ई.एच.टी.सी. हेतु बार-बार पुनः निविदा प्रक्रिया तथा 6.6 के.वी. वी.सी.वी. हेतु पूर्तिकारों द्वारा दायित्व खण्ड की अस्वीकृति के कारण देरी
6. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में प्रशीतन जनन हेतु अपशिष्ट ऊष्मा/निम्न श्रेणई का उपयोग	मार्च 2016	मार्च 2019	एक वर्ष	पुनः निविदा एवं आदेश जारी करने में डी.ए.ई. की अनुमति में देरी के कारण
7. एच.डब्ल्यू.बी. (सी.ओ.) तथा एच.डब्ल्यू.पी. बड़ौदा/कोटा/मनुगुरु/तालचर/तूतीकरण में आई.टी. संरचना के साथ	मार्च 2016	मार्च 2019	एक वर्ष	आई.आई.एस. अनुप्रयोग साफ्टवेयर हेतु बार-बार निविदा प्रक्रिया एव डी.ए.ई. से

विद्यमान एकीकृत सूचना प्रणाली अनुप्रयोग का सुधार					संशोधित वित्तीय अनुमोदन प्राप्ति में देरी।
8. एन.एच.3-एच.2 एवं एच.2एस.-एच.2ओ. विनिमय प्रक्रिया पर आधारित भारी पानी उत्पादन संयंत्र के लिए संचालक प्रशिक्षण अनुकारी सुविधा की स्थापना	फरवरी 2015	मार्च 2018	दो वर्ष और एक महीना	आदेश जारी करने में डी.ए.ई. से अनुमोदन में देरी तथा कार्य की विकासात्मक प्रकृति के कारण कार्य में देरी हो रही है।
9. एच.डब्ल्यू.पी., थाल में वैद्युत, यांत्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण प्रणाली का नवीकरण/उन्नयन	मार्च 2015	मार्च 2018	दो वर्ष	एच.पी. वाल्वों की ऊंची लागत के कारण पुनः निविदा, एंटी सर्ज नियंत्रक के विनिर्देश के अंतर्भरण में देरी
10. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में डी.सी.एस. के साथ नियंत्रण कक्ष उपकरण का प्रतिस्थापन	जून 2011	जून 2016	जून 2016	पाँच वर्ष	अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति तथा पूर्तिकार द्वारा दायित्व खण्ड की अस्वीकृति के कारण तीन बार निविदा प्रक्रिया की गई। क्रय आदेश जारी करने तथा संशोधित अनुमोदन लागत के लिए प्रस्ताव 06.09.2013 को डी.ए.ई. को भेजे गए। इनकी संस्वीकृति डी.ए.ई. से 29.03.2014 को प्राप्त हुई। तदनुसार, क्रय आदेश जारी करने तथा कार्य समापन की अनुसूची में देरी हुई। क्रय आदेश, जिसे सितम्बर 2013 में जारी करना अपेक्षित

					था, 30.03.2013 को जारी किया गया। क्रय आदेश जारी करने में देरी के कारण, एक्स.यू.-I की शुरु करने की अनुसूचित तिथि मार्च 2014 से आगे करके मार्च 2015 तथा उपयोगिताओं के साथ एक्स.यू.-II की तिथि मार्च 2015 से मार्च 2016 की गई क्योंकि यह संयंत्र के योजनाबद्ध बंद करने पर निर्भर था। इस कारण, समापन की अनुसूची में लगभग एक वर्ष की देरी हुई है।
11. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में एच.2एस. निगरानी सुविधा तथा पर्यावरण सर्वेक्षण सुविधा का विस्तार	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2017	एक वर्ष	केबल इत्यादि के लिए केस फाइल की पुनः निविदा के कारण परियोजना में देरी हुई।
12. सी.पी.पी. में ऊर्जा कुशल प्रणाली/घटक/उपकरण शामिल करके सुधार इत्यादि	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2017	एक वर्ष	पार्टी द्वारा पीछे हटने के कारण टरबाइन सुधार कार्य के कार्यान्वयन में देरी से परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई।
13. एच.डब्ल्यू.पी., कोटा में विद्यमान न्यूमैटिक उपकरणों का इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से प्रतिस्थापन तथा डी.सी.एस. पी.एल.सी. प्रणाली से संयोजन	दिसम्बर 2009	मार्च 2014	मार्च 2014	चार वर्ष और तीन महीना	डी.सी.एस. प्रतिस्थापन का चरण-। अर्थात् एक्स.यू. एवं डी.यू. शुरु करने का कार्य फरवरी 2010

						तक पूरा हुआ। प्रणाली की आपूर्ति तथा संयंत्र के सुरक्षित एवं सुगम संचालन हेतु प्रणाली के निष्पादन से संबंधित आगे विकास देरी के कारण थे।
14. एच.डब्ल्यू.पी., कोटा में एच.ई.डब्ल्यू.ए.सी. सुविधा से ट्रीशिफ्टेड इयूटेरियम उत्पाद के लिए ऑक्सीडेशन प्रणाली	जुलाई 2012	जुलाई 2013	जुलाई 2013	एक वर्ष	कार्य की विकासात्मक प्रकृति तथा अभियांत्रिकी दस्तावेजों के अनुमोदन में देरी के कारण	
15. ए.पी.ई.आर.सी. की अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में सौर पी.वी. ऊर्जा संयंत्र की स्थापना	मई 2014	जनवरी 2016	जनवरी 2016	एक वर्ष और आठ महीना	भारी वर्षा, तेलंगाना पृथकता आंदोलन तथा तेलंगाना राज्य विद्युत बोर्ड से समाशोधन मिलने में देरी के कारण	
16. भारी पानी संयंत्र, कोटा एवं मनुगुरु में भारी पानी हेतु अतिरिक्त भंडारण आवश्यकता	मार्च 2013	मार्च 2014	मार्च 2014	एक वर्ष	टंकियों की आपूर्ति में देरी तथा क्रेन की अनुपलब्धता के कारण निर्माण में देरी	
17. माइक्रोप्रोसेसर आधारित प्रणाली के साथ ई.एस.पी. आंतरिक (आठ क्षेत्र) तथा ई.एस.पी. नियंत्रकों की वृहद मरम्मत/प्रतिस्थापन	मार्च 2012	मार्च 2014	मार्च 2014	दो वर्ष	संयंत्र के वृहद परिवर्तन के दौरान सुधार कार्यों के मिलान के कारण देरी हुई थी।	
18. एच.डब्ल्यू.पी. बड़ौदा में अग्रिम अ-घातक जांच तथा दशा निगरानी सुविधा	मार्च 2016	मार्च 2017	मार्च 2017	एक वर्ष	क्रय में कुछ मदों की आपूर्ति पर प्रतिबंध के कारण देरी हुई।	
19. एच.डब्ल्यू.पी., कोटा तथा टी.डी.पी., चेम्बूर सोडियम सल्फेट के प्रबंधन हेतु कुशल प्रक्रिया का विकास एवं कार्यान्वयन	सितम्बर 2015	मार्च 2019	एक वर्ष और छः महीना	अपर्याप्त तथा तकनीकी रूप से अस्वीकार्य प्रस्तावों के कारण सोडियम सल्फेट की पत्रावली	

					की पुनः निविदा की गई।
20. नए भारी पानी उत्पादन सुविधा हेतु परियोजना पूर्व गतिविधियां	अक्टूबर 2014	मार्च 2019	दो वर्ष और पांच महीना	अमोनिया तथा सल्फाइड आधारित भारी पानी संयंत्र के डी.पी.आर. तैयारी के लिए परामर्शी संविदा जारी करने हेतु डी.ए.ई. अनुमोदन में देरी के कारण
21. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में वी.सी.वी. चरण-1 पर 6.6 के.वी. तथा 33 के.वी. एम.ओ.सी.बी. स्थापन	मार्च 2012	मार्च 2014	मई 2014	दो वर्ष और दो महीना	निविदा के दौरान कम प्रतिक्रिया के कारण देरी
22. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में एच.डब्ल्यू.पी. के लिए द्वि-डिस्क गेट वाल्व का क्रय	मार्च 2012	मई 2014	मई 2014	दो वर्ष और दो महीना	स्थल से नमूना वाल्व देकर स्थानीय पूर्तिकार द्वारा वाल्व के देशीय विकास में समय लगा।
23. एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु के तृतीय चरण ऊष्ण मीनार में धातु पत्रक संरचित पैकिंग की स्थापना	मार्च 2011	अगस्त 2013	अगस्त 2013	दो वर्ष और पांच महीना	शीतल मीनार में संरचित पैकिंग के निष्पादन के आधार पर ऊष्ण मीनार हेतु पैकिंग खरीदी गई और स्थापित की गई। डी.पी.एस. एवं पूर्तिकर्ता के बीच कर विवाद सुलझाने में देरी थी।
24. एच.डब्ल्यू.पी., कोटा में एच.डब्ल्यू.पी. के लिए द्वि-डिस्क गेट वाल्व का क्रय	दिसम्बर 2011	मई 2014	मई 2014	दो वर्ष और पांच महीना	स्थल से नमूना वाल्व देकर स्थानीय पूर्तिकार द्वारा वाल्व के देशीय विकास में समय लगा।
25. एच.डब्ल्यू.पी., कोटा में डी.जी. सैट का प्रतिस्थापन	मार्च 2012	अक्टूबर 2013	मार्च 2014	दो वर्ष	डी.जी. सैट पूर्तिकर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्ति में देरी के कारण

					आदेश जारी करने में देरी के कारण
26. एच.डब्ल्यू.पी., बड़ौदा में टी.बी.पी. संयंत्र हेतु अपशिष्ट शोधन संयंत्र	मार्च 2012	मार्च 2013	मार्च 2013	एक वर्ष	परियोजना की विकासात्मक प्रकृति के कारण क्योंकि इस प्रकार का अपशिष्ट दूसरे स्थानों पर उपलब्ध नहीं है।
27. आर.आर.सी.ए.टी., बड़ौदा के सहयोग से हाइड्रोजन और पानी को शामिल करके आइसोटोपिक विनिमय प्रतिक्रिया हेतु औद्योगिक उपयुक्त आर्द्र निरोधी कैटालिस्ट का विकास	फरवरी 2010	मार्च 2013	मार्च 2013	तीन वर्ष और एक महीना	बाजार में पर्यावरणीय परिवीक्षकों की अनुपलब्धता के कारण तकनीकी विनिर्देशों को स्थायित्व देने में देरी
28. एच.डब्ल्यू.पी., कोटा में आग/सुरक्षा उपाय/शमन उपाय की वृद्धि	मार्च 2016	दिसम्बर 2018	एक वर्ष	योजना को पुनः अनुकूलित किया गया तथा संशोधित अनुमान तैयार किए गए। प्रशासनिक संस्वीकृति 12.02.2015 को प्राप्त हुई जिसके बाद क्रय की कार्यवाही शुरू की गई। इसके बाद, पाईप तथा पाईप फिटिंग्स की पूर्ति में देरी के कारण कार्य प्रभावित हो रहा है।
29. दुर्लभ सामग्री के उत्पादन हेतु परियोजना गतिविधियां	मार्च 2010	लगातार		सात वर्ष	मुख्य परियोजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में देरी है। परियोजना-पूर्व गतिविधियों के तहत आने वाली गतिविधियों में देरी हुई। प्रस्तावित स्थल पर भूमि के उपयुक्त

					प्लाट की पहचान के कारण विभिन्न दस्तावेजों जैसे डी.पी.आर., ई.आई.ए., भू-तकनीकी अध्ययन इत्यादि की तैयारी में देरी हुई। पर्यावरणीय मंजूरी में देरी हुई क्योंकि प्रदूषण के गंभीर स्तर के कारण प्रस्तावित साइट स्थानों में से एक पर रोक थी। पर्यावरणीय मंजूरी लेने में देरी के कारण विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सहमति प्रार्थना में देरी हुई।
--	--	--	--	--	---

ख: परियोजनाओं की सूची जिनमें अधिक लागत लगी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	परियोजना नाम	मूल संस्वीकृत लागत	संशोधित लागत	लागत आधिक्य	लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5 (4-3)	6
1	एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में प्रशीतन जनन हेतु अपशिष्ट ऊष्मा/निम्न श्रेणई का उपयोग	22.00	24.60	2.60	निविदा प्रक्रिया में देरी तथा डी.ए.ई. से आवश्यक अनुमोदन मिलने में देरी के कारण
2	एच.डब्ल्यू.बी. (सी.ओ.) तथा एच.डब्ल्यू.पी. बड़ौदा/कोटा/मनुगुरु/तालचर/तूतीकरण में आई.टी. संरचना के साथ विद्यमान एकीकृत सूचना प्रणाली अनुप्रयोग का सुधार	10.00	14.00	4.00	आई.आई.एस. अनुप्रयोग साफ्टवेयर के लिए बार-बार निविदा। संशोधित वित्तीय संस्वीकृति भी डी.ए.ई. से प्रतीक्षित है।

क्र. सं.	परियोजना नाम	मूल संस्वीकृत लागत	संशोधित लागत	लागत आधिक्य	लागत आधिक्य के कारण
1	2	3	4	5 (4-3)	6
3	एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु में डी.सी.एस. के साथ नियंत्रण कक्ष उपकरण का प्रतिस्थापन	12.00	16.62	4.62	अपर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति तथा पूर्तिकार द्वारा दायित्व खण्ड की अस्वीकृति के कारण तीन बार निविदा प्रक्रिया की गई।
4	एच.डब्ल्यू.पी., मनुगुरु के तृतीय चरण ऊष्ण मीनार में धातु पत्रक संरचित पैकिंग की स्थापना	3.10	3.51	0.41	डी.पी.एस. एवं पूर्तिकर्ता के बीच कर विवाद सुलझाने में देरी थी।
5	एच.डब्ल्यू.पी., कोटा में डी.जी. सैट का प्रतिस्थापन	1.81	2.50	0.69	डी.जी. सैट पूर्तिकर्ता से स्पष्टीकरण प्राप्ति में देरी के कारण आदेश जारी करने में देरी के कारण
	कुल	48.91	61.23	12.32	

परिशिष्ट VIII (पैराग्राफ 4.1.2.1 के संदर्भ में)

जैव-संसाधन उद्यान की स्थापना में समितियों के सुझाव पर आई.बी.एस.डी. द्वारा की गई कार्रवाई

समिति की बैठक	एस.ए.सी./जी.सी. द्वारा पहल का सुझाव	आई.बी.एस.डी. द्वारा की गई कार्रवाई
एस.ए.सी. की 10वीं बैठक जनवरी 2011	उद्यान में बटरफ्लाई जोन हेतु पौधों के क्षेत्र का निर्धारण करना	कोई भी क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है।
	क्षेत्र के (क) जिंगबेरियासी, (ख) 'केले', (ग) साइट्रस, (घ) 'छोटे फलों के पेड़, (ङ) 'ईंधन लकड़ी' पेड़, (च) 'कीटनाशक तथा परजीवी पौधे', (छ) 'रेशम उत्पादन पौधे और (ज) अन्य उपयोगी स्थानिक पौधों के जर्मप्लाज्म संरक्षिका बनाने हेतु	केवल जिंगबेरियासी, साइट्रस और ऑर्किड के जर्मप्लाज्म संरक्षिका आंशिक रूप से सृजित किए गए
एस.ए.सी. की 13वीं बैठक अगस्त 2013	"मणिपुर में सिग्नेचर उद्यान/थीम पार्क" विकसित करना जो (i) जलीय पौधे, (ii) स्वदेशी डाई-उपज देने वाले पौधे, (iii) टैनिन उपज संयंत्र, (iv) जहरीले पौधे, (v) खाद्य कीड़े और (vi) स्वदेशी मछलियों के संग्रह वाले 'मणिपुर ट्राईवेल प्लांट्स संरक्षिका' के रूप में कार्य कर सके।	विकसित नहीं की गई
	(i) 'अदरक', (ii) 'कैप्सिकम से ऑलिओरिसिन' और (iii) 'खुशबूदार फसलों से सुगंधित तेल निष्कर्षण' पर पैदावार के बाद प्रदर्शनी सुविधा विकसित करना	विकसित नहीं की गई
	संस्थान के शो-पीस या विंडो के रूप में विकसित किया जाना	कार्य की समीक्षा अभी भी की जानी थी।
जी.सी. की 12वीं बैठक नवंबर 2012	क्षेत्र में जैव-आधारित उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए उद्यान में जैव-संसाधन आधारित उद्यम का सृजन करना	कार्य प्रारंभिक चरण पर था।
एस.ए.सी. की 15वीं बैठक अगस्त 2015	पार्क में एक अत्याधुनिक ऑर्चिडारियम का सृजन करना	निविदाएं जारी की गई थी और प्रक्रिया चालू थी।

समिति की बैठक	एस.ए.सी./जी.सी. द्वारा पहल का सुझाव	आई.बी.एस.डी. द्वारा की गई कार्रवाई
जी.सी. की 15वीं बैठक अक्टूबर 2015	उद्यान में प्रसंस्करण सुविधाओं के साथ कुछ सुगन्धित फसलों जैसे पाचौली, जीरेमियम और वीटिवर इत्यादि की संख्या में वृद्धि करने हेतु सुविधाओं का सृजन करना	कार्य प्रारंभिक चरण पर था।
	उपलब्ध संसाधनों को महत्वपूर्ण संवर्धन प्रदान करने के लिए उद्यान में एक नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड केलिब्रेशन लैबोरेटरीज (एन.ए.बी.एल.) सृजित करना	ऐसी कोई सुविधा सृजित नहीं की गई थी।

परिशिष्ट IX (पैराग्राफ 4.1.2.5 के संदर्भ में)

विकसित लेकिन उद्योग को हस्तांतरित नहीं हो पाई तकनीकों का विवरण

प्रभाग	विकसित उत्पाद/प्रौद्योगिकी	विकास का वर्ष
पशु संसाधन	1. ओस्टियोब्रामबैलेनेजेरी की प्रजनन और बीज उत्पादन तकनीक (रे फिन्ड मछली की प्रजातियां)	2009-10
वनस्पति संसाधन	2. एंटी-आर्थराइटिक फॉर्मूलेशन	2015
	3. वैलेरिअनाजटममेंसी के औसत समुद्र तल से 800 मीटर ऊपर नीश पर्यावरण में से नर्सरी एगो-तकनीकों का अनुकूलन इष्टतम बुवाई समय, विभिन्न बेड प्रकारों में बुवाई/उत्थान तथा माध्यमों के प्रबंध के विशेष संदर्भ सहित	2015-16
	4. प्रति यूनिट क्षेत्र में वनस्पति घनत्व हेतु वैलेरिअनाजटममेंसी के लिए औसत समुद्र तल से 800 मीटर ऊपर नीश पर्यावरण में से एगो-तकनीकों	2015-16
माइक्रोबियल संसाधन	5. सक्रिय स्टार्टर संस्कृति का प्रयोग करके किण्वित सोयाबीन उत्पादन के लिए प्रक्रिया और उत्पाद	2008
	6. चयनित स्टार्टर संस्कृति कंसोर्टियम का उपयोग करके किण्वित बांस शूट उत्पादन के प्रक्रिया और उत्पाद	2011
	7. बैसिलस सब्टिलिस उत्पादन से फाइब्रिनॉलिटिक एंजाइम	2011
	8. बीज से उत्पन्न होने वाले कवक रोगाणुओं के नियंत्रण और देशी ट्रिचोडर्मा विराइड का उपयोग करके पौधे की वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए सूक्ष्म जैव-कीटनाशकों का विकास।	2016

परिशिष्ट X (पैराग्राफ 4.1.2.5 के संदर्भ में)

आई.बी.एस.डी. द्वारा दायर किए गए लेकिन स्वीकृत नहीं किए गए पेटेंट का विवरण

प्रभाग	पेटेंट शीर्षक	पेटेंट दायर करने का वर्ष
वनस्पति संसाधन	1. तीखे मिर्च की निकासी से गैर-तीखा रंगद्रव्य, कॉस्मेटिक और त्वचा संबंधी उत्पादों के उपयोग	2016
	2. कैप्सिकम एसपीपी के तीखे फलों से यूएसपी ग्रेड, कैप्सिसीन के अलगाव और शुद्धिकरण के लिए एक बेहतर पद्धति	2014
पशु संसाधन	3. एक बायोफ्यूमिनेन्ट जिसमें 2-मिथाईल टेट्राहाइड्रो-3-फ्यूरोनोन शामिल हैं	2014

परिशिष्ट XI (पैराग्राफ 4.1.2.5 के संदर्भ में)

उत्पादन और प्रौद्योगिकी के विकास पर एस.ए.सी. की सिफारिशों के परिणाम

प्रभाग	एस.ए.सी. द्वारा सुझाव	लेखापरीक्षा टिप्पणी
वनस्पति जैव-संसाधन	एस.ए.सी. ने 9वीं बैठक (अप्रैल 2009) में अपने वाणिज्यिक संभावना को देखते हुए साइट्रस के छिलके के तेल पर प्रौद्योगिकी उत्पादन के लिए शोध कार्य करने का सुझाव दिया।	तकनीक अभी भी विकसित की जानी थी और निष्कर्षण केवल प्रयोगशाला स्तर पर किया गया था।
	एस.ए.सी. ने 13वीं बैठक (सितम्बर 2013) में अच्छे औद्योगिक मांग के साथ एन.ई.आर. में उपलब्ध कैप्सिकम की संभ्रात विविधता के संसाधन आधार का सृजन करने और किंग चिल्ली से कैप्सियाकीनोइड्स और कैप्सैसिडिन के निष्कर्षण हेतु प्रक्रिया विकसित करने का सुझाव दिया।	आई.बी.एस.डी., पहाड़ी इलाके और परिवहन समस्या, स्थानीय भाषा, कानून और व्यवस्था की समस्या और उपयुक्त जनशक्ति की अनुपलब्धता के कारण एन.ई.आर. की संभ्रात विविधता के कैप्सिकम के संसाधन आधार का सृजन नहीं सका और यद्यपि किंग चिल्ली से कैप्सोसिनोइड्स और कैप्सियासीन के निष्कर्षण के लिए प्रक्रिया और प्रयोगशाला स्तर पर विकसित और मानकीकृत की गई थी तथापि उसका पायलट प्लांट वैलिडेशन नहीं किया गया था।
	एस.ए.सी. ने 13वीं बैठक (सितम्बर 2013) में बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए और एक अदरक सजावटी फूल को आई.बी.एस.डी. के एक उत्पाद के रूप में रिलीज करने और एक वर्ष के भीतर बाजार में कम से कम 1,000 पौधों को डालकर सजावटी अदरक 'ग्लोब्सप' के फूलदान के जीवन को निर्धारित करने का सुझाव दिया।	इस पर की गई कार्रवाई की सूचना देने के लिए पूछे जाने पर आई.बी.एस.डी. ने कोई टिप्पणी नहीं की।
पशु जैव-संसाधन	जनवरी, 2011 में एस.ए.सी. (10वीं बैठक) ने स्थानीय केंचुए के साथ अस्थानीय केंचुए के बीच पारस्परिक रूप से क्रॉसब्रीड के लिए सुझाव दिया।	इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
	सितम्बर 2014 में, एस.ए.सी. (14वीं बैठक) ने व्यवसायिक मूल्य बढ़ाने के लिए किण्वित मछली जैसे नगरी, साइडर पर आउटरीच कार्यक्रम करने का और अढ़य समुदायों के बीच किण्वित भोजन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्लिनिकल परीक्षण कर	नगरी किण्वन पर माइक्रोबियल गतिशीलता पर अध्ययन दो स्वदेशी नगरी उत्पादकों और स्टार्टर कल्चर से किया गया लेकिन सीमित मानव शक्ति के

प्रभाग	एस.ए.सी. द्वारा सुझाव	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	स्वास्थ्य टैग देने के लिए अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियरों का समर्थन प्राप्त करने का सुझाव दिया।	कारण साइडर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया और साथ ही कोई स्वास्थ्य टैग नहीं किया गया और इस तरह की प्रक्रिया और उत्पादों को विकसित पूर्ण नहीं किया गया।
	जून 2008 में, एस.ए.सी. (8वीं बैठक) ने बेहतर लाभ के लिए गोभी से किण्वित खाद्य उत्पाद विकसित करने का सुझाव दिया।	इस पर कोई कार्य नहीं किया गया।
	अप्रैल 2009 में, एस.ए.सी. (9वीं बैठक) ने मॅडरिन ऑरेंज जैविक खेती के लिए जैव उर्वरक विकसित करने के सुझाव दिया।	इस पर की गई कार्रवाई को बताने के लिए कहा गया लेकिन आई.बी.एस.डी. ने कोई टिप्पणी नहीं की।
	अप्रैल 2012 में एस.ए.सी. (12 वीं बैठक) द्वारा सुझाव दिया गया था कि बीजीए संग्रहों से निकाली गई उपयोगी उत्पादों का विकास किया जाए।	कार्रवाई की गई रिपोर्ट में आई.बी.एस.डी. ने कहा कि वाणिज्यिक शोषण के लिए कुछ साइनोबैक्टीरिया की पहचान की गई क्योंकि उपभेद वाणिज्यिक स्तर के उपभेदों के बराबर पाया गया था। हालांकि कोई उत्पाद विकसित नहीं किया गया है।
माइक्रोबियल जैव-संसाधन	अप्रैल 2012 में एस.ए.सी. (12 वीं बैठक) ने स्वच्छता, किण्वन प्रौद्योगिकी, बड़े पैमाने पर उत्पादन और खाद्य पैकेजिंग में सुधार के जरिए एन.ई.आर. के किण्वित भोजन के राष्ट्रीय फूड बास्केट में प्रमाणिक स्वास्थ्य लाभों में अनुवाद करने का सुझाव दिया	माइक्रोबियल संसाधनों पर से जुड़े किण्वित सोयाबिन (हवाईजर), किण्वित बांस शूट (सोईबम), किण्वित मछली (नगरी), और चावल की शराब (अथिंगबा) पर गहराई से अध्ययन किया गया था हालांकि चूँकि रासायनिक संरचना विश्लेषण और स्वास्थ्य टैगिंग के पहलुओं में प्रक्रिया एवं उत्पाद अपूर्ण थे, इसलिए अंतिम अत्पाद/प्रौद्योगिकी अभी भी विकसित किया जाना है।
	नवम्बर 2006 में सोसाईटी (6वें बैठक) में आई.बी.एस.डी. को संस्थान अनुसंधान के प्राथमिक क्षेत्रों में से एक के रूप में जैव ईंधन पर अनुसंधान कार्य लेने की सलाह दी। इसके अलावा, सितंबर 2016 में गवर्निंग काउंसिल (17 वीं बैठक) में	यह काम प्रारंभिक चरण में है और मार्च 2017 तक कोई भी उत्पाद विकसित नहीं किया गया है।

प्रभाग	एस.ए.सी. द्वारा सुझाव	लेखापरीक्षा टिप्पणी
	बायोमास/अपशिष्ट उर्जा को अन्य में से अनुसंधान कार्यक्रम लेने का सुझाव दिया।	
	अक्टूबर 2006 में एस.ए.सी. (5वीं बैठक) ने उच्च मूल्य वाले प्राकृतिक रंजकों और प्रोटीनों जैसे फाईकोसायनिन और फाईकोयरेथ्रिन के लिए सिनोबैक्टीरिया का जैव-प्रतिरोधन करने का सुझाव दिया।	आई.बी.एस.डी. के पास उपलब्ध कार्रवाई की जाने का रिकार्ड आई.बी.एस.डी. के पास उपलब्ध नहीं था।
	सितंबर 2007 में एस.ए.सी. (7वें बैठक) ने सूक्ष्म शैवाल की विविधता में एक अनुसंधान कार्यक्रम के लिए सुझाव दिया था क्योंकि इसमें बायोडीजल और जैव ईंधन का संभावित स्रोत था।	इस शोध कार्यक्रम से कोई उत्पाद विकसित नहीं किया गया है क्योंकि सौंपे गए सूक्ष्म-एल्गेल कल्चर्स के निर्धारित वैज्ञानिक ने संस्था छोड़ दिया।

परिशिष्ट XII (पैराग्राफ 6.2.1 के संदर्भ में)

लेखापरीक्षा के लिए चयनित सी.एस.आई.आर. प्रयोगशालाओं के ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना परियोजनाओं की सूची

परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
1. एयरोस्पेस विज्ञान में ज्ञानआधार की बढ़ोतरी और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास (एस.आई.पी. - 01)	राष्ट्रीय वांतरीक्ष प्रयोगशाला (एन.ए.एल.), बंगलुरु	99.67	85.14
2. परजीवी रोगों और माइक्रोबियल संक्रमण के लिए नई औषध विकास कार्यक्रम (एस.आई.पी. 26)	केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सी.डी.आर.आई.), लखनऊ	29.88	26.80
3. मधुमेह मेलिटस - नई औषध खोज, आर. एंड डी., आणविक तंत्र एवं आनुवांशिक कारक (एन.डब्ल्यू.पी. 32)		33.78	33.49
4. नई दवाओं के मूल्यांकन के लिए पहचान किए गए मॉडलों का मान्यकरण और नए वैकल्पिक मॉडल का विकास (एन.डब्ल्यू.पी. 34)		18.50	18.42
5. चयनित रोगजनकों के लिए लक्षित औषध की पहचान और मान्यता (एन.डब्ल्यू.पी. 38)		16.50	15.94
6. मौसमविज्ञान में उन्नति (एन.डब्ल्यू.पी.-45)	राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला (एन.पी.एल.), नई दिल्ली	136.81	135.73
7. फोटोवोल्टाईक और अन्य उर्जा अनुप्रयोगों पर आर एंड डी (एस.आई.पी. - 17)		15.00	14.63
8. ठोस अवस्था प्रकाशीय विद्युत अनुप्रयोगों के लिए एल.ई.डी. उपकरणों और प्रणालियों का निर्माण (एन.डब्ल्यू.पी. - 25)		47.88	47.59
9. तरल और गैस विच्छेद से जुड़ी उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए सिरेमिक सामग्री (एस.आई.पी. - 23)	केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान (सी.जी.सी.आर.आई.), कोलकाता	21.33	20.59
10. गैर-ऑक्साइड सिरामिक आधारित उन्नत संरचनात्मक सामग्री: आर्मस और रीफ्रैक्टरीज (एन.डब्ल्यू.पी. - 29)		14.50	13.19
11. संचार, सेंसर एवं लेजर प्रौद्योगिकी के लिए फोटोनिक्स (एन.डब्ल्यू.पी. - 26)		19.99	19.77

परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
12. रोग में मिटोकोन्ड्रियल दोष मूल्यांकन एवं सुधार (एस.आई.पी. - 07)		16.50	16.50
13. नई पीढ़ी उपचार के लिए अभियांत्रिकी पेप्टाइड्स और प्रोटीन (एन.डब्ल्यू.पी. - 005)		10.34	9.72
14. एलर्जी ब्रॉन्कियल अस्थमा और जीर्ण अवरोधक फेफड़ा रोग के लिए निदान और लक्ष्य आधारिक आणविक दवाओं का विकास। (एन.डब्ल्यू.पी. - 33)	भारतीय रसायन विज्ञान संस्थान, (आई.आई.सी.बी.), जाधवपुर	19.80	19.80
15. कैंसर जीवविज्ञान में आणविक दवा पर आधारित लक्ष्य का विकास एवं नोबल लक्ष्यों की पहचान में नई अंतर्दृष्टि (आई.ए.पी.-01)		9.27*	9.24*
16. विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए विशेष अकार्बनिक सामग्री का विकास (एन.डब्ल्यू.पी. - 10)	केंद्रीय नमक व समुद्री	20.00	19.14
17. भारतीय तट के साथ समुद्री जैव विविधता का मानचित्रण (एन.डब्ल्यू.पी. - 18)	रसायन अनुसंधान संस्थान,	9.00	8.25
18. जल कीटाणुशोधन/शुद्धिकरण और अपशिष्ट जल सुधार के लिए खोखले फाइबर झिल्ली प्रौद्योगिकी का विकास (एन.डब्ल्यू.पी. - 47)	(सी.एस.एम.सी.आर.आई.), भावनगर	12.00	9.92
19. भारत के आसपास के पानी के लिए पूर्वानुमान प्रणाली के विकास हेतु विज्ञान (एस.आई.पी. - 13)	राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, (एन.आई.ओ.), गोवा	72.45	66.02
20. वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के समुद्री क्षेत्र के उच्च-पोषक तत्व-न्यून क्लोरोफिल (एच.एन.एल.सी.) का लौह के साथ निषेचन		15.00	15.00
21. ईंधन, स्नेहक और योजक को बायोमास का पर्यावरण के अनुकूल रूपांतरण एवं उपयोग के लिए तकनीक जानकारी और प्रौद्योगिकी विकसित करना (एस.आई.पी. - 19)	भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आई.आई.पी.), देहरादून	35.00	31.63
22. मानव जटिल विकारों के लिए जीनोटाइप-फेनोटाइप सहसंबंध के गूढ़ रहस्य में एक एकीकृत जीवविज्ञान दृष्टिकोण (एस.आई.पी. - 06)	जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीव विज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.बी.), नई दिल्ली	14.50	14.27

परियोजना का नाम	संस्थान का नाम	परियोजना की अनुमोदित राशि (₹ करोड़ में)	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)
23. एन.सी.एल.-आई.जी.आई.बी. संयुक्त अनुसंधान पहल: जीव विज्ञान के साथ रसायन विज्ञान के इंटरफेसिंग (एन.डब्ल्यू.पी. - 13)		21.50	21.50
24. मानव जीनोम में गैर-कोडिंग आर.एन.ए. की जीनोमिक्स और जीव विज्ञान का अध्ययन (एन.डब्ल्यू.पी. - 36)		38.00	35.39
25. प्लाज्मा प्रोटीओमिक्स स्वास्थ्य, पर्यावरण एवं रोग (एन.डब्ल्यू.पी. - 04)		33.61	33.61
26. स्वास्थ्य और रोग में नैनो पदार्थ एवं नैनोउपकरण (एन.डब्ल्यू.पी. - 35)	कोशिकीय एवं आणविक जीवविज्ञान केन्द्र (सी.सी.एम.बी.), हैदराबाद	38.75	35.38
27. लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए परियोजना (आई.ए.पी. - 02)		16.94	15.38
कुल		836.50	792.04

*केवल आई.आई.सी.बी. के संबंध में आंकड़े। कुल व्यय मुहैया नहीं कराया गया।

परिशिष्ट XIII (पैराग्राफ 7.1.2.2 के संदर्भ में)

नाविक के अंतर्गत खरीद/ कार्य अनुबंध में हुई देरी का विवरण

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
आई.आर.सी.डी.आर. कार्य							
1.	01-07-2006/29-11-2010/02-05-2011/15-01-2012/22-02-2013/ इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन. /जोधपुर/1060/11758 (₹ 1.59 करोड़)	जोधपुर में आई.आर.आई.एम.एस./ आई.आर.सी.डी.आर. बिल्डिंग का निर्माण (सिविल, पी.एच., इलेक्ट्रिकल तथा ऐ.सी. कार्य) (इसट्रैक)	53.73	2.13	13.47	69.33	इसरो द्वारा कार्य योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। जोधपुर के कार्यों के क्रियान्वयन में देरी की वजह (i) स्थल को सौंपने में देरी (ii) साइज स्टोन मसोनरी टो दीवार का निर्माण (iii) राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रतिबन्ध के वजह से रेत की गैर उपलब्धता (iv) ईमारत के निर्मित फर्श स्तर तथा निर्मित भूतल स्तर को उठाना (v) 200 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर की आपूर्ति और प्रतिष्ठापन में देरी थी।
2.	01-07-2006/13-10-2010/10-02-2011/23-08-2011/30-04-2013 इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन. /एन.ई.-एस.ए.सी./टी.एन.- 06/डब्ल्यू.ओ.-09/2010- 11/11423 (₹ 76.94 लाख)	एन.ई.-सैक, युमियम मेघालय (इसट्रैक) में आई.आर.सी.डी.आर. सुविधा बिल्डिंग का निर्माण (सिविल, पी.एच., इलेक्ट्रिकल तथा एयर कंडीशनिंग कार्य)	52.17	1	20.53	73.70	इसरो द्वारा कार्य योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। मेघालय के कार्यों के क्रियान्वयन चरण में देरी की वजह (i) पेड़ों को काटने में देरी (ii) सम्प आर.सी.सी. रिटेनिंग दीवार का निर्माण (iii) तीन

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
							कॉलमों को रोक कर रखना (iv) शीतल वातावरण की परिस्थितियाँ (v) श्रम की गैर-उपलब्धता (vi) भारी वर्षा और अतिरिक्त कार्य थी।

* सिविल कार्यो को अविलम्ब पूरा किया जाना था क्योंकि बिल्डिंग में आई.आर.सी.डी.आर. उपकरण/उपभोज्यों को रखना था। इसलिए, डी.ओ.एस. द्वारा जून 2006 में वित्तीय संस्वीकृति के बाद तुरंत आर.एफ.पी. की प्राप्ति होनी चाहिए थी।

आई.आर.सी.डी.आर. क्रय

3.	30-06-2007/16-07-2008/25-02-2009/31-03-2010/03-02-2013 20080002150101 (₹ 13.40 करोड़)	11 एम फुल मोशन एंटीना प्रणाली (इसट्रैक)	12.73	4.47	34.67	51.57	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस क्रय क्रियान्वयन में देरी की वजह (i) भारी वर्षा ने स्थल तक पहुँच पर बाधा उत्पन्न की क्योंकि वे दूरवर्ती स्थित थे (ii) श्रम की समस्या (iii) कानून एवं व्यवस्था की समस्या, इत्यादि थी।
4.	30-06-2007/14-06-2007/21-02-2008/09-06-2008/03-02-2009 20070005600101 (₹ 1.80 करोड़)	एस.ए.टी.आर.ई. मोडम उपग्रह समय व रेंजिंग उपकरण (सैक)	--	5.40	7.97	13.37	इसरो द्वारा क्रय योजना तथा क्रियान्वयन में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
5.	30-06-2007/28-12-2015/19-08-2016/18-10-2016/21-02-2017 2015E006970101 (₹ 3.70 करोड़)	आई.आर.सी.डी.आर. स्टेशन (इसट्रैक) हेतु टू-वे सी.डी.एम.ए. रेंजिंग मोडम	103.43	4.83	4.20	112.46	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस क्रय के क्रियान्वयन में हुई एक महीने की देरी इसट्रैक द्वारा साख पत्र देरी से जारी करने के कारण से

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
							थी। तथापि, देरी की शेष अवधि से सम्बंधित कारणों को इसरो द्वारा अभिलिखित नहीं किया गया था।
6.	30-06-2007/03-04-2009/07-12-2009/18-05-2010/27-04-2010 20090000080101 (₹ 2.40 करोड़)	5071ए उच्च निष्पादन सीजियम स्तर (घड़ियाँ) (इसट्रैक)	21.43	5.27	--	26.70	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
7.	30-06-2007/16-07-2008/25-02-2009/31-12-2011/03-02-2013 20080002150102 (₹ 3.10 करोड़)	11एम फुलमोशन एंटीना प्रणाली (इसट्रैक)	12.73	4.47	13.33	30.53	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस क्रय क्रियान्वयन में देरी की वजह (i) भारी वर्षा ने स्थल तक पहुँच पर बाधा उत्पन्न की क्योंकि वे दूरवर्ती स्थित थे (ii) श्रम की समस्या (iii) कानून एवं व्यवस्था की समस्या, इत्यादि थी।
8.	30-06-2007/14-06-2007/25-07-2007/15-11-2007/26-02-2008 20060030830101 (₹ 60.99 लाख)	एस.टी.आर.ई. मोडेम उपग्रह समय व रेंजिंग (सैक)	--	--	3.43	3.43	क्रय क्रियान्वयन में हुई देरी के कारण पता नहीं किए जा सके क्योंकि इसरो द्वारा सम्बंधित फाइल की छाटाई कर दी थी।
* आई.आर.सी.डी.आर. के अंतर्गत क्रय हेतु माँगपत्रों को 01 जुलाई 2006 से 12 महीनों के अंदर (तीन महीने कार्य आदेश देने हेतु + नौ महीने कार्य समापन हेतु) अर्थात् जून 2007 तक प्रस्तुत किया जाना था।							
आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.							
9.	30-04-2007*/17-07-2008/11-08-2009/28-06-2010/09-08-2011	आई.आर.एन.एस.एस. नेटवर्क टाइमिंग सुविधा (इसट्रैक)	14.80	10	13.57	38.37	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
	20080002160101 (₹ 8.57 करोड़)						गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी, इसरो की ओर से विभिन्न स्तरों के पूर्ण होने के पश्चात सतत प्रतिक्रिया (पी.डी.आर. और सी.डी.आर.) तथा तत्पश्चात रूप-रेखा में बदलाव की वजह से थी।
10.	31-01-2008#/17-01-2014/30-05-2016/30-07-2017/31-10-2017 को अपूर्ण 20130003310101 (₹ 17.97 करोड़)	आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.-II लखनऊ में (इसट्रैक)	72.60	25.80	3	101.40	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।

* आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.-I (बयालालू) के अंतर्गत क्रय हेतु माँगपत्रों को 01 जुलाई 2006 से 10 महीनों के अंदर (तीन महीने कार्य आदेश देने हेतु + सात महीने आई.एन.सी.-1 कार्य समापन हेतु) अर्थात् अप्रैल 2007 तक प्रस्तुत किया जाना था।

आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.-II (लखनऊ) के अंतर्गत क्रय हेतु माँगपत्रों को 01 जुलाई 2006 से 19 महीनों के अंदर (तीन महीने कार्य आदेश देने हेतु + 16 महीने आई.एन.सी.-2 कार्य समापन हेतु) अर्थात् जनवरी 2008 तक प्रस्तुत किया जाना था।

उपयोगकर्ता उपकरण सिमुलेटर

11.	01-07-2006/17-08-2011/28-06-2012/15-04-2013/22-03-2013 20110013750101 (₹ 3.57 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस. सिगनल विकास (सैंक)	62.43	7.53	--	69.96	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
12.	01-07-2006/13-12-2013/21-08-2014/09-07-2015/16-09-2015 2013E002980101 (₹ 1.67 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस. एस.पी.एस. व जी.पी.एस. सिमुलेटर का डिजाइन एवं विकास (सैंक)	90.73	5.37	2.30	98.40	इसरो द्वारा क्रय योजना एवं क्रियान्वयन में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
13.	21-05-2013/ 21-05-2013/ 26-11-2013/ 23-	जी.पी.एस. सिमुलेटर की ए.एम.सी.	—	3.30	--	3.30	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
	09-2016/ 23-09-2016 20130004770101 (₹ 51 लाख)	(सैंक)					अभिलिखित नहीं किया गया।
14.	01-07-2006/ 25-08-2011/ 07-02-2013/ 07-08-2013/ 23-12-2013 20110002440101 (₹ 2.53 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस. उपग्रह एल 5, एस सिगनल सिमुलेटर (इसट्रैक)	62.70	14.73	4.60	82.03	इसरो द्वारा क्रय योजना एवं क्रियान्वयन में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
* डी.ओ.एस. द्वारा जून 2006 में वित्तीय संस्वीकृति जारी करने के तुरंत बाद सिविलवर्क्स के मांगपत्रों को प्रस्तुत किया जाना था ।							
यूजर रिसेवर							
15.	31-08-2007/ 20-01-2012/ 25-09-2012/ 25-03-2014/ 13-10-2014 20110022590101 (₹ 4.08 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस. (एस.पी.एस.)-जी.पी.एस. उपयोगकर्ता आर.एक्स.एस. रिसेवर का विकास (सैंक)	53.43	5.30	6.73	65.46	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी, विक्रेता की ओर से कुछ तकनीकी पैरामीटर के पालन के कारण थी।
16.	31-08-2007/ 19-07-2012/ 15-05-2013/ 31-01-2015/ 18-07-2016 20110027370101 (₹ 6.83 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस. आर.एस. जी.पी.एस. उपयोगकर्ता रिसेवर का विकास (सैंक)	59.47	7	17.80	84.27	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद में हुई देरी, सैंक, अहमदाबाद द्वारा कस्टमाइजेशन के अनुरोध की वजह से थी जिससे लदान की पूर्णतः देरी हुई।
17.	31-08-2007/ 06-01-2014/ 22-01-2015/ 22-10-2015/ 18-04-2016 2014E003090101 (₹ 5.67 करोड़)	नाविक एस.पी.एस., जी.पी.एस. तथा गगन रिसेवर के 105 इकाइयों की मैसर्स ऐकॉर्ड, बंगलोर से खरीद	77.33	9.70	5.97	93	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। उपयोगकर्ता रिसेवर्स की सुपुर्दगी तथा

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
		(सैंक)					प्रतिस्थापन विभिन्न स्थानों पर की जानी थी। इस खरीद क्रियान्वयन में हुई देरी, सैंक, अहमदाबाद द्वारा विक्रेता को खरीद आदेश के साथ इन स्थानों के विवरण के गैर-प्रस्तुतीकरण की वजह से था।
18.	31-08-2007/ 08-07-2014/ 27-02-2015/ 14-11-2015/ 31-05-2017 को अपूर्ण 20140014880101 (₹ 1.90 करोड़)	नाविक एस.पी.एस., जी.पी.एस. तथा गगन रिसीवर के 105 इकाइयों की मैसर्स डेटा पैटर्न, चेन्नई से खरीद (सैंक)	83.43	4.80	18.80	107.03	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह (i) विक्रेता द्वारा स्पेसिफिकेशन में बदलाव का अनुरोध तथा सैंक द्वारा परिवर्तन के पुष्टिकरण में लगे 3 महीने (ii) मैकेनिकल संरचना विश्लेषण तथा आर.एफ. बोर्ड के ए.डी.एस. सिमुलेशन पर अतिरिक्त बातचीत थी।
19.	31-08-2007/ 26-04-2016/ 20-02-2017/ 20-08-2017 2016ई015390101 (₹ 5.40 करोड़)	नाविक एस.पी.एस., जी.पी.एस. तथा गगन रिसीवर के 100 इकाइयों की मैसर्स ऐकॉर्ड, बंगलोर से खरीद (सैंक)	105.37	7	--	112.37	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।

* उपयोगकर्ता उपकरण के अंतर्गत क्रय हेतु माँग पत्रों को 01 जुलाई 2006 से 14 महीनों के अंदर (तीन महीने सिमुलेटर के खरीद आदेश देने हेतु + 11 महीने सिमुलेटर सुपुर्दगी के समापन हेतु) अर्थात् अगस्त 2007 तक प्रस्तुत किया जाना था।

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
आई.एन.सी.							
20.	01-07-2006/ 01-02-2008/ 28-01-2009/ 10-08-2009/ 05-07-2010 इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन./आई.आर.एन.एस.एस./1000/5987 (₹ 12.16 करोड़)	आई.डी.ई.एस.एन. कैंपस, बयालालू गाँव, बंगलौर में आई.आर.एन.एस.एस. कॉम्प्लेक्स का निर्माण - सिविल, पी.एच., विद्युतीय तथा एयर कंडीशनिंग कार्य को शामिल करते हुए। (इसट्रैक)	19.33	9.07	10.97	39.37	इसरो द्वारा सिविल कार्य योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस कार्य के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह (i) हार्ड रॉक उत्खनन भूकार्य में देरी (ii) कैफेटेरिया बिल्डिंग में रूफ स्लैब का विस्तार (iii) एंटीना सहायक संरचना में टॉप रिंग बीम में बदलाव था।
21.	01-07-2006/ 01-11-2013/ 17-01-2014/ 30-07-2014/ 27-12-2014 इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन./आई.एन.सी.-2 - एल.सी.के./1097/ 15416 (₹ 1.04 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस. सुविधा, आई.एल.एफ. लखनऊ में आई.एन.सी.-2 बिल्डिंग हेतु सबस्टेशन, केबल ट्रेच व ट्रांसफॉर्मर फाउंडेशन तथा फेंसिंग का निर्माण (इसट्रैक)	89.33	--	5	94.33	इसरो द्वारा सिविल कार्य योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस कार्य के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह थी: (i) सबस्टेशन के स्थानांतरण में देरी (ii) फुटिंग डेप्थ्स, डिजाईन मिश्रण, परीक्षण सामग्री, तथा केबल ट्रेच रूट के समाशोधन में देरी।
22.	01-07-2006/ 01-11-2013/ 17-02-2014/ 02-06-2015/ 30-08-2016 इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन./आई.एन.सी.-2- एल.सी.के./1097/15539 (₹ 6.61 करोड़)	आई.एल.एफ. लखनऊ में आई.आर.एन.एस.एस. सुविधा हेतु आई.एन.सी.-2 बिल्डिंग का निर्माण (सिविल व पीएच कार्य)	89.33	--	15.17	104.50	इसरो द्वारा सिविल कार्य योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस कार्य के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह (i) फुटिंग डेप्थ्स की

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
		(इसट्रैक)					समाशोधन में देरी (ii) परिक्षण सामग्री का समाशोधन (iii) निगरानी, प्रबंधक, सम्मेलन, तथा इंजिनियर कक्षाओं में परिवर्तन था।
23.	01-07-2006/ 16-09-2014/ 13-04-2015/ 27-12-2015/ 26-12-2016 इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन./आई.एन.सी.-2 एल.सी.के./सी.ओ.एन./डब्ल्यू.ओ.-1/15-16/17817 (₹ 1.50 करोड़)	आई.एल.एफ. लखनऊ में आई.आर.एन.एस.एस. सुविधा हेतु आई.एन.सी.-2 बिल्डिंग का निर्माण-विद्युतीय कार्य - बाहरी विद्युतीय आपूर्ति का आंतरिक विद्युतीकरण (इसट्रैक)	99.97	3.97	12.17	116.11	इसरो द्वारा सिविल कार्य योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस कार्य के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह सिविल कार्य के समापन में देरी थी जिससे इस कार्य के आरंभ में देरी हुई।
24.	31-01-2008**/ 16-03-2015/ 04-11-2015/ 18-03-2016/ 17-06-2016 इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन./आई.एन.सी.-2- एल.सी.के./सी.ओ.एन./डब्ल्यू.ओ.-4/15-16/17802 (₹ 1.14 करोड़)	आई.एल.एफ. लखनऊ में आई.आर.एन.एस.एस. सुविधा हेतु आई.एन.सी.-2 बिल्डिंग का निर्माण-विद्युतीय कार्य-बैटरी बैकअप के साथ यू.पी.एस. पैरेलल लाइन के 2x100केवीए की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन, जांच व प्रवर्तन (इसट्रैक)	86.70	4.77	3.03	94.50	इसरो द्वारा कार्य योजना तथा क्रियान्वयन में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
25.	01-07-2006/ 16-09-2014/ 18-03-2015/ 31-08-2015/ 16-12-2016 इसट्रैक/सी.एम.डी./सी.ओ.एन./आई.एन.सी.-2 एल.सी.के./सी.ओ.एन./डब्ल्यू.	आई.आर.एन.एस.एस. सुविधा हेतु आई.एन.सी.-2 बिल्डिंग का निर्माण- आई.एल.एफ. लखनऊ के सबस्टेशन बिल्डिंग में लो-टेंशन	99.97	3.10	15.77	118.84	इसरो द्वारा सिविल कार्य योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस कार्य के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
	ओ.-3/14-15/17726 (₹ 1.73 करोड़)	विद्युतीय कार्य (इसट्रैक)					सिविल कार्य के समापन में देरी थी जिससे इस कार्य के आरम्भ में देरी हुई।
<p>*डी.ओ.एस. द्वारा जून 2006 में वित्तीय संस्वीकृति जारी करने के तुरंत बाद सिविल वर्क्स के मांगपत्रों को प्रस्तुत किया जाना था।</p> <p>** यू.पी.एस. हेतु आरपीएफ की पहल 1 जुलाई 2006 से 19 महीनों (तीन महीने कार्य आदेश देने से पहले+सिविल कार्य समापन हेतु 16 महीने) अर्थात् जनवरी 2008 तक की जानी थी।</p>							
अन्य अंतरिक्ष उपभोज्य							
26.	01-07-2006/ 08-07-2013/ 21-03-2014/ 21-07-2014/ 21-07-2014 2013ई002100101 (₹ 69.24 लाख)	वेक्टर नेटवर्क विश्लेषक (सैंक)	85.47	5.53	--	91	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
27.	01-07-2006/ 11-06-2007/ 26-03-2008/ 26-05-2009/ 04-01-2010 20070006090101 (₹ 41.73 करोड़)	ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफायर (सैंक)	11.50	6.63	7.43	25.56	इसरो द्वारा क्रय योजना तथा क्रियान्वयन में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
28.	01-07-2006/ 28-05-2008/ 12-03-2009/ 31-08-2010/ 10-09-2011 20080000800101 (₹ 9.65 करोड़)	फैब्रिकेशन ई.पी.सी., स्वदेशी विकास (सैंक)	23.23	6.60	12.50	42.33	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह थी: (i) ठेकेदार द्वारा इस आदेश के लिए तय कुछ घटकों का व्यपवर्तन सैंक के किसी अन्य आदेश में किया गया। (ii) नए घटकों के आगमन में देरी (iii) सैंक में अहर्कारी मॉडल इकाइयों के परीक्षण सुविधा की गैर-उपलब्धता

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
29.	01-07-2006/ 07-02-2013/ 13-06-2014/ 28-05-2015/ 05-04-2017 20120027300101 (₹ 2.88 करोड़)	सी बैण्ड रिसीवर की फैब्रिकेशन, परीक्षण तथा सुपुर्दगी (सैक)	80.43	13.37	22.60	116.40	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरीके वजह सैक द्वारा ठेकेदार को फ्री इशू मटीरियल की सुपुर्दगी में देरी थी।
30.	01-07-2006/ 25-07-2013/ 04-09-2014/ 12-08-2015/ 19-07-2016 20120027360101 (₹ 2.26 करोड़)	एल5 एण्ड एस बैण्ड माड्युलेटर्स की फैब्रिकेशन, परीक्षण तथा सुपुर्दगी (सैक)	86.03	10.53	11.40	107.96	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह थी - ठेकेदार द्वारा इसरो को फ्री इशू मटीरियल के प्राप्ति के लिए बैंक गारंटी के प्रस्तुतिकरण में देरी।
31.	01-07-2006/ 01-10-2012/ 23-07-2013/ 02-12-2013/ 17-08-2015 20120016200101 (₹ 72.83 लाख)	6.3 एम.एल. एण्ड एस बैण्ड एंटेना प्रणाली एलएनए असेंबली सहित (सैक)	76.13	6.83	20.77	103.73	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी विक्रेता के वजह से थी।
32.	01-07-2006/ 07-02-2013/ 31-07-2014/ 07-11-2015/ 31-05-2017 को अपूर्ण ए.एच.एस.एन.2012002735 0101 (₹ 3.28 करोड़)	एल5 एण्ड एस बैंड अप-कन्वर्टर (आई.आर.एन.एस.एस.) (सैक)	80.43	14.97	19.03	114.43	इसरो द्वारा क्रय योजना तथा क्रियान्वयन में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
33.	01-01-2012**/23-09-2016/09-12-2016/30-06-2018 2016E022840101 (₹ 1.94 करोड़)	दो उपग्रहों का असेंबली, एकीकरण तथा परीक्षण (आईसैक)	57.57	--	--	57.57	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।

* डी.ओ.एस. द्वारा जून 2006 में वित्तीय संस्वीकृति जारी करने के तुरंत बाद अन्य अंतरिक्ष उपभोज्य की खरीद के लिए मांगपत्रों को प्रस्तुत किया जाना था।

** दो ग्राउंड स्पेयर नाविक उपग्रहों की असेंबली, एकीकरण तथा परीक्षण हेतु मांग पत्रों को 1 जनवरी 2012 तक प्रस्तुत किया जाना था अर्थात दिसम्बर 2011 तक नाविक कार्यक्रम के नियत परिचालन के पश्चात।

उपग्रह नियंत्रण केंद्र

34.	01-07-2006/ 18-09-2007/ 20-03-2008/ 30-09-2009/ 26-02-2016 20070002480101 (₹ 11.40 करोड़)	11 एम फुल मोशन सी-बैंड एंटेना की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा प्रवर्तन (एम.सी.एफ.)	14.80	3.13	78	95.93	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस क्रय क्रियान्वयन में हुई देरी भोपाल में स्थल के तैयार न होने की वजह से थी।
35.	01-07-2006/ 18-09-2007/ 20-03-2008/ 30-09-2009/ 10-12-2013 20070002490101 (₹ 5.60 करोड़)	7.2 एम एंटेना की आपूर्ति, प्रतिष्ठापन तथा प्रवर्तन (एम.सी.एफ.)	14.80	3.13	51.07	69	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस क्रय क्रियान्वयन में हुई देरी भोपाल में स्थल के तैयार न होने की वजह से थी।
36.	01-07-2006/ 26-11-2013/ 20-05-2015/ 20-08-2016/ 31-03-2017 2013ई001390101 (₹ 6.75 करोड़)	11 एम.एल./एस. फुल मोशन एंटेना की आपूर्ति तथा प्रतिष्ठापन (एम.सी.एफ.)	90.17	15	7.43	112.60	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस क्रय क्रियान्वयन में देरी डिजाईन में अनुवर्ती संशोधनों की वजह से थी।

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
37.	01-07-2006/ 26-11-2013/ 24-09-2015/ 24-03-2017/ 31-05-2017 को अपूर्ण 2013ई001400101 (₹ 10.68 करोड़)	11एम. एफ.एम.ए. प्रणाली का सी.आई.वी. सहित प्रतिष्ठापन (एम.सी.एफ.)	90.17	19.23	2.27	111.67	इसरो द्वारा क्रय योजना तथा क्रियान्वयन में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।

* डी.ओ.एस. द्वारा जून 2006 में वित्तीय संस्वीकृति जारी करने के तुरंत बाद उपग्रह नियंत्रण केंद्र की खरीद के लिए मांगपत्रों को प्रस्तुत किया जाना था।

आई.आर.आई.एम.एस.

38.	30-06-2007/ 17-02-2009/ 19-05-2011/ 13-11-2013/ 24-09-2013 20080005610101 (₹ 26.19 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस.सं दर्भ रिसीवर (आई.आर.आई.एम.एस.) (इसट्रैक)	19.93	24.37	--	44.30	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
39.	30-06-2007/ 09-03-2010/ 04-01-2012/ 28-06-2013/ 23-01-2014 20090006670101 (₹ 7.50 करोड़)	स्वदेशी संदर्भ रिसीवर का विकास (इसट्रैक)	32.77	19.20	6.97	58.94	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह थी: (i) इसट्रैक द्वारा परियोजना दल, जो लांच के पहले और बाद की गतिविधियों में अतिव्यस्त थे, की गैर-उपलब्धता (ii) स्तर 2 रिसीवर के सी.डी.आर. का पुनर्निर्धारण

* आई.आर.आई.एम.एस. रिसीवर के अंतर्गत क्रय हेतु माँगपत्रों को 01 जुलाई 2006 से 12 महीनों के अंदर (तीन महीने कार्य आदेश देने हेतु + नौ महीने कार्य समापन हेतु) अर्थात जून 2007 तक प्रस्तुत किया जाना था।

संचार लिंक

40.	30-04-2007*/ 12-12-2008/ 12-03-2010/ 30-07-2010/ 29-05-2013	विसेट संचार नेटवर्क (इसट्रैक)	19.73	12.17	34.47	66.37	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया
-----	---	-------------------------------	-------	-------	-------	-------	---

2018 का प्रतिवेदन संख्या 2

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
	20080004340101 (₹ 1.87 करोड़)						गया। इस क्रय के क्रियान्वयन में विलंब का कारण स्थलों का तैयार नहीं होना था।
41.	31-01-2008#/16-03-2016/12-09-2016/17-03-2017/31-05-2017 को अपूर्ण 2016E007490101 (₹ 3.43 करोड़)	डेटासंचार नेटवर्क (आई.आर.डी.सी.एन.) का आई.एन.सी. - 2 लखनऊ में प्रतिष्ठान (इसट्रैक)	98.90	3	2.5	104.40	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। विमुद्रीकरण के बाद के प्रभावों तथा बैंकिंग संबंधी मुद्दों के कारण आपूर्तिकर्ता समय पर काम पूरा नहीं कर सके।
<p>* आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.-I (बयालालू) के अंतर्गत क्रय हेतु माँगपत्रों को 01 जुलाई 2006 से दस महीनों के अंदर (तीन महीने कार्य आदेश देने हेतु + सात महीने कार्य समापन हेतु) अर्थात् अप्रैल 2007 तक प्रस्तुत किया जाना था।</p> <p># आई.आर.एन.डब्ल्यू.टी.-II (लखनऊ) के अंतर्गत क्रय हेतु माँगपत्रों को 01 जुलाई 2006 से 19 महीनों के अंदर (तीन महीने कार्य आदेश देने हेतु + 16 महीने कार्य समापन हेतु) अर्थात् जनवरी 2008 तक प्रस्तुत किया जाना था।</p>							
परमाणु घड़ी							
42.	01-07-2006/ 16-02-2007/ 26-03-2008/ 11-09-2010/ 08-04-2014 20060073640101 (₹ 81.35 करोड़)	रूबीडीयम एटोमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड (आईसैक)	7.67	10.47	43.50	61.64	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह थी: (i) एक्सपोर्ट लाईसेन्स हासिल करने में देरी (ii) तकनिकी मरम्मत के वजह से देरी।
43.	01-07-2006/ 31-07-2008/ 23-09-2008/ 24-11-2010/ 30-08-2014 20080009850101 (₹ 1.63 करोड़)	एटोमिक घड़ी का विकास (सैक)	25.37	--	45.83	71.20	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी की वजह थी: (i) सैक/इसरो द्वारा किए गए अनुवर्ती

क्रम संख्या	आर.एफ.पी. देय तिथि*/आर.एफ.पी. की तिथि/कार्य आदेश की तिथि/समापन की अनुसूचित तिथि/वास्तविक समापन की तिथि/कार्य आदेश संख्या तथा कीमत	विवरण तथा सम्बंधित इसरो केंद्र	चरण-I में देरी (माह में)	चरण-II में देरी (माह में)	चरण-III में देरी (माह में)	कुल देरी (माह में)	देरी की वजह
							डिजाइन परिवर्तन (ii) एन.पी.एल. द्वारा अतिमहत्वपूर्ण कच्चा माल-रूबीडीयम 87 आईसोटोप की खरीद में देरी।

* डी.ओ.एस. द्वारा जून 2006 में वित्तीय संस्वीकृति जारी करने के तुरंत बाद ऐटोमिक घड़ी की खरीद के लिए मांगपत्रों को प्रस्तुत किया जाना था।

सिग्नल निगरानी

44.	01-07-2006/ 06-03-2013/ 24-06-2014/ 08-2014/ 11-01-2016 20120030600101 (₹ 2.06 करोड़)	आंकड़ा प्राप्ति तथा रिकॉर्डिंग प्रणाली (सैंक)	81.33	12.83	16.70	110.86	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया। इस खरीद के क्रियान्वयन में हुई देरी, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के वजह से थी।
-----	---	---	-------	-------	-------	--------	---

* डी.ओ.एस. द्वारा जून 2006 में वित्तीय संस्वीकृति जारी करने के तुरंत बाद सिग्नल निगरानी प्रणाली की खरीद के लिए मांगपत्रों को प्रस्तुत किया जाना था।

नैविगेशनल सर्वर तथा सॉफ्टवेयर

45.	30-04-2007/ 04-12-2009/ 11-03-2010/ 29-04-2010/ 01-04-2010 20090004850101 (₹ 2.44 करोड़)	आई.आर.एन.एस.एस. सर्वर्स (इसट्रैक)	31.63	--	--	31.63	इसरो द्वारा क्रय योजना में हुई देरी के कारणों को अभिलिखित नहीं किया गया।
-----	--	-----------------------------------	-------	----	----	-------	--

* नैविगेशनल सर्वर तथा सॉफ्टवेयर के अंतर्गत क्रय हेतु मांगपत्रों को 01 जुलाई 2006 से दस महीनों के अंदर (तीन महीने कार्य आदेश देने हेतु + सात महीने आई.एन.सी.-1 के कार्य समापन हेतु) अर्थात अप्रैल 2007 तक प्रस्तुत किया जाना था।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in